खण्ड-277, अंक-3
शुक्रवार, 3 श्रावण, शक संवत् 1891
(25 जुलाई, 1969 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 277 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २५ जुलाई, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में १०-३० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---४०९

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पाण्डेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषियाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)

कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायणमणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारेलाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला पिथौरागढ़)
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री

नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदर्नासिह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभो, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन, खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्तसिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहर्नासिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथसिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथसिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजित राम पांडेय,, श्री

राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रतापसिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामवचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
रामवचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति अंचल, श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास, श्री
राम शिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसेन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रमसिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री

शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह, श्री
शिवशंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतलाप्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दान, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्री निवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र , श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुखसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसादसिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरिबंश प्रसाद श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कान्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा—फतेहाबाद)
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा—पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य मंत्री, श्री मंगलाप्रसाद भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २५ जुलाई, १९६९

तारांकित प्रश्न

वेतन नवीनीकरण योजनान्तर्गत विद्यान्त कालेज, लखनऊ के अध्यापकों का वेतन

*१--श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जून सन् १९६६ से प्रदेश के डिग्री कालेजों के प्राध्यापकों का वेतन-नवीनीकरण सरकार ने किया है तथा पी० एच० डी० किये हुये अध्यापकों को दो स्पेशल इन्क्रीमेन्ट दिये हैं ? यदि हां, तो उक्त नवीनीकरण की तथा पी०एच०डी० की बकाया धनराशि डिग्री कालेज के प्रधानाध्यापकों को बांट दी गई जो सरकार ने कालेजों को दी थी ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)--

सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतन का नवीनीकरण अप्रैल, १९६६ मे किया गया है न कि जून, १९६६ से ।

पी० एच० डी० डिग्री प्राप्त अध्यापकों को २ अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत हैं ।

बकाया धनराशि के बांटे जाने के संबंध में पूरी सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२--श्री अवधेश कुमार--

यदि हां, तो क्या लखनऊ के विद्यान्त कालेज के डिग्री के अध्यापकों को उक्त वेतन नवीनीकरण तथा पी० एच० डी० के स्पेशल इन्क्रीमेन्ट की बकाया धनराशि बांट दी गयी ? यदि हां, तो किस सूची के आधार पर और यदि नहीं बांटी गई तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक--

विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ से संबंधित वेतन नवीनीकरण की बकाया धनराशि का वितरण सूची 'अ' तथा पी० एच० डी० की धनराशि का वितरण सूची 'ब' के अनुसार किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८७ पर)

श्री अवधेश कुमार--

अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्री जी ने जो सूची इसमें लगाई है उत्तर में, तो क्या उस सूची के अनुसार वेतन अध्यापकों को मिल गया है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

अब मेरी सूचना तो यह है कि उनको मिल गया है तभी तो यह सूची दी गई है ।

श्री अवधेश कुमार--

मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी इसे सूचना समझें कि जिसमें मान्यवर १,६२५ रुपये जिस अध्यापक के सामने लिखे हुए हैं उसको केवल आठ सौ रुपया मिला है और वह भी वहां का मैनेजमेन्ट मई और जून की तनख्वाह को काट रहा है, तो सरकार की तरफ से जो सूची गई उसके अनुसार मिला भी नहीं है और उसमें भी कटौती हो रही है । तो क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञान है इस बात का और अगर नहीं है तो क्या ज्ञान पैदा करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक---

सरकार की जानकारी में यह बात नहीं है । सदस्य अगर लिखकर देंगे तो मैं जांच करवा लंगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

"अ" और "ब" में दिखाया गया है कि प्रत्येक अध्यापक के आगे उसकी राशि लिखी गई है कि यह-यह दिया गया। हम लोगों को तो यही सूचना है कि किस अध्यापक को गवर्नमेन्ट ने कितना दिया है । उस अध्यापक को विद्यान्त कालेज की प्रबन्ध समिति ने रुपया दे दिया लेकिन विद्यान्त कालेज की प्रबन्ध समिति ने इलाहाबाद के चेक के जरिये से इसका भुगतान किया जो इस धनराशि से मिलता नहीं है बल्कि जो कटौती की गई है इसमें मंत्री जी को क्या कहना है ?

श्री रामजीलाल सहायक---

अब इसकी जानकारी शासन को नहीं है । आप लिखेंगे तभी तो मैं इसकी जानकारी करा सकूंगा ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो सूची उन्होंने संलग्न की है उसके अनुसार कालेज के अध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है और इसकी शिकायत भी सरकार के पास आ रही हैं । तो क्या सरकार कोई ऐसा परिपत्र फिर निकालेगी कि कालेजों के जिन अध्यापकों को वेतन अभी तक नहीं दिया जा रहा है उन्हें दिया जाय ?

श्री रामजीलाल सहायक---

अगर शिकायतें हमारे पास आयेंगीं तो जरूर उनकी जांच कराई जायेगी और उनका उपचार भी जारी कराया जायगा ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन नवीनीकरण योजना जो एक अप्रैल, १९६६ से लागू हुई उसके आधार पर बहुत से सहायता प्राप्त डिग्री कालेज जो उत्तर प्रदेश में हैं उनके अध्यापकों को वे वेतनमान नहीं दिये गये हैं और दूसरी बात जो बदले हुए वेतन मान हैं उनके कारणों के आधार पर भी शिक्षा विभाग को उन्होंने अपना रिप्रेजेन्टेशन भेजा है । तो क्या इसका विचार करते हुये कोई आदेश मंत्री जी जारी करेंगे कि उनको वेतन मिले तथा साथ ही साथ जो वेतन मान के प्रस्ताव में भ्रम हो गया है उसको भी शिक्षा बिभाग सुधार दे ?

श्री रामजीलाल सहायक---

यह तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि यदि ऐसी सूचना सरकार को मिलेगी तो उसका अवश्य प्रबन्ध किया जायगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या आप इसमें स्वयं जानकारी प्राप्त करेंगे कि नये वेतन-क्रम जो निर्धारित किये गये हैं, अध्यापकों को उनके अनुसार वेतन नहीं दिया गया है ?

श्री रामजीलाल सहायक---

यदि कुछ माननीय सदस्य मुझे लिखकर देंगे तो मुझे भी बल मिल जायगा और उसके आधार पर मैं कार्यवाही कर सकूंगा ।

झींझक क्रय-विक्रय सहकारी समिति, कानपुर में गबन

*३—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की झींझक क्रय-विक्रय सहकारी समिति में हाल में गबन हुआ है ? यदि हां, तो कितने रुपये का गबन है, और क्या कार्यवाही हो रही है ?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—

जी हां। झींझक क्रय-विक्रय सहकारी समिति कानपुर में कुल रु० ५४,२०६·९३ पसे का गबन प्रकाश में आया है। गबन की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गयी है। मामला विशेष जांच दल पुलिस (S I. S.) की जांच में है।

विभागीय कार्यवाही में दोषी पाये गये दो सहकारी पर्यवेक्षकों व तीन मुनीमों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं और समिति के मंत्री व्यवस्थापक (सहकारी निरीक्षक) के विरुद्ध आरोप-पत्र सहायक निबंधक कानपुर ने उप निबन्धक, सहकारी समितियां, इलाहाबाद के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि झींझक क्रय-विक्रय सहकारी समिति के गबन का यह मामला जांच में कब से आया, और कब तक पूरा होगा ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सहकारी पर्यवेक्षकों, मुनीम और मंत्री व्यवस्थापक के विरुद्ध कोई कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष—

आप कई सवाल एक साथ न पूछें।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

इस सम्बंध में दो एफ० आई०आर० लाज की गयी थीं, पहली १८-३-६७ को दूसरी १९-३-६८ को। अभी तक पुलिस की कोई रिपोर्ट नहीं आयी है। लेकिन विभाग की ओर से १७-५-६९ को सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस को लिख दिया गया है कि वे अपनी रिपोर्ट शीघ्र भेजें ताकि कार्यवाही की जा सके।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सहकारी पर्यवेक्षक और मुनीम के क्या नाम हैं तथा मंत्री व्यवस्थापक के विरुद्ध अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? उसमें देर क्यों की जा रही है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

श्री भोलानाथ दोहरे जो व्यवस्थापक थे उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है और बकिया वे लोग जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं उनमें हैं कैलाशचन्द्र दुबे, विश्नुस्वरूप पाठक, राजेन्द्र प्रसाद और उजियारी लाल तिवारी।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

यह केस क्या पुलिस इन्वेस्टीगेशन के लिये दिया गया था ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां, दिया गया था।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह केस पुलिस को तफ्तीस के लिये कब दिया गया और अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

यह तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि १८-३-६७ और १९-३-६७ को जो एफ०आई०आर० दी गई थीं उनकी बिना पर ही वहां के ए०आर० की तरफ से कानपुर के एस० पी० को १७-५-६९ को लिखा गया कि वह इस मामले की जल्द ही जांच करके भेजें ।

विश्वविद्यालय स्तरीय हिन्दी पुस्तकों का निर्माण

*४—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के हिन्दी प्रकाशन की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

विश्वविद्यालय स्तर की हिन्दी में तैयार करने के लिये भारत सरकार की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत इस राज्य में दस अनुवाद अभिकरण १९६२ में स्थापित किये गये हैं। विभिन्न विषयों पर इनके द्वारा हिन्दी में २१ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

अब हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तक निर्माण का कार्य एक स्वायत्त पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा कराया जायगा । भारत सरकार की शत प्रतिशत वित्तीय सहायता से शीघ्र ही एक स्वायत्त निगम इस प्रयोजन से इस राज्य में स्थापित किया जा रहा है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, इस प्रश्न के संबंध में मंत्री जी ने बताया कि १० साल पहले अधिकरण की नियुक्ति की गई थी और केवल २९ किताबें तैयार हुई तो क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जब कि प्रगति की यह रफ्तार है तो इस काम में १०-२०-१०० हजार साल, कितने साल लगेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

योजना तो इतने सालों की नहीं है लेकिन दिक्कत इसमें होती है कि हमारे मूल ग्रन्थ तो लिखे जा सकते हैं लेकिन दूसरी भाषाओं से अनुवाद जो करने होते हैं उनके अनुवाद करने के अधिकार लेने में बहुत देरी होती है, बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जिनका अनुवाद अधिकार लेने में ६-७ और आठ साल लग गये, इस तरह से देरी होती है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना पर कितने लोग काम कर रहे हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री नित्यानंद स्वामी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानून की पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद तथा विशेष रूप हाईकोर्ट की रूलिंग्ज के अनुवाद करने की कोई उनकी योजना है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

हम जो कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं उसमें जितने विषय विश्वविद्यालय स्तर के हैं, कानून, मेडिकल, इंजीनियरिंग या साइंस आदि सब के हिन्दी अनुवाद कराने का प्रयत्न किया जायगा ।

श्री रामधारी (जिला देवरिया)—

यह किताबें जो प्रकाशित हुई हैं उनमें से कौन-कौन किस-किस विषय की कितनी-कितनी हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

विषय की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वह चाहें तो उनके नाम बता सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

वह पूरी लिस्ट आप उनके पास भेज दें, उन का प्रश्न यह था कि किस-किस विषय की हैं ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन २९ पुस्तकों को छापा गया है उनमें से पाठ्य-क्रमों में कौन-कौन सी किताबें विश्वविद्यालय स्तर पर स्वीकार की गई हैं ।

श्री रामजी लाल सहायक—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो विश्वविद्यालय स्तर पर पुस्तकें निकाली जायेंगी, वे अनुवाद की पुस्तकें होंगी या मौलिक पुस्तकें होंगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

वे मौलिक पुस्तकें भी होंगी और अनुवाद की भी होंगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

१७ मार्च को इस सदन में महामहिम राज्यपाल ने अपने सम्बोधन भाषण में यह घोषणा की थी कि विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के हिन्दी में प्रकाशन के लिये एक निगम की स्थापना की जा रही है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इतने दिनों के बाद भी वे आज उन्हीं शब्दों को दुहरा रहे हैं, क्या इस सम्बन्ध में तब से आज तक कोई प्रगति हुयी है ? और उस निगम की स्थापना हो गयी है या नहीं या आप जहां मार्च के माह में थे वहीं आज भी हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

इसमें प्रगति हुयी हैं । इसकी रूपरेखा बन गयी है । चूंकि इसमें आर्थिक बात है अतः वित्त विभाग में इसे भेजना पड़ा । इसलिये अभी तक रूपरेखा ही तैयार हुयी है । जब कोई प्रगति होगी तब हम बतायेंगे ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विकेन्द्रीकरण का प्रस्ताव

*५—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट बोर्ड के विकेन्द्री-करण पर सरकार ने कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो वह कब से लागू होगा ?

श्री रामजीलाल सहायक—

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विकेन्द्रीकरण का प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मुझे दु:ख के साथ फिर यह निवेदन करना पड़ता है कि उस अभिभाषण में भी यह घोषणा की गयी थी और आज जब माननीय मंत्री जी जवाब देने के लिये खड़े हैं वही बात कह रहे हैं । श्रीमन्, इस सम्बन्ध में एक राधाकृष्णन कमेंटी की बैठक १९६५ में हुयी थी जिसमें उन्होंने सिफारिश की थी कि इसके बारे में कार्यवाही की जाय लेकिन आज तक इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनमें यही उत्तर मिल रहा है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की अनिश्चितता क्यों चल रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

श्रीमन, यह एक बड़ा प्रश्न है और समय लगेगा। बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट बोर्ड का जो कानून बना हुआ है, उसमें परिवर्तन करना होगा। इसलिये देर तो लगेगी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि "देर" से उनका क्या अर्थ है ? इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कितना समय लगेगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मेरा अनुमान है हम इस पंचवर्षीय योजना म इस विकेन्द्रीकरण के हिस्से बबलना चाहते हैं, वे पूर्ण हो जायेंगे । यह कार्य एक साथ नहीं हो सकता है । हर वर्ष यह धीरे-धीरे होगा ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या इस योजना का विरोध माध्यमिक शिक्षा परिषद के समस्त कर्मचारियों ने प्रयाग में किया है ? दूसरे, क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् का काम इतना बढ़ गया है कि वहां पर ३०० अतिरिक्त अध्यापकों को बुलाकर नियुक्त किया गया है और वहां पर सारी गोपनीयता कायम नहीं रह सकी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, उसके बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है । जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है काम तो निःसन्देह बढ़ गया है जिसके कारण विकेन्द्रीकरण हो रहा है ।

श्री रामगोपाल संड—

श्रीमन्, सन १९५० में १ लाख विद्यार्थी परीक्षाओं में सम्मिलित हुये थे । इस वर्ष ७ १/२ लाख विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं और वहां पर ३०० कर्मचारी काम करते हैं । कार्य दिन प्रति दिन बढ़ रहा है और इतना बढ़ा है कि जिसके कारण बोर्ड को ३०० अध्यापकों को बुलाकर लगभग १ महीने तक १२ रुपये प्रति दिन के हिसाब से दिया गया है जिसके कारण हजारों परीक्षाफल पहले ही अभिभावकों को प्राप्त हो गये हैं । २८ तारीख को परीक्षाफल छप गया और उस दिन १० बजे बोर्ड की बैठक होनी थी । तो क्या यह लज्जाजनक बात नहीं है ।

श्री रामजी लाल सहायक—

विकेन्द्रीकरण का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसकी मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक––

पहले तो यह है कि जो हाई स्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट बोर्ड की नियमावली है, उसमें परिवर्तन किया जायगा। उसके बाद फिर ऐसा विचार है कि एक केन्द्रीय बोर्ड रहे और उसके ४ सेक्शन हम प्रदेश में कर दें।

केन्द्रीय बोर्ड सब काम करता रहेगा और बाकी अधिक बोझ परीक्षाओं का जो हो गया है वह सब में बंट जायगा।

श्री नगीनासिंह (जिला बलिया)–

यह परम्परा बनती जा रही है प्रश्न का उत्तर देने में "कि प्रश्न विचाराधीन है", "इस पर विचार किया जा रहा है"। मैं यह जानना चाहता हूं कि सही जवाब क्यों नहीं दिया जाता है सरकार की ओर से और इस तरह के जवाब कब तक दिये जाते रहेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री महोदय को नहीं बुलाया गया।)

श्री अनन्तराम जायसवाल––

मंत्री जी ने उत्तर दिया कि इस कार्य को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में पूरा किया जायगा और इसके पहले वाले सत्र में महामहिम राज्यपाल ने घोषणा करते हुए कहा था तो सत्र को प्रारम्भ करते हुए जो घोषणा राज्यपाल करें उसका अर्थ उसी साल के अन्दर कार्य समाप्ति से होता है और मंत्री महोदय पांच साल की अवधि बतलाते हैं तो इन दोनों बातों में किस पर एतबार करें ?

श्री रामजी लाल सहायक––

मैंने पहले निवेदन किया कि बोर्ड के विकेन्द्रीकरण का प्रश्न है, यह एक बड़ा मसला है। यह कहना कि बहुत जल्दी हो जायगा यह नामुमकिन बात है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)––

व्यवस्था का प्रश्न है। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस सरकार की सलाह से सदन को सम्बोधित करते हुए बतलाया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् का विकेन्द्रीकरण होगा और आज शिक्षा मंत्री इस सदन में बतला रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है एक साल में होना। तो आप व्यवस्था देंगे क्या माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो कहा था वह गलत कहा था और सरकार की नीति के विरुद्ध कहा था ?

श्री रामजी लाल सहायक––

मान्यवर, यह एक मोटी-सी बात है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन्हीं बातों का जिक्र होता है जो हो जाती हैं अथवा आगे होने वाली होती हैं। इसलिये यह बात उसमें आई। इसमें कोई गलत बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष––

उसमें कोई निश्चित तिथि नहीं थी कि कब तक यह कार्य पूरा हो जायगा ?

श्री रामजी लाल सहायक––

उसमें केवल इंगित मात्र है कि ऐसा विचार है उसके विकेन्द्रीकरण करने का।

श्री मैनेजर सिंह---

राज्यपाल महोदय जो सम्बोधन करते हैं, उसमें केवल वर्ष भर का हवाला होता है न कि पंचसाला कार्यों का?

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि राज्यपाल जो सम्बोधन करते हैं उसे सरकार ही तैयार करती है। अगर उसमें कोई निश्चित तारीख नहीं दी गयी है और यह कहा गया कि ऐसा हम करने वाले हैं तो मंत्री जी को पूरा अधिकार है कि उस कार्य को वह इस साल करें या अगले सालों में करें। मंत्री जी के खिलाफ अगर आपको कुछ कहना हो तो कह लीजियेगा लेकिन ऐसा कहने का उनको अधिकार है।

श्री मैनेजर सिंह---

राज्यपाल जो सम्बोधन करते हैं, उसमें वे वर्ष भर में होने वाले कार्यों का ही हवाला देते हैं।

श्री अध्यक्ष---

निश्चित समय उसमें दिया है या नहीं यह आप उसमें देख लीजियेगा।

श्री चन्द्रभान (जिला मुजफ्फरनगर)---

कुछ आदमी इतनी ज्यादती करते हैं इस सिलसिले में कि एक ही प्रश्न को पकड़ कर बैठ जाते हैं। कल भी ६ प्रश्न रह गये थे। और भी प्रश्न हैं। उन लोगों को टाइम देने के लिये आपको कुछ कंट्रोल करने की व्यवस्था करनी चाहिये। अभी आपने एक सदस्य को आवाज दी, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों ने उसमें मदाखलत कर के बीच में बोलना शुरू कर दिया।

*६---श्री भगवती सिंह विशारद [३० जुलाई, १९६९ के तारांकित प्र० सं० १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आशापुर कालोनी, जिला मुरादाबाद में सिंचाई कूप

*७---श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिले के ग्राम आशापुर कालोनी में हरिजन एवं पिछड़ी जाति उत्थान के अन्तर्गत जो कुयें लगाये गये हैं, उन पर राज्य सरकार का कितना व्यय हुआ है?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)---

रु० २३,११९ और ७ पैसे।

*८---श्री नौनिहाल सिंह---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि प्रत्येक कुआं कितने क्षेत्रफल की सिंचाई के लिये लगाया गया है?

श्रीमती विद्यावती राठौर---

लगभग १९ एकड़।

श्री नौनिहाल सिंह---

मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उन कुंओं को लगे हुये कितने दिन हो गये और वे अबतक क्यों बेकार पड़े हुये हैं?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

१९६५-६६ में वह कुंये बन कर तैयार हो गये थे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीया मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि २३ हजार रुपया कितने कुंओं के निर्माण पर व्यय हुआ ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

९ ।

श्री नौनिहाल सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब काश्तकार का साधारण कुंआ मय रहट के १३ सौ रुपये में लग जाता है तो फिर बिना रहट के ढाई हजार रुपया प्रति कुंआ व्यय होने का क्या कारण है ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

ये पक्के हैं और ज्यादा गहरा खोदना पड़ा इसलिये इतना खर्च हुआ ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

रुपये २३,११९ जिन कुंओं पर खर्च हुये मेरी सूचना यह है कि ये कुंये बेकार पड़े हुये हैं और इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो इसकी जांच करा के इस विषय में कोई कार्यवाही करने की कृपा मंत्री जी करेंगी ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

जांच जरूर हो जायगी, लेकिन मेरी सूचना है कि ये चालू हैं ।

श्री नौनिहाल सिंह—

जैसा कि मुझे अबतक ज्ञात हुआ है सरकार के कार्य में सिर्फ यही था कि कुंये लगा दिये जायं और रहट वे लोग खुद लगायें लेकिन उनका कहना है कि सरकार की तरफ से कोई ऐसी सूचना उन्हें नहीं दी गयी थी। क्या मंत्री महोदय इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

इसका पता सरकार लगायेगी ।

श्री धर्मसिंह—

क्या माननीया मंत्री जी बतायेंगी कि जो २३ हजार रुपये खर्च हुये उसके अतिरिक्त ग्रामवासियों के द्वारा भी कोई पैसा विभाग को दिया गया ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री हिम्मत सिंह—

जो माननीया मंत्री जी ने अभी बताया कि सभी कुंये चालू हैं, तो वे कौन-कौन से कुंये चालू हैं ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

इसका अलग-अलग विवरण मेरे पास नहीं है ।

*९—श्री भगवती सिंह विशारद—

[३० जुलाई, १९६२ के तारांकित प्र० सं० १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया]।

किंग जार्ज इन्टर कालेज, उतरौला केन्द्र के परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रोका जाना

*१०—श्री सूरजलाल (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६६-६७ में होने वाली हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में जनपद गोंडा के किंग जार्ज विद्यालय, उतरौला के केन्द्र में परीक्षा देने वाले समस्त हाई स्कूल के छात्रों का परीक्षाफल नकल करने के अभियोग में रोक दिया गया था तथा तमाम छात्रों को एक से तीन वर्ष तक परीक्षा में बैठने से वंचित भी कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में स्वयं कोई जांच कराई थी ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सन १९६६-६७ में किंग जार्ज इन्टर कालेज, उतरौला केन्द्र के किसी परीक्षार्थी का परीक्षाफल नकल करने के अभियोग में नहीं रोका गया। जांच का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सूरजलाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९६६-६७ के एक वर्ष पूर्व या बाद में किसी विद्यार्थी के नकल करने पर परीक्षाफल रोका गया था ?

श्री रामजी लाल सहायक—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री सूरजलाल—

श्रीमन, जहां तक मुझे जानकारी है, वह यह है कि इस अभियोग में कम से कम २००-२५० लड़कों का परीक्षाफल रोका गया है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वे कौन-कौन से लड़के हैं और किन अभियोगों में उनका परीक्षाफल रोका गया है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जब आप ६७-६८ के संबंध में प्रश्न करेंगे तो उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री रामगोपाल संड—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ६८-६९ में कितने विद्यार्थियों का अनियमितता के कारण परीक्षाफल रोका गया ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जहां तक मुझे खबर है इस वर्ष अनफेयर मीन्स के २६ हजार केसेज हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त दूबे (जिला जौनपुर)—

श्रीमन, पहले कहा जाता है कि मेरे पास सूचना नहीं है फिर खबर है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस अखबार की खबर है और क्या इस तरह के उत्तर सदन में आने उचित हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि सवाल जो पूछा गया वह ६६-६७ का था लेकिन बीच में अचानक इस सवाल को पूछ लिया गया तो याददाश्त से उन्होंने कहा।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे---

वह कह सकते थे कि सूचना की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष---

हां, उन्हें यही कहना चाहिये था।

श्री गंगेश्वर सिंह---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अनुचित साधनों के कारण जो नकल होती है उसमें विद्यार्थियों का परीक्षा फल रद्द कर दिया जाता है और जो अध्यापक नकल कराने की साजिश में रहते हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ताकि नकल की कम शिकायतें हों ?

श्री रामजी लाल सहायक---

इसके तो नियम बने हुये हैं और इस संबंध में एक समिति जो जांच करके फैसला लेती है इसकी तो पहले से ही व्यवस्था है।

बस्ती जिले में जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता के लिए प्रार्थना-पत्र

*११---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में अक्तूबर, १९६८ से जनवरी, १९६९ के अन्त तक कितने प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों को अस्थायी मान्यता तथा स्थायी मान्यता प्रदान की गई तथा जिन्हें मान्यता दी गई उनके आवेदन-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कब प्राप्त हुये ?

श्री रामजी लाल सहायक---

१---एक प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल को स्थायी मान्यता, तथा छः नवीन स्कूलों को अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त ३३ पहले से अस्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की अस्थायी मान्यता अवधि में वृद्धि की गयी।

२---आवेदन-पत्रों की प्राप्ति के सम्बन्ध में सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २८९ पर)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

क्या ऐसे आदेश जारी किये गये हैं कि जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता न दी जाय ? यदि हां, तो मान्यता देने की जो शर्तें हैं, उनमें ढिलाई करने पर विचार करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक---

श्रीमन्, जैसी अस्थायी मान्यता मिल रही है, वैसी ही मिलती रहेगी।

कुंवर इन्टर कालेज, डिबाई का प्रबन्ध

*१२---श्री हिम्मतसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह कुंवर इन्टर कालेज, डिबाई, जिला बुलन्दशहर के लिये एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की सोच रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

जी नहीं।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुंवर इंटर कालेज, डिबाई में बड़ा भारी गबन और घपला है, इस सम्बन्ध में रिपोर्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने दी हैं तो इस स्कूल में ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाय, क्या उन को ध्यान में रख कर यह निर्णय लिया है?

श्री रामजी लाल सहायक—

स्कूल में, मान्यवर, जब कंट्रोल लगाते हैं तो कई बातें देखनी पड़ती है। इस स्कूल के बारे में सही है कि कुछ शिकायतें आयीं हैं कि काम में गड़बड़ी है। फिर यह भी बात आ गयी विद्यालय निरीक्षक की तरफ से कि स्थिति ठीक हो रही है इसलिये आथराइज्ड कंट्रोलर बिठाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जो अन्तिम रिपोर्ट बतायी है कि निरीक्षक की आ गयी, वह पढ़ कर सुनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

संक्षेप में सुनाइये। यदि लम्बी हो तो सार उसका सुना दीजिये।

श्री रामजी लाल सहायक—

केवल इतना है कि संस्था के रेकार्ड के अनुसार गत वर्षों की अपेक्षा चालू सत्र में अनियमितताओं के निराकरण के सम्बन्ध में काफी प्रगति बतायी गयी हैं; जिला विद्यालय निरीक्षक का अनुमान है कि यदि इसी प्रकार प्रगति होती रही तो संस्था के अधिकारियों के द्वारा भविष्य में दुरुपयोग की सम्भावना नहीं रहेगी और संस्था प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि कौन-कौन सी अनियमितताओं के बारे में पूर्ति कर दी है, स्पष्ट बताऐंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक में गबन

*१३—श्री रियासत हुसैन—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद कोआपरेटिव बैंक के बोर्ड का चुनाव कब तक हो जायेगा ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक के नए बोर्ड का चुनाव अक्टूबर, १९६९ के तीसरे सप्ताह तक संपन्न हो जाने की आशा है।

*१४—श्री रियासत हुसैन—

क्या सहकारिता मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जो गबन के मामले १९६७ में मुरादाबाद कोआपरेटिव बैंक में पकड़े गये थे वह किन-किन लोगों के बारे में थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २९१ पर)

श्री रियासत हुसैन---

मंत्री जी ने बताया कि अक्तूबर के महीने तक उम्मीद है । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अगला एक महीना छोड़ कर अक्तूबर का महीना आ रहा है, तो क्या अब तक बैंक की तरफ से इस किस्म की सूचना जारी हो गयी है जिससे अक्तूबर में उस चुनाव को करा सकें ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

१९ अक्तूबर तक उन्हें बाइलाज अडाप्ट करने थे उन्होंने नहीं किये इस लिए माडल बाई लाज रजिस्ट्रार के लागू हो गये । कानून के हिसाब से ९० दिन के अन्दर चुनाव पूरा होना चाहिये । ९० दिन १९ अक्तूबर को पूरे होते हैं । इसलिए चुनाव जरूर हो जायगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि कितने रुपये के गबन का मामला है और उसमें से कितने रुपये वसूल हो चुके ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

यह तो संलग्न सूची में पूरा दिया गया है । सब है ६६ हजार रुपया । वसूली के लिए कार्यवाही हो रही है । जिन्होंने गबन किया है इसकी सूचना नहीं है कि कितना वसूल हुआ ।

श्री रियासत हुसैन---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ६६ हजार रुपये के गबन की एफ०आई०आर० पुलिस में लाब करायी गयी । उसको एक साल हो गया लेकिन अभी तक इसका इनवेस्टीगेशन शुरू नहीं हुआ, इसका क्या कारण है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

यह तो वहां की पुलिस को लिखा जायगा । वैसे करना चाहिये था ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि "कार्यवाही होरही है" इससे उनका क्या अर्थ है, जबकि एक साल में इन्वेस्टीगेशन नहीं हुआ है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

कार्यवाही की गई है जांच के लिए, जांच हो रही है यह मतलब है, उसके आगे की कार्यवाही बाद में होगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

आप मान्यवर, इस सवाल को सुधार कर जवाब दिला दें । ऐसा तो नहीं है कि गबन के धन को दबाव डालकर राईट आफ कराने का प्रयास किया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

ऐसा कुछ नहीं है ।

बी० बी० डिग्री कालेज, शामली का अनुदान

*१५—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि बी० बी० डिग्री कालिज (पूर्व वैश्य कालेज) शामली, जिला मुजफ्फरनगर के नाम से मार्च, १९६८-६९ में कितना अनुदान दिया गया ? इस कालेज का अनुदान गत कितने समय से रुका हुआ था और क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

विद्यालय को वर्ष १९[illegible]—६९ में कुल ५३,३७४ रुपये ७५ पैसे का अनुदान स्वीकार किया गया। विद्यालय का अनुदान केवल जून १९६[illegible] से मार्च, २२, १९६[illegible] तक रुका रहा क्योंकि विद्यालय सम्बद्धता से वंचित कर दिया गया था ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे विद्यालय को सम्बद्धता से वंचित करने के क्या कारण थे तथा जब आपने रोकी थी उससे पहले वर्ष में इसको कितना अनुदान दिया गया था ?

श्री रामजी लाल सहायक—

इसके लिये कि कितना अनुदान दिया गया सूचना की आवश्यकता है । सम्बद्धता से वंचित किया गया था इसका कारण यह है कि इसके खिलाफ कुछ आरोप थे और इस आधार पर इसकी सम्बद्धता छीन ली गई थी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

आरोप क्या थे, यही मैं जानना चाहता हूं ।

श्री रामजी लाल सहायक—

(१) कालेज की कोई वैधानिक प्रबन्ध समिति नहीं है ।

(२) कालेज की धर्मस्व निधि का रजिस्ट्रेशन कालेज के नाम कराने के बजाय उसका ट्रांसफर ३ अन्य व्यक्तियों को कर दिया गया है ।

(३) कालेज में अध्यापकों की संख्या कम है, जो हैं उनमें से कई निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं हैं ।

(४) कालेज ने सभी अध्यापकों के साथ एग्रीमेंट नहीं भरा है ।

(५) प्रधानाचार्य तथा विभागाध्यक्ष निर्धारित योग्यता प्राप्त न होने पर भी इस पद पर नियुक्त हैं ।

(६) अस्थायी अध्यापकों की सेवायें साल के बीच में समाप्त कर दी जाती हैं और एक आध दिन के बाद उनकी नियुक्ति पुनः की जाती है ।

(७) कालेज के सेक्रेटरी ने विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत प्रधानाचार्य को उनके पद से अवैधानिक ढंग से हटा दिया ।

(८) अर्थ शास्त्र के विभागाध्यक्ष का निलम्बन नियमों के अनुकूल नहीं किया गया ।

(९) चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की संख्या अधिक है ।

(१०) अध्यापकों को उनका निरीक्षक पारिश्रमिक नहीं दिया गया ।

(११) बरसरी तथा स्कालरशिप का रुपया नहीं बांटा गया ।

(१२) राज्य सरकार द्वारा प्राप्त स्टाफ क्वार्टर के अनुदान का नियमानुसार उपभोग नहीं हुआ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतनी गम्भीर शिकायतें होते हुए भी जिनके कारण इसका अनुदान रोका गया था, क्या यह शिकायतें समाप्त हो चुकी हैं, जो उन्होंने अनुदान दिया है या शिकायतें अब भी जारी हैं, मौजूद हैं और उन्होंने फिर भी अनुदान दे दिया ?

श्री रामजी लाल सहायक—

शिकायतों के बारे में पुनः जांच कराऊंगा । हुआ यह कि जब इनका अनुदान रोका गया तो उप निदेशक शिक्षा, मेरठ के यहां से इनके भुगतान के बारे में आया था । एक मांग आई कि अध्यापक बड़े कष्ट में हैं उनका कोई कसूर नहीं है, अनुदान दिया जाय जिससे उनको वेतन मिल सके । इस पर उन्हीं के पालन कोष से अनुदान वितरण करने की इजाजत दे दी गई थी ।

इसी बीच में वे हाई कोर्ट चले गये अपनी रिट ले करके और हाई कोर्ट का फैसला उस संस्था के हक में हो गया । तो फिर लिखा गया कि इसको नियमानुकूल कर दिया जाय । हमने इस बात के लिए न्याय विभाग से पूछा तो उन्होंने संस्तुति की कि जिस तरह से पहले उप निदेशक, शिक्षा, मेरठ भुगतान करते थे, उसी तरह से किया जाय ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जो जांच आपके अधिकारियों ने की ऐसा प्रतीत होता है कि हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, तो क्या आप अपने अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ।

श्री रामजी लाल सहायक—

अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । हाई कोर्ट का फैसला सम्बद्धता के बारे में है और वह अधिकारियों के कार्य के बारे में नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जैसा कि आपने शिकायतों में बतलाया कि यूनिवर्सिटी जिस प्रिंसिपल को स्वीकार करती है, कालेज का मैनेजमेंट उसे स्वीकार नहीं करता है । आपका विभाग भी उसे स्वीकार नहीं करता । तो क्या यह उचित है कि जिसे यूनिवर्सिटी स्वीकार नहीं करती उसे अनुदान दिया जाय ?

श्री रामजी लाल सहायक—

इसके लिये जानकारी करूंगा तब बताऊंगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मंत्री जी ने बताया कि हाईकोर्ट में जो मामला था उसमें केवल इस प्रश्न पर विचार किया गया कि उसको विश्वविद्यालय सम्बद्धता प्रदान करे या न करे लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो गम्भीर बात कालेज के बारे में बताई है और यह भी बताया कि उनकी अभी तक जांच नहीं की गयी तो फिर यह अनुदान फिर से क्यों दिया गया है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मैंने निवेदन किया कि अध्यापकों की तरफ से मांग आयी कि उन पर हार्डशिप क्यों हो तो उनके अनुपालन कोष से उन्हें वेतन देने के लिए व्यवस्था की गयी और हमारे शिक्षा निदेशक इस बात का प्रयत्न करते रहे, केवल इतनी सी व्यवस्था है ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब उनकी शिकायत आयी कि उस पर कोई इन्क्वायरी हो तो क्या उसके पहले अनुदान बन्द कर दिया गया या बाद में ?

श्री रामजी लाल सहायक---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब यूनिवर्सिटी किसी कमेटी को मान्यता देती है, उसको दिया है या कोई नयी कमेटी बनाई गई है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता है।

देवरिया जिले में जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता

*१६---श्री रामधारी---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जनपद में कितने विद्यालय ने कक्षा तक अस्थायी और स्थायी मान्यता के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक को आवेदन-पत्र दिये हैं, और कितने दिनों से ?

श्री रामजीलाल सहायक---

अस्थायी मान्यता के लिए ५ विद्यालयों का मामला विचाराधीन है । विधि के लिए सूचना संलग्न तालिकाओं में अंकित है ।

स्थायी मान्यता के लिए ७ विद्यालयों का मामला विचाराधीन था। उनमें से एक नेशनल जूनियर हाई स्कूल, नवलपुर को १७-६-६९ को प्रदान कर दी गई । अन्य छः के विषय में सूचना संलग्न तालिका 'घ' में दी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २९२ पर)

*१७---श्री रामधारी---

क्या सरकार उन्हें मान्यता देने के प्रश्न पर शीघ्र कुछ निर्णय करेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक---

शीघ्र निर्णय के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश भेज दिये गये हैं।

श्री रामधारी---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह की दरख्वास्तों पर कितने दिनों में निर्णय हो जाना चाहिये ?

श्री रामजीलाल सहायक---

यह कहना तो बहुत कठिन है कि उनकी जांच होती है। जो संस्तुति होती है उसके हिसाब से निर्णय होता है । कभी-कभी वर्षों भी लग सकते हैं ।

श्री रामधारी---

क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि शासन की ओर से कोई समय निर्धारित किया जायगा जिससे अधिकारीवर्ग कोई गड़बड़ न कर सकें।

श्री रामजी लाल सहायक—

अगर माननीय सदस्य कृपया मुझे लिखकर दे देंगे तो मैं देखूंगा, जांच कराऊंगा और बता दूंगा।

श्री धर्मसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या सरकार का सारे उत्तर प्रदेश के लिये ऐसा कोई निर्णय है कि जो जूनियर हाई स्कूल टैम्पोरेरी रिकेग्नीशन मांगते हैं उनको न दिया जाय और परमानेंट ही दिया जाय ?

श्री रामजी लाल सहायक—

इसके पहले प्रश्नोत्तर में मैंने निवेदन किया था कि ऐसा आदेश चला था लेकिन जुलाई से पहले ही वह जा नहीं सका। उसको रोक दिया गया और ऐसा कर दिया गया कि जूनियर हाई स्कूलों को अस्थायी रूप से मान्यता जो अब तक मिलती रही है, वही मिलती रहेगी।

श्री रामधारी—

क्या माननीय मंत्री जी कोई निश्चित समय निर्धारित करने की कृपा करेंगे कि इतने समय में प्रार्थना-पत्र पर कोई आदेश हो जाय ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मैंने निवेदन किया कि आप लिख कर दे दीजिये तो उसको पूछ लेंगे और उसके बाद निश्चित कर दिया जायगा।

प्राथमिक शिक्षकों का वेतन

*१८—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राइमरी शिक्षकों को आवश्यकतानुसार न्यूनतम वेतन (need based wage) देने के विषय में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो क्या ?

श्री रामजीलाल सहायक—

इस प्रकार की कोई नई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। सभी पहलुओं पर विचार कर शासन ने प्राइमरी शिक्षकों की उपलब्धियों में १-७-६८ से वृद्धि की है एवं १-१-६९ से १५ रु० प्रति मास प्रशिक्षित अध्यापकों एवं १० रु० प्रतिमास की अप्रशिक्षित अध्यापकों को तदर्थ वृद्धि स्वीकृत की है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्राथमिक शिक्षकों के वेतन में और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में कितना अन्तर है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री गोविन्दसिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों में जो नान टीचिंग स्टाफ है उनके वेतनमान में वृद्धि करने की कोई योजना है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

योजना तो कोई नहीं है, किन्तु यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो वृद्धि १-७-६८ से की गई है जिसका हवाला दिया गया है, उसके बाद भी प्राथमिक शिक्षकों के वेतन क्या हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक---

प्राइमरी अध्यापक, जो ट्रेन्ड हैं उनको १२५ रुपया प्रतिमास है और जो ट्रेन्ड नहीं है उनको १०० रुपया प्रतिमास मिलता है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्राइमरी अध्यापकों के वेतन-क्रम के सिलसिले में जो सरकारी आदेश महापालिकाओं को गया है उसमें यह लिखा गया है कि महापालिका जो अपना अंशदान देती थी उसमें कटौती करके नये वेतन-क्रम के अनुसार उनको दें ?

श्री रामजी लाल सहायक---

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि प्राथमिक शिक्षकों ने इस प्रश्न पर सरकार से आग्रह किया है और उन्होंने आन्दोलन के लिये भी कहा है यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया ?

श्री रामजी लाल सहायक---

उनकी मांगों को मान लिया गया और अब उसके बाद कोई और मांगें करते हों तो इसकी सूचना सरकार को नहीं है ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

माध्यमिक विद्यालयों के जो कर्मचारी हैं, अध्यापक नहीं हैं केवल उनके वेतन-क्रम निर्धारित नहीं हैं और उनकी संख्या बहुत कम है उनके वेतन क्रम निश्चित कर दिये जायं इस सिलसिले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उनके वेतन-क्रम के विषय में कोई आंकड़े बनाकर सरकार के पास भेजे हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक---

जो कर्मचारी शिक्षक नहीं हैं उनकी मांगें आई हुई हैं । वह बराबर प्रेस कर रहे हैं। अपने साधनों के मुताबिक सरकार जो कर सकती थी किया । अब आगे यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रामगोपाल संड---

माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में जो गैरसरकारी कर्मचारी ३०,००० हैं उनकी सेवा की शर्तों और वेतन-क्रम की दरें कब तक वे निर्धारित करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक---

कब तक की कोई तारीख तो नहीं बता सकता, शीघ्र ही होगा ।

गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों के सेवा नियम

*१९—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों की सेवा नियमों में सुधार व वेतन वृद्धि के लिए कोई पग उठा रही है? यदि हां, तो क्या ?

श्री रामजीलाल सहायक—

सेवा नियमों में सुधार का कोई प्रश्न इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है। जहां तक वेतनमानों में वृद्धि का प्रश्न है, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त सहायप्यिक प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों का उच्चीकरण किया जा चुका है। शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की परिलब्धियों में भी वृद्धि प्रस्तावित है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उत्तर दिया है कि यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है, तो जब उनका आवेदन आपके पास आ चुका है तो उस प्रश्न पर विचार क्यों नहीं हुआ ?

श्री रामजीलाल सहायक—

इसमें कई प्रश्न उलझे हुए हैं, तो यह साबित नहीं होता कि यह विचाराधीन नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं बड़ा स्पष्ट हूं कि विद्यालयों के अन्य कर्मचारियों ने अपनी सेवा शर्तों को फिर से रिवाइज कराने के लिये एक प्रतिवेदन भेजा है और सारे प्रदेश में वे आन्दोलन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने वाले हैं। तो जब प्रतिवेदन के लिये स्वीकार किया कि सेवा शर्तों में परिवर्तन के लिए पत्र आया है तो फिर कैसे कहते हैं कि कौनसा आवेदन है, मैं इस विषय में पूछना चाहता हूं।

श्री रामजीलाल सहायक—

इसमें वेतन वृद्धि तो विचाराधीन है ही और अन्य सेवाओं की जो मागें हैं, तो किन को लेकर कैसा करें, यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह तो उत्तर दे ही दिया कि वेतन वृद्धि विचाराधीन है, उस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन सेवा शर्तों में परिवर्तन की उनकी मांग के संबंध में आपको प्रतिवेदन मिल चुका है तो आप उसको विचाराधीन क्यों नहीं रखे हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक—

यह बहुत लम्बा प्रश्न है, देखना पड़ेगा। हम वही मानेंगे जिसे कर सकते हैं।

उच्च कक्षाओं में कताई-बुनाई की शिक्षा

*२०—श्री हिम्मतसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिये निर्धारित मिनिमम क्वालीफिक्रेशन फार टीचर्स कलेंडर १९५८-६० में पृष्ठ ७२ पर लिखित धारा ३० के अधीन इंटरमीडिएट कक्षाओं तथा हाई स्कूल कक्षाओं को कताई-बुनाई पढ़ाने के लिये निर्धारित योग्यता में अंकित नोट में जिस कोर्स का उल्लेख किया गया है, उसकी पढ़ाई उत्तर प्रदेश में कहां होगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री हिम्मतसिंह---

किसके द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है और कब तक की जायगी ?

श्री रामजीलाल सहायक---

शिक्षा विभाग करता है सूचना एकत्र, कब तक का समय नहीं दे सकता । कोशिश की जायगी कि जल्दी हो ।

जिला विद्यालय निरीक्षक का निलम्बन

*२१---श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)---

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संविद के शासन काल में कितने जिला विद्यालय निरीक्षक अपने पदों से निलम्बित किये गये ? उन पर आरोप क्या थे तथा शासन द्वारा उन्हें क्या दंड दिया गया ?

श्री रामजीलाल सहायक---

एक ।

आरोपों पर अभी जांच हो रही है । अतः उसके बारे में सूचना देना जनहित में ठीक न होगा ।

दंड का प्रश्न अभी नहीं उठता ।

श्री कृष्णस्वरूप---

जो जिला विद्यालय निरीक्षक निलंबित किया गया, वह किस जिले में नियुक्त था, जांच किस के माध्यम से हो रही है और कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री रामजीलाल सहायक---

वे गोंडा जिले में थे और जांच विभाग कर रहा है, जिला विद्यालय निरीक्षक भी हैं और निदेशक शिक्षा भी हैं।

श्री कृष्णस्वरूप---

जांच कब तक पूर्ण हो जायगी ?

श्री रामजीलाल सहायक---

जांच तो जांच है, कुछ तो समय लगेगा ।

श्री शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा)---

क्या यह सत्य है कि वहां पर संविद सरकार के जमाने में उनके एक प्रभावशाली सदस्य के प्रेशर डालने के कारण एक आर० एस०एस० के व्यक्ति को प्रिंसिपल बनाया गया और इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी ?

श्री रामजीलाल सहायक---

मेरी सूचना में यह नहीं है।

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या २१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

मेरठ तथा बुलन्दशहर जिलों में क्रीम व खोया बनाने पर पाबन्दी

*२२—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सहकारिता मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि केंद्रीय सरकार ने जो पाबन्दी क्रीम, खोया बनाने पर १५ अप्रैल, सन् १९६९ से मेरठ व बुलन्दशहर जिलों पर लगाई है, क्या उस संबंध में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से स्वीकृति ली है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां ।

जूनियर हाई स्कूल, जाफरपुर के अध्यापकों का शिकायती-पत्र

*२३—श्री दर्लासिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २० जनवरी, १९६९ को जूनियर हाई स्कूल जाफरपुर, जिला आजमगढ़ के कितने अध्यापकों ने शिक्षाधिकारी, जिला परिषद् आजमगढ़ के यहां लिखित शिकायती आवेदन-पत्र कुछ सरकारी शिक्षा निरीक्षकों के विरुद्ध दिया था ? यदि हां, तो उस पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

*२१—श्री दर्लासिंगार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिकायती-पत्र की जांच कब और किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा किन-किन व्यक्तियों का साक्ष्य लिया गया तथा परिणाम क्या निकला ?

श्री रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*२५—श्री वीरेन्द्र वर्मा

[४ थे मंगलवार के ता० प्र० सं० ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जिला परिषद् से प्राथमिक शिक्षा अलग न करना

*२६—श्री कृष्णस्वरूप—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला परिषदों से प्राथमिक शिक्षा (Primary Education) को अलग करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राथमिक शिक्षा के लिये अलग से बोर्ड की रचना का विचार कर रही है ?

श्री रामनी लाल सहायक—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दुर्गासिंह चौहान, अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय, नरवल के पदोन्नति आदेश का निरस्त किया जाना

*२७—श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, सन् १९६८ में चतुर्थ मंडल, इलाहाबाद के राजकीय आदर्श विद्यालयों के कुछ सहायक अध्यापकों की पदोन्नति की गई थी ? यदि हां, तो क्या उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा की जायगी ?

श्री रामजीलाल सहायक--

जी हां, केवल एक सहायक अध्यापक जिनका नाम श्री दुर्गा सिंह चौहान है, की पदोन्नति की गई थी।

*२८—श्री ज्वाला प्रसाद कुरील—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त पदोन्नति के आदेशों में बाद में कोई परिवर्तन किया गया था? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां। पदोन्नति के आदेश को निरस्त करने का कारण यह था कि जिस प्रबन्ध में श्री दुर्गा सिंह चौहान, सहायक अध्यापक, राजकीय आदर्श विद्यालय, नरवल, कानपुर को पदोन्नति दी गई थी वह बाद में प्रशासकीय कारण से समाप्त कर दिया गया था और इसके अतिरिक्त श्री चौहान कानपुर से बाहर पदोन्नति पर जाना नहीं चाहते थे।

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्य

*२९—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--

क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि प्रदेश में दूध उत्पादन तथा दूध सप्लाई की दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही अब तक की गई है और चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या प्रस्ताव है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २९३ पर)

*३०—श्री गेंदासिंह—

क्या सरकार के पास जिलेवार दूध उत्पादन तथा आवश्यकता के आंकड़े उपलब्ध हैं? यदि हां, तो उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा की जायगी?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

प्रश्नगत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

जिला सहकारी संघ लिमिटेड, मेरठ पर कथित ऋण

*३१—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन, मेरठ पर सरकार का कितना कर्ज कितने समय से बकाया है, और कितना कर्ज सरकार द्वारा उसे दिया गया है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जिला सहकारी संघ लि०, मेरठ को सरकार द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया है अतः ऋण के बकाया पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षकों का महंगाई भत्ता

*३२—श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षकों द्वारा चलाये गये आन्दोलन के समझौते में मुख्य सचिव ने बढ़ा महंगाई भत्ता १ अगस्त, सन् १९६८ से देने को कहा था, किन्तु आदेश जनवरी, १९६९ से देने का हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामजीलाल सहायक—

शासन और माध्यमिक शिक्षक के बीच हुए समझौते में महंगाई भत्ता दिये जाने की किसी तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था । तथापि, १-१-१९६९ से बढ़ा महंगाई भत्ता दिये जाने के निर्णय को संशोधित कर १-१-१९६८ से ही दिये जाने के आदेश कर दिये गये हैं।

जिला हरिजन कल्याण विभाग, बस्ती द्वारा कोषागार से निकाला गया धन

*३३—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हरिजन कल्याण विभाग, बस्ती द्वारा फरवरी तक मार्च, १९६९ में कोषागार से कितना रुपया निकाला गया, तथा मार्च, अप्रैल व मई, १९६९ में कितने रुपये का भुगतान किया गया ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

फरवरी तथा मार्च १९६९ में क्रमशः रु० १,७१०.८० तथा रु० १,२०,०५३.५० निकाले गये तथा मार्च, अप्रैल व मई १९, में क्रमशः रु० ६४,५३५.२६ पै० रु० २९, ६८७-५३ पै० तथा रु० २७,५४४-४६ पै० का भुगतान किया गया ।

हरिजन तथा आदिम जातियों के क्षेत्रों में पेय जल के लिए धन

*३४—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बतायेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शासन द्वारा क्या ८५ लाख (पचासी लाख) रुपये का प्राविधान अलग से हरिजन तथा आदिम जातियों के क्षेत्रों में पेय जल के लिये रखा गया है ? यदि हां, तो इसमें पर्वतीय जिलों के प्रत्येक जिले को कितनी-कितनी धनराशि देने का विचार है ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

जी हां । निम्नांकित पर्वतीय जिलों में पेय जल हेतु प्रत्येक के सन्मुख लिखित धनराशि देने का लक्ष्य है :

	(धनराशि लाख रु० में)
१—देहरादून	४.२००
२—नैनीताल	२.९८०
३— अल्मोड़ा	०.८८०
४—गढ़वाल	०.३२०
५—टेहरी-गढ़वाल	०.२४०
६—पिथौरागढ़	१.०००
७—चमोली	०.३४०
८—उत्तरकाशी	०.६६०
योग ..	१०.६२०

शिक्षा संस्थाओं में शुल्क वृद्धि करने पर विचार

*३५—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने समस्त प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों, हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट कक्षाओं में शुल्क-वृद्धि करने का निर्णय ले लिया है और यह शुल्क वृद्धि प्रत्येक कक्षा में कितनी होगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

प्रश्न अभी स्थगित है।

त्रिभाषा सूत्र

*३६—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा में एवं माध्यमिक कक्षाओं में त्रिभाषा फार्मूला पूर्णतः लागू है तथा क्या सरकार तामिल, तेलगू, कन्नड़ या मलयालम किसी दक्षिण भारत की भाषा की पढ़ाई अनिवार्य करने जा रही है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

त्रिभाषा सूत्र मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल तथा माध्यमिक स्कूलों के कक्षा ६, ७ तथा ८ में पूर्णतः लागू है। हिन्दी के अतिरिक्त दूसरी किसी अन्य भाषा की पढ़ाई अनिवार्य करने का काई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*३७—श्री प्रेमनारायण—

[३रे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया]

विकास खंड, कुड़वार में सहकारी समितियों का ऋण तथा गबन

*३८—श्री राम प्यारे शुक्ला (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले में सहकारी समितियां ऊंचगांव, मझना, बबुरी और नरोत्तमपुर विकास खण्ड, कुड़वार में जिला सहकारी बैंक से वित्तीय वर्ष, १९६७–६८ में दिये गये ऋण के धन का गबन हुआ है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

वर्ष १९६७–६८ में बबुरी सहकारी समिति विकास खण्ड, कुड़वार, जिला सुल्तानपुर को जिला सहकारी बैंक से प्राप्त ऋण में से कुछ धन का गबन विशेष संप्रेक्षण प्रतिवेदन द्वारा प्रकाश में आया। परन्तु सहकारी समितियां ऊंचगांव, मझना व नरोत्तमपुर द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण में से गबन की कोई सूचना नहीं है।

*३९—श्री राम प्यारे शुक्ला—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले के विकास खण्ड, कुड़वार की सहकारी समितियां, ऊंचगांव, मझना, बबुरी और नरोत्तमपुर की १९६६–६७ एवं १९६७–६८ में जिला सहकारी बैंक से कितना ऋण दिया गया और अब तक कितनी वसूली हो चुकी है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ २९५ पर)

सहकारी बैंकों के अधिकारियों का कथित प्रान्तीयकरण

*४०—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार जिला सहकारी बैंकों के व्यवस्थापक (मैनेजर), आंकिक (एकाउन्टेंट) तथा अधिशासी अधिकारी (एक्जीक्यूटिव आफिसर) के पदों का प्रान्तीयकरण करने का विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

*४१—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*४२-४३—श्री शंभूनाथ चौधरी—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४४—चौधरी श्री राम पाल सिंह यादव—

(३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।)

अतारांकित प्रश्न

मेहरौना ग्राम में हरिजनों के लिये घर

१—श्री दीपनारायण—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम महरौना, विकास क्षेत्र देवरिया में हरिजनों के कितने घर इस विभाग की सहायता से १९६० से १९६२ के अन्तर्गत बने थे ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

वर्ष १९६० से १९६२ की अवधि में एक भी घर नहीं बना।

टेहरी गढ़वाल में बिना भवन की शिक्षा संस्थायें

२—श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल में कितने बेसिक स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिनके पास भवन नहीं हैं ? क्या निकट भविष्य में सरकार इनके लिये भवन बनाने की योजना बना रही है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

४० बेसिक स्कूल और ३ जूनियर हाई स्कूल।

टेहरी-गढ़वाल के प्राइमरी तथा जूनियर स्कूलों को जिला परिषद् को हस्तान्तरित करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है और अंतिम निर्णय के उपरान्त यह फैसला होगा कि इन भवनों की मरम्मत सरकार द्वारा होगी या परिषद् द्वारा।

जिला विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा कोषागार से धन निकालने में कथित अनियमितत

३—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मंत्री को इसकी जानकारी है कि प्रदेश में अनेक स्थानों पर जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा विद्यालयों के लिये ग्रांट-इन-एड तथा छात्रों के लिये छात्रवृत्ति का धन जिला कोषागार से निकालते समय राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति का पूर्ण विवरण कोषागार प्रमुख को नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो उसका रोकथाम के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री रामजीलाल सहायक--

इन प्रश्न का उत्तर देने से जो लाभ होगा वह इसके लिये सूचना एकत्रित करने में निहित श्रम तथा व्यय के समतुल्य न होगा ।

गोरखपुर जिले के एक विद्यालय को कथित विशेष अनुदान

*४--श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गिरजा शंकर विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाराजगंज, जनपद गोरखपुर को १९६८-६९ में विशेष अनुदान दिया गया है ?

श्री रामजीलाल सहायक--

महाराजगंज, गोरखपुर में इस नाम का कोई विद्यालय नहीं है । वहां गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इन्टर कालेज, नाम का एक विद्यालय है जिसे १९६८-६९ में कोई विशेष अनुदान नहीं स्वीकृत किया गया ।

श्री दीपनारायण मणि--

पहले नंबर पर मेरा अतारांकित प्रश्न था, उसका उत्तर मुझे नहीं मिला, क्या उसका उत्तर नहीं भिजवाया गया ?

श्री अध्यक्ष--

मैं आपके पास भिजवा दूंगा।

भूतपूर्व सदस्य, श्री द्वारका प्रसाद मित्तल के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--

मुझे एक दुःखद समाचार यह प्राप्त हुआ है कि हमारे एक पुराने साथी जो १० वर्ष तक विधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, श्री द्वारका प्रसाद मित्तल, जो मुजफ्फरनगर के निवासी थे, २३ जुलाई को उनका स्वगवास हो गया है। हममें से बहुत से साथी उनको वर्षों से जानते थे क्योंकि वे उन कार्यकर्ताओं में से थे, जिन्होंने देश में आजादी के सिलसिले में चलाये गये बहुत से गांधी जी के आन्दोलनों में हिस्सा लिया और वे कई बार जेल गये तथा नाना प्रकार की यातनायें सहीं। वे मुजफ्फरनगर के एक प्रसिद्ध वकील भी थे और वहां पर वकालत करते थे। वे कुछ दिन से बीमार थे और उसी बीमारी में ही उनका निधन हो गया। हम सब को उनके निधन से दुख है। हम अपनी समवेदना और सहानुभूति उनके दुखी परिवार वालों के पास भेजना चाहते हैं। आप से, अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि आप हमारी समवेदना उनके घर वालों तक पहुंचाने की कृपा करें और माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हम सब दो मिनट मौन खड़े रह कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें।

*श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय गुप्ता जी ने इस सिलसिले में जो कुछ फरमाया है, मैं और मेरे सभी साथी, उससे अपने को सम्बद्ध करते हैं। मेरा और मेरे बहुत से साथियों का उनसे व्यक्तिगत परिचय था, मेरे जिले के तो वे पड़ोसी थे। उनके निधन से राष्ट्रीय संग्राम के सैनिकों में से एक और चला गया और वह पंक्ति और छोटी हो गयी। वे यही नहीं कि राजनीतिक कार्यकर्ता ही थे, बल्कि शिक्षण सस्थाओं में भी वे भाग लेते थे। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि राजनीतिक मतभेद चाहे किसी प्रकार का कितना ही रहा हो, मगर लोगों में वे बहुत प्रिय थे। वे बहुत जनप्रिय व्यक्तियों में से थे। मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि हम सब की ओर से हमारी समवेदना उनके परिवार वालों तक पहुंचाने की कृपा करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, जो नेता सदन तथा नेता विरोधी दल ने भावनायें व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री द्वारका प्रसाद मित्तल के निधन से हमें बड़ा दुख है। हम भी उनको जानते थे, वे बड़े सरल और कर्मठ कार्यकर्ता थे। मान्यवर, हम लोगों की भावनायें उनके संतप्त परिवार तक पहुंचा देने की कृपा करें।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, श्री गुप्ता जी, चौधरी साहब और त्रिपाठी जी ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आप से निवेदन करता हू कि मेरा दुख और समवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचा देने की कृपा करें।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

अध्यक्ष महोदय, नेता सदन तथा अन्य विरोधी दल के नेताओं की तरफ से जो भावनायें व्यक्त की गयी हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि उनके संतप्त परिवार को हमारी तरफ से धीरज बंधाने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, श्री द्वारका प्रसाद मित्तल के निधन पर जो नेता सदन ने तथा अन्य दल के नेताओं ने इजहारे अफसोस किया है, उससे मैं अपने को और अपनी पार्टी को सम्बद्ध करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुय आशा करता हूं कि आप हम लोगों का इजहारे अफसोस उनके दुखी परिवार तक पहुंचा देने की कृपा करेंगे।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय अध्यक्ष, माननीय नेता सदन तथा हमारे अन्य दल के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने निर्दलीय साथियों को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, श्री द्वारका प्रसाद मित्तल के शोक संतप्त परिवार तक हमारी और हमारे निर्दलीय साथियों की समवेदना पहुंचा देने की कृपा करें।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जो स्वर्गीय द्वारका प्रसाद मित्तल के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा है, उससे मैं अपने को और अपनी पार्टी को सम्बद्ध करता हूं। श्री द्वारका प्रसाद मित्तल जो हमारे सदन के एक योग्य सदस्यों में ही नहीं थे बल्कि एक अच्छे योग्य वकील भी थे, उनकी ख्याति अच्छे वकीलों में मानी जाती थी और वे हमारे प्रदेश के योग्य विधायकों में से एक रहे। मेरा उनसे निजी सम्पर्क था। मैं उनके निधन पर हार्दिक शोक प्रकट करता हूं। और माननीय नेता तथा सदन के अन्य नेताओं ने जो समवेदना प्रकट की है, उससे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

श्री द्वारका प्रसाद मित्तल के निधन पर हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी, नेता विरोधी दल तथा अन्य दल के नेताओं ने इस सदन की ओर से जो भावनायें और समवेदना व्यक्त की हैं, उनसे मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं श्री द्वारका प्रसाद मित्तल को अच्छी तरह जानता रहा। एक तो राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता थे ही, देश के स्वराज्य की लड़ाई में वे शामिल हुये थे। साथ ही जब इस सदन में वे आये तो सन् १९४७ से १९५७ तक यहां रहे और वे बड़े योग्य सदस्यों में रहे। वे अच्छे वकील थे, इस वास्ते हम लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि वे हमारे यहां की डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी के अध्यक्ष बनें। वे करीब ८-९ साल तक उसके अध्यक्ष बने रहे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वे अक्सर बीमार रहते हैं, कुछ हाथ-पैर भी कांपने लगे थे, इसलिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके स्थान पर दूसरे को उस समिति का अध्यक्ष बनाना पड़ा। फिर भी उसके बाद सन् १९५७ के बाद भी जब वे चुनकर आये तो उनको वह काम दिया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। जो भी काम उनको सौंपा गया, उसको उन्होंने बड़ी योग्यता के साथ पूरा किया। जिस तरह से क्लस बनते थे और सरकारी लेजिस्लेशन के अन्तर्गत जो भी नुक्स होते थे, सरकार की तरफ से जो त्रुटियां रह जाती थीं, उनको वे बतलाते थे और उन त्रुटियों को दूरुस्त करवाते थे। वे ऐसे देश सेवी और समाज सेवी व्यक्ति थे जो कि शिक्षा क्षेत्र में भी दिलचस्पी रखते थे। उनके जाने से जो अपने प्रदेश का नुक्सान हुआ, उसकी पूर्ति होना भी मुझे ऐसा लगता है, सम्भव नहीं है। एक-एक करके पुराने योद्धा खत्म हो रहे हैं। सदन को दुख होना स्वाभाविक है। मुझे भी बहुत दुख है। आपकी ओर से अपनी भावनाओं तथा आपकी भावनाओं को उनके कुटुम्बियों को भेज दूंगा। अब दो मिनट के लिये खड़े होकर परमात्मा से प्रार्थना करें उनकी आत्मा की शान्ति के लिये।

(सभी सदस्य २ मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

ध्वनिवर्द्धक यन्त्रों में वृद्धि करने की प्रार्थना

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर काल में आप प्रथम पंक्ति वालों पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं और पिछली पंक्ति वालों पर आपका ध्यान ही नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि हमारे सदन में ध्वनिवर्द्धक यंत्रों की संख्या बहुत कम है और सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। जो पीछे बैठने वाले सदस्य हैं उनको बोलने में कठिनाई होती है। आप यह निर्देश दें कि ध्वनिवर्द्धक यंत्र अधिक मात्रा में लगाये जायं।

श्री अध्यक्ष—

कोशिश करूंगा। पिछली बफा जो सदन बैठा था उस वक्त सुनाई कम देता था। उसके बाद दो तीन महीने प्रयत्न करने के बाद सुधार हुआ और विरोधी दल के नेताओं से भी कहा कि देख लीजिए कि कुछ सुधार हुआ? उन्होंने कहा कि सुधार हुआ है। पहले यहां पर तो श्रीमती बाजपेयी जी जब बोलती थीं तो उनकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती थी। इस तरह की चीजें हैं इन्हें मैं दूर करने का प्रयत्न करूंगा, जो कुछ बन सकेगा। लेकिन इसमें खास-तौर से गवर्नमेंट को ज्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिये, यह मैं कहूंगा। क्योंकि आखिर यह काम जो किया जाता है वह उन्हीं के डिपार्टमेंट की तरफ से इसके ऊपर निरीक्षण किया जाता है। इसलिये मैं कहूंगा कि इसकी जांच करें और इसे ठीक करा लें।

उद्योग मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

इसका इन्तजाम करा देंगे।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

यह शिकायत पिछले अधिवेशन से बराबर बनी रही है। पिछले सदन में जो व्यवस्था थी, चाहे वह जिसके द्वारा रही हो वह संतोषजनक रही है। इस बार की व्यवस्था ज्यादा संतोषजनक नहीं है। यह मेरी ही भावना नहीं है, इस सदन के समस्त सदस्यों की यह भावना है कि इसका सुधार क्यों नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—

पहले जो कान्ट्रैक्टर थे, अब की बफा उन्होंने प्रार्थना-पत्र ही नहीं दिया इसलिये दूसरे से करवाना पड़ा है। अगर गवर्नमेन्ट पहले कान्ट्रैक्टर को बुलवाकर उसके सुपुर्द करना चाहती है, तो वह कर सकती है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

यह व्यवस्था गवर्नमेंट से संबंधित है या आपके सचिवालय से ?

श्री अध्यक्ष--

उस इन्तजाम की देख-रेख इन्हीं के पास है हमारे पास नहीं है ।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--

मेरा निवेदन यह है कि जो पहला कान्ट्रैक्टर था, उसके साथ अन्याय हुआ है..

श्री अध्यक्ष--

यह बात नहीं है । आप मेरे कमरे में बतला दीजिये ।

सदन में राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर लगाने की प्रार्थना

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, यह जो नेशनल फ्लैग लगा हुआ है क्या वह गला हुआ है ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें दिक्कत क्या है ?

श्री नौनिहाल सिंह--

"At a meeting the Flag should be behind the Speaker and high above his head and above all other decorations."

अब इन डेकोरेशन्स में घड़ी भी डेकोरेशन है और महात्मा गांधी जी का जो चित्र है वह भी डेकोरेशन है । फ्लैग को इन सबके ऊपर होना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस पर विचार कर लूंगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

इस फ्लैग को कभी-कभी धुला दिया जाया करे, तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको देख लूंगा ।

दि डीलिमिटेशन आफ पार्लियामेण्टरी ऐंड असेम्बली कांस्टीट्यूएंसीज आर्डर, १९६६†

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित "दि डीलिमिटेशन आफ पार्लियामेंटरी एण्ड असेंबली कान्स्टीट्एन्सीज आर्डर, १९६६" की अधिकृति प्रति को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा ८ की उपधारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर, रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आया है। यह प्रश्न उस वक्त आया जब मैं एक मीटिंग में था। उस मीटिंग में इस बात पर विचार हो रहा था कि समय का बंटन किस प्रकार से किया जाय। इसलिये मैं उसको पढ़ नहीं सका। इससे मैं उस पर अपना फसला कल दूंगा, इसके लिये फिर से सूचना देने की आवश्यकता न होगी। मैं पढ़ने के बाद उसके बारे में कुछ निश्चय करूंगा और जो आज प्रश्न आया है, उसके बारे में भी यही बात है।

कल एक बांकेलाल जी की शिकायत आयी थी, डाक्टर सीताराम जी के विरुद्ध उसके बारे में उनसे मैंने उत्तर मांगा था। उनका उत्तर आ गया है। मैं उस प्रश्न और उत्तर को पढ़ कर सुना दूंगा। उत्तर अभी आया है। अभी मैंने उसको पढ़ा नहीं है। इस समय बजट पर विचार करने का समय है, इसलिये बाद को ज्यादा समय लेकर मैं उसको सुना दूंगा।

ग्राम चिलवारा, थाना खैराबाद में ११ व्यक्तियों को आग से जलाकर मारने के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

कल ११ व्यक्तियों को जलाये जाने के संबंध में एक प्रश्न था, उसके संबंध में माननीय मुख्य मंत्री यदि इस समय सूचना देना चाहें तो दे दें।

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्र भानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, २७ मार्च, १९६९ को ग्राम चिलवारा, थाना खैराबाद, जिला सीतापुर में ११ व्यक्तियों को आग से जला कर मार डालने की दुःखद घटना के ३ मास पहले (१९-१२-६८) इसी ग्राम के एक श्री इब्राहीम के घर में डकैती पड़ी थी। डकैती में इब्राहीम मारे गये थे। ग्राम के प्रधान, श्री यार अली तथा अन्य कुछ लोगों को शक था कि इस डकैती के पीछे श्री मकबूल, पुत्र जुल्फिकार का हाथ था। इस शक का आधार यह था कि श्री मकबूल ने अपने बहनोई के ग्राम अतरा महादेव में अपने बहनोई से यह डींग मारी थी कि उक्त डकैती उसी ने डलवाई थी। इस बात की भनक ग्राम के प्रधान व अन्य ग्रामवासियों के कान में पड़ी थी। श्री यारअली, प्रधान ने कुछ लोगों को ग्राम अतरा इसलिये भेजा कि वे श्री मकबूल की डींग की पुष्टि करें। इसके पश्चात् श्री यार अली प्रधान ने पंचायत का आयोजन किया। जिसमें मकबूल व उसके पिता श्री जुल्फिकार भी आय। श्री जुल्फिकार अली ने पंचायत के सामने अपने पुत्र, मकबूल को थप्पड़ मारे। उसने तथा उसके पुत्र ने माफी भी मांगी। दूसरी पचायत २७ मार्च, १९६९ की घटना के १५ दिन पहले बुलाई गई। इस पंचायत में मकबूल नहीं गया बल्कि वह सीतापुर गया जहां उसने तथा उसके २ भाइयों ने जिलाधिकारी के कार्यालय में अपना शिकायती-पत्र, दिनांक १२ मार्च, १९६९ को दिया। इस शिकायती-पत्र में यह आशंका प्रकट की गई थी कि पुलिस तथा ग्राम प्रधान मिलकर उसे तथा उस के भाइयों को इब्राहीम के घर से १९-१२-६८ को पड़ी डकैती में गलत फंसा न दें। इस शिकायती-पत्र की जांच उस पुलिस अधीक्षक द्वारा ३ अप्रैल, १९६९ को आरम्भ की गई तथा १४ अप्रैल, १९६९ को समाप्त हुई। २०-३-६९ से मुहर्रम ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण उप पुलिस अधीक्षक अपनी जांच पहले न कर सके। शिकायती-पत्र के तीन प्रार्थीगणों में से २ (मकबूल व तुराब) की हत्या दिनांक २७ मार्च, १९६९ की घटना में अन्य ९ व्यक्तियों के साथ जलाकर कर दी गई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

थी। तीसरे प्रार्थी शमशेर से पूछताछ करने पर उन्होंने अपनी आशंका की पुष्टि की कि उन्हें डर था कि ग्राम के प्रधान उन्हें पुलिस से मिलकर इब्राहीम के घर पड़ी डकैती में न फंसा दें। चूंकि इस प्रार्थना-पत्र में शांति भंग होने या जान व माल के खतरा होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया था इसलिय जो दु:खद घटना हुई उसके संबंध में कोई निवारक कार्यवाही करन का प्रश्न नहीं उठा। इस प्रार्थना-पत्र की जांच केवल इब्राहीम के घर डकैती के मुकदमे के सिलसिले में की गई, यह सुनिश्चित करने के लिय कि प्रार्थीगण झूठमूठ उक्त डकैती के मुकदमे में न फंसा दिये जांय जैसी कि उनकी शंका थी।

२—यह सच है कि २७ मार्च, १९६९ को मुख्य मंत्री जी सीतापुर गये थ जहां वे लगभग ७ बजे शाम को पहुंचे थे तथा लगभग सवा नौ बज लखनऊ के लिये रवाना हो गये थे। ग्राम बिलवारा में आग से जलकर ११ व्यक्तियों को मार डालने की घटना का आरम्भ ५ १/२ बज हुआ। इस घटना की सूचना थाना खैराबाद पर रात को साढ़े ९ बजे प्राप्त हुई। मुहर्रम ड्यूटी के सिलसिले म तहसीलदार, सदर उसी समय थाने पर पहुंचे थे। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार, सदर पुलिस कर्मचारियों क साथ घटना स्थल पर गये। घटना स्थल थाना खराबाद से सीधा ६ मील दूरी पर है परन्तु मोटर के रास्ते से यह दूरी १० मील से ऊपर है। रात के लगभग २ बजे तहसीलदार, सदर पुलिस कर्मचारियों को घटना स्थल पर छोड़कर स्वयं सीतापुर आये जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक से संपर्क स्थापित किया। जिला मैजिस्ट्रेट दौरे पर देहात गये हुए थे। पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन व कुछ पुलिस कर्मचारियों के साथ तुरन्त घटना-स्थल पर गये। उन्होंने पुलिस लाइन्स से अतिरिक्त फोर्स भेजने की भी व्यवस्था की।

३—२८ मार्च, १९६९ को प्रात: ८ बजे जिला मैजिस्ट्रेट ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा सीतापुर वापस लौटने पर उन्होंने गृह सचिव को घटना की सूचना दी। साथ में यह भी सूचित किया कि कई अभियुक्त गिरफ्तार हो चुक हैं। गृह सचिव न इस मामले में प्रभावकारी कार्यवाही करने व इस बात की व्यवस्था करने के कि इस घटना क साम्प्रदायिक होने का भ्रम न उत्पन्न हो आदेश उन्हें दिये। गृह सचिव ने २८ मार्च, १९६९ को ही इस घटना से मुख्य मंत्री जी को भी अवगत कराया तथा उन्हें बताया कि टेलीफोन पर जिला मैजिस्ट्रेट को उपरोक्त उल्लिखित आदेश दिये गये हैं। मुख्य मंत्री ने गृह सचिव को इस बात के लिये सतर्क रहन को कहा कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग गलत तरीके से न दिया जा सके इसकी व्यवस्था होनी चाहिय तथा अभियुक्तों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्यवाही की जाय। इस घटना में थाने पर जो रिपोर्ट दिखाई गई उसमें ७८ अभियुक्त गिरफ्तार कर लिये गये। २९ मार्च, १९६९ को एक और अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। एक अभियुक्त २९ अप्रल, १९६९ को अदालत म हाजिर हुआ। दो अभियुक्त २ मई, १९६९ को अदालत में हाजिर हुए। दो मगोड़े अभियुक्तों के विरुद्ध ९ मई, १९६९ को धारा ८७—८८ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कायवाही की गई। इन सभी ७८ अभियुक्तों क विरुद्ध ९ जुलाई, १९६९ को चार्जशीट अदालत भेज दी गई तथा यह मुकदमा अब अदालत के विचाराधीन है तथा सब-जुडिस है।

(श्री चरण सिंह के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

अगर इसके ऊपर कोई चर्चा करना है तो आपको नोटिस देना होगा बका ४९ के मातहत क्योंकि यह प्रश्नों के समय इस विषय पर बयान देने को कहा गया था। यदि आप चाहते है कि इस पर आधे घंटे का विवाद हो जाय तो आप नोटिस दें और मैं इजाजत दे दूंगा। इसके इस वक्त आपका समय नहीं जायेगा।

एक सदस्य—

श्रीमन्, नोटिस आपके यहां पहुंच चुका है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, मैं देख लूंगा और इजाजत दे दूंगा।

१९६९–७० के आय-व्ययक पर समान्य विवाद (क्रमागत)

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)––

अध्यक्ष महोदय, बजट में जो सुधार किये गये हैं, उनके लिये तो मैं सरकार को और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। उनका यह प्रथम प्रयास था, जिसे सफल कहा जा सकता है। श्रीमन्, "लक्ष्मी" का विभाग लक्ष्मी रमण के सुपुर्द किया गया है तो यह उचित ही था लेकिन "लक्ष्मी" और "आचार्य" का कहीं-कहीं विरोधाभास दिखाई देता है क्योंकि "आचार्य" सरस्वती का प्रतीक है। तो सरस्वती और लक्ष्मी दोनों में विरोधाभास मालूम होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे वित्त मंत्री जी इसका समन्वय करके, इसम उचित मार्ग बतायग।

अध्यक्ष महोदय, कल मैंने यह निवेदन किया था कि बजट बनाने का जो तरीका है, उसमें सुधार करने की अभी आवश्यकता है। इसलिये सरकार को बैठ कर उन पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या-क्या सुधार किये जायं। बजट बनाने के तरीकों में जो गलतियां हैं, उनके बारे में, मैंने सूक्ष्म रूप से संकेत किया था। आज मैं उसे कार्यान्वित करने के रूप में कुछ बातों की ओर संकेत करना चाहता हूं, जिसकी वजह से हमें वे सब लाभ नहीं प्राप्त होते हैं जो कि होने चाहिये। एक तो यह है कि स्वीकृति की सूचनायें विभागों को बहुत देरी से दी जाती हैं। दूसरे ये जो खर्चे होते हैं, वे अधिकतर विभाग वालों द्वारा वर्ष के अतिम भाग में होते हैं। वर्ष के बड़े भाग तक तो वे चुप बठे रहते हैं और जब वर्ष का अन्त होने लगता है तो उसे जल्दी-जल्दी में खर्च किया जाता है। नतीजा यह होता है कि हमें उस धनराशि का उचित प्रयोग नहीं मिलता है। तीसरी बात यह है कि टेक्निकल परसोनेल की सप्लाई करने में भी काफी विलम्ब किया जाता है। अब यह जो चतुर्थ नियोजन का प्रथम वर्ष है, हमें कुछ बातों की तरफ नियोजन के तरीकों पर विचार करने की बहुत जरूरत है। मैं साफ तौर से कहूंगा कि एक तो गवर्नमेंट आफ इंडिया से योजना की स्वीकृति काफी देर से मिलती है, दूसरे कभी-कभी फारेन एक्सचेंज की वजह से हमारे बहुत से काम रुक जाया करते हैं, तीसरे बिल्डिंग मैटीरियल नहीं मिलता है।

एक बात और जो विशेष है वह है लैक आफ कोआर्डिनेशन आफ डिपार्टमेंट्स की। मैं तो कभी-कभी यह कहा करता हूं कि हमारे प्रदेश में डिपार्टमेंटल इंपीरियलिज्म चलता है। हर जगह पर डुप्लीकेशन होता है और हर एक अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो यह डुप्लीकेशन और डिपार्टमेंटल इंपीरिएलिज्म और डिपार्टमेंटल रेड टेपिज्म जो हैं, इनको दूर करना चाहिये। अब मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बजट बनाते समय किसी भी मद में बड़ी-बड़ी रकमें रख देने से और टैक्सेशन से उस रकम को संचय करके ले आने से ही प्रदेश का काम नहीं होगा। इस संबंध में मैं लोकनाथन रिपोर्ट की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें १० साल की वर्किंग पर रिपोर्ट दी है और खासतौर से मैं उसके इन अल्फाज को उद्धत करना चाहता हूं––

"One of the main drawbacks of the state planning has been the undue emphasis on achieving outlay targets without ensuring corresponding success in the promotion of output. Thus inspite of outlay of Rs.61 on major and medium irrigated potential of over 40 lakhs acres, the actual area under irrigation has remained practically static. Lack of detailed planning, inadequate integration of the various schemes and administrative delays and deficiencies have been mainly responsible for such a poor performance. The result is that problems of poverty, unemployment and regional inbalance still persists."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†२४ जुलाई, १९६९ की कार्यवाही से।

[श्री देवकी नन्दन विशय]

यह मेरा कहना नहीं है। यह तो विशेषज्ञों की कमेटी का कहना है। मेरे पास बजट के संबंध में अधिक कहने के लिये समय नहीं है, लेकिन एक बात मैं अवश्य अपने नेता गुप्ता जी, कमलापति त्रिपाठी जी, चौधरी चरणसिंह जी, यादवेन्द्र दत्त जी, जायसवाल जी की सेवा में रखना चाहता हूं। इंग्लैंड की पार्लियामेंन्ट का अपना एक विशेष इतिहास है। उसमें वर्क का नाम आपने सुना होगा। उनके कहे हुए शब्दों का उल्लेख करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा—

"Parliament is not a congress of ambassadors from different and hostile interests, but parliament is a deliveration assembly of one nation with one interest."

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो सब यहां इकट्ठा हुए हैं, चाहे किसी भी दल के हों सब इसी प्रदेश के निवासी हैं और एक ही सी समस्या को लेकर इकट्ठा हुए हैं कि देश की गरीबी, भुखमरी और बेकारी किस तरह से दूर हो। कोई भी यहां चीन अथवा पाकिस्तान से चुना हुआ नुमाइन्दा नहीं है, जिसको आपस में ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है। चुनाव होता है, जो परिणाम होता हो, जनता की जो इच्छा हो, उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिये और फिर इस सदन में हमें मिलकर एक आवाज से उन समस्याओं को हल करना चाहिये जिनके लिये हमे भेजा गया है। आज प्रदेश के सामने बड़ी समस्या यह है कि यह जो विशाल जनशक्ति है हमारे सामने उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? आज बीस साल के बाद भी हम देखते हैं कि बेकारों और अर्द्ध बेकारों की संख्या बढ़ती जाती है। माननीय चरणसिंह जी के भाषण में मुझे एक ही बात तत्व की लगी और वह यह कि हमें भूमि का भार हटाना चाहिये और छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ाना चाहिये। लेकिन उनका चिंतन भी यहीं खत्म हो गया। इससे कुछ होगा नहीं। पिछले बीस साल की जिम्मेदारी माननीय चरण सिंह पर भी बहुत काफी है। भूमि का भार घटा नहीं है बल्कि बढ़ा ही है। छोटे उद्योगों की हालत को आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा और खून पसीना एक कर के देश को उठाना पड़ेगा, तब यह प्रदेश आगे बढ़ेगा अन्यथा नहीं। जय हिंद।

*श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला गोनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ध्यान से माननीय लक्ष्मी रमण जी के उस दिन के, भाषण तो मैं नहीं कहूंगा, बौद्धिक को सुन रहा था और आशा कर रहा था कि इतने लम्बे-चौड़े छपे बजट के बौद्धिक में खासतौर से जो आज प्रमुख समस्या है, उसके हल की ओर कोई आवश्यक कदम या इशारा अवश्य होगा। परन्तु मुझे दुख के हाथ कहना पड़ता है कि हमारे वित्त मंत्री जीने वही बजट भाषण पढ़ा, जो मैं समझता हूं कि राज्यपाल के शासन काल में बना था और वही बजट प्रस्तुत कर दिया जो उस शासन काल में ब्यूरोक्रेसी की वृत्ति के आधार पर बना था। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर हमने तीन-तीन प्लान लगाये और उन प्लानों को लगाने के बाद भी क्या देश या प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऊपर उठी? आर्थिक स्थिति के ऊपर उठने का अर्थ यह नहीं है कि जिस आदमी को दस साल पहले दस रुपये मिलते थे उसको आपने छाप कर सौ रुपये के नोट दे दिये। इससे तो नोट की क्रयशक्ति घट गयी। आज सौ रुपय का मूल्य उतना ही है, जितना दस रुपये का था। यह समस्या सभी डेवलपिंग देशों के सामने आती है, जिसको डिलेमा आफ डेवलपिंग एकोनामी कहते हैं। सारी योजना का आधार भोजन है। यदि भोजन की कठिनाई बढ़ती चली गयी, दुनिया से हमको भोजन के लिये भीख मांगनी पड़ी तो हमारे यहां महंगाई का विकास होता चला जायगा। उसका दूसरा रुख होता है कि जो देश के अन्दर कैपिटल फार्मेशन चाहिये वह नहीं हो पाता तो सरकार उसे टैक्सेशन के माध्यम से लाना चाहती है। लेकिन टैक्सेशन की भी एक सीमा होती है और एक गरीब देश के ऊपर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब बोझ के ऊपर बोझ लदता चला जायगा तो साधारण प्राणी गरीब होता चला जायगा और उस टैक्स के माध्यम से निर्मित उद्योगों में जो कुछ लोग भाग लेते हैं, पूंजी उनके यहां संकलित होती चली जाती है और जब पूंजी का संकलन होने लगता है तो उसका स्पष्ट उपयोग नहीं हो पाता तो बाजार में सब चीजों के दो-दो भाव चलते हैं। सरकार चीनी की पार्शियल राशनिंग करती है तो डेढ़ रुपये किलो मिलती है और खुले बाजार में वही चीनी साढ़े तीन और चार रुपये किलो मिलती है। चाहे जिस चीज को ले लीजिये अध्यक्ष महोदय। आज हर चीज के हमारे यहां दो भाव हैं। इन दो भावों का परिणाम चोर बाजारी होता है और जब चोर बाजारी शुरू हो जाती है तो फिर भीषण ब्लैक मार्केटिंग का रूप हमारे सामने आ जाता ह, इसका कमाया हुआ पैसा अब कहां रहेगा? इसका धीरे-धीरे बेईमानी के आधार पर, अनैतिकता के आधार पर प्रयोग किया जाना शुरू कर दिया जाता है और फिर घूस में उसका उपयोग किया जाता है। इससे भ्रष्टाचार का उदय होने लगता है। दूसरी ओर कुछ लोगों के पास जमा होने लगता है, तीसरी और महंगाई बढ़ने लगती है। इससे जनसाधारण परेशान होने लगता है। इससे डिप्रेस्ड एरिया होता चला जाता है। इसका परिणाम विघटन होता है और क्रांति होती है। आन्ध्र में तेलंगाना का जो मामला चल रहा है, उसमें डिप्रेस्ड एरिया की ही भावना निहित है।

एक ओर श्रीमन्, जहां दृष्टिकोण रहता है विकास का, वहां परिणाम होता है विनाश का। आज इस चीज को हल करने के लिये माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में क्या लिखा है? कहीं लिखा है कि ओबरा की फैक्टरी बन रही है, कहीं लिखा है कि डल्ला की सीमेंट फैक्टरी बन रही है। यह डल्ला की सीमेंट फैक्टरी न जाने कब से बन रही है और कब तक बनती रहेगी। इनकी योजना भी बड़ी आश्चर्य जनक है। वह यह है कि हर चीज बन रही है, कोई चीज पूर्ण नहीं हो रही है। योजना का अर्थ तो यह है कि एक टार्गेट बनायें कि एक साल के अन्दर या ५ साल के अन्दर पूरा करेंगे। आपके टार्गेट में एचीवमेंट नहीं है। आपका टार्गेट तो पैसा है। पैसे को ज्यादा से ज्यादा खर्च करो। जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ही अच्छा है। लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी फल कुछ नहीं हुआ। यह देखने में आता है कि ३१ मार्च को आफिसर्स पैसा पर्सनल लेजर में फेंकते हैं और पैसे को अनाप शनाप खर्च किया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि पैसे का दुरुपयोग होता है। आज यह जो सारी चीज है वह एक डायलमा है। इसको हल करने के लिये क्या कदम उठाया गया है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि देश में आज कोई वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन परेशानी क्यों है? परेशानी इसलिये है कि पैसा नहीं है। आज देश और प्रदेश में दवाओं की कमी नहीं है परन्तु बिना दवाओं के लाखों लोग मर जाते हैं। इसलिये कि दवायें इतनी महंगी हैं कि साधारण आदमी उनको खरीद नहीं सकता है। आज देश में मकान बनते चले जा रहे हैं, लोहा है, ईंटें हैं, सीमेंट है, लेकिन फिर भी लोग फुटपाथ पर सोते हैं। आवश्यकता के अनुसार आज मकान तैयार नहीं हो रहे हैं और स्लम्स बनते चले जा रहे हैं।

आज आपकी सारी योजनाओं ने देश को एक विस्फोटक स्थिति पर ला दिया है जिसका स्वरूप नक्सलबाड़ी के रूप में सारी जगह देखने को मिल रहा है। रोज समाचार-पत्रों में समाचार देखने को मिलते हैं और आज लोगों का विश्वास हो गया है कि हिंसा के माध्यम से ही परिवर्तन हो सकता है। इस विश्वास को लेकर हिंसा का प्रचार सारे देश में बड़े जोरों से हो रहा है और प्रदेश की सिक्यूरिटी खतरे में आ गई है। अभी कुछ दिन पहले सूचना मिली थी कि नक्सलबाड़ी एक्टीविटीज लखीमपुर खीरी और कालागढ़ वगैरह में बढ़ती चली जा रही हैं। वहां जंगलों में ट्रेनिंग कैम्प्स होने के समाचार समाचार-पत्रों में देखने को मिले हैं। आपकी सरकार इन ट्रेनिंग कैम्प्स को रोक नहीं सकी। उन ट्रेनिंग कैम्प्स जिन में हिंसा सिखायी जा रही है, जिनमें एक विद्वेष की भावना सिखाई जा रही है, उनको रोकने में हमारी सरकार असमर्थ रही है।

[श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे] —

क्या यही आपकी सिक्यूरिटी है? आपकी योजनाओं के फ़ेल्योर होने का यह परिणाम है और इसका परिणाम है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ेल्योर हो गया है। अगर अखबार वाले यह चीजें जान सकते हैं कि यहां यहां कैम्प्स लगे तो पुलिस क्यों नहीं जान सकी और नहीं जान सकी तो माननीय मुख्य मंत्री अपने उत्तर में बताएं कि उन्होंने क्या कदम उठाये? सुरक्षा सबसे मुख्य स्थान रखती है, यदि सुरक्षा नहीं रखती तो डाकू लूट करके ले जाएंगे। मूल रूप से सुरक्षा है, इस बजट में क्या है? आप कहेंगे कि हम सैनिक सुरक्षा नहीं कर सकते। वह भारत सरकार की बात है। लेकिन इंटरनल सुरक्षा तो आप कर सकते हैं। रोज अखबारों में निकलता है कि इस सूबे में यहां कम्युनल रायट हुआ वहां कम्युनल रायट हुआ। मऊ में कम्युनल रायट हुआ। इस में सबसे विचित्र बात यह हुई कि पहली बार करफ्यू रहते हुए बन्दूकों का प्रयोग हुआ। ये बन्दूकें कहां से आयीं? सूबे में हत्याएं और डकैतियां बढ़ती चली जा रही हैं। उनमें अग्नेयास्त्रों का प्रयोग हो रहा है। जौनपुर में एक हत्या हुई, जिसमें चारपाई के नीचे हैंडग्रिनेड रख कर सोते हुए आदमी को उड़ा दिया गया। गांवों में अभी तक मारने के लिए गड़ासे और भालों का प्रयोग होता था, लेकिन अब हत्या का माध्यम हैंडग्रिनेड बनने लगा। ग्रिनेड फौज में इस्तेमाल होता है। तो बड़ी हैरानी की बात है कि वह आ कैसे गया।

आज यहां का क्रिमिनल कहीं से भी आधुनिक अस्त्रों को लाता है और हत्या में प्रयोग करता है। इनकी पुलिस उसको आज रोकने में असमर्थ है। क्यों असमर्थ है, मेरा स्पष्ट आरोप है, माननीय मुख्य मंत्री इसका उत्तर दें, पुलिस के अधिकारियों का करप्शन के कारण सारे क्रिमिनल्स से सम्बन्ध बंध गया है। पुलिस डिमारेलाइज्ड है। एक एस० पी० के करप्शन का उदाहरण देता हूं। इसके ऊपर माननीय मुख्य मंत्री स्वयं जांच करें कि जो बात मैं कह रहा हूं वह सही है या गलत। मैं एस० पी० का नाम नहीं लेना चाहता, जिले का नाम लेकर कहता हूं। यह जौनपुर जिले के एस० पी० की कहानी है। हर एक एस० पी० के पास सीक्रेट फंड होता है, जिसका प्रयोग गवाहों को तोड़ने और सूचना लेने में किया जाता है। पहली अगस्त, १९६७ को सीक्रेट फंड से १९ थानेदारों को २० रुपये के हिसाब से कागज पेंसिल खरीदने के लिए पैसा निकलवाया। स्टेशनरी पुलिस विभाग से मिलती है। स्टेशनरी के लिए पैसा मिलता है। थानेदारों से दस्तखत करवा लिये गये और २० रुपये किसी को नहीं दिये गये। ३८० रुपये एस० पी० की जेब में चले गये। दूसरा उदाहरण देता हूं और मांग करता हूं कि इसकी जांच सी० आई० डी० से करवाएं। १८ मार्च, १९६८ को ऐनुअल इंस्पेक्शन में एस० पी० महोदय गये। डाक बंगला में दस बजे रात में पहुंचे और टी० ए० और डी० ए० चार्ज किया गया सुबह से। जब कि उनके अर्दली ने शाम से चार्ज किया है। यह फ़ाल्सिफ़िकेशन आफ़ टी० ए० बिल्स एक गजेटेड आफिसर करता है। इसके मानी यह हैं कि प्रशासन आपका डिमारेलाइज्ड है। मार्च, १९६९ में डी० आई० जी० का एनुअल का इंस्पेक्शन होता है। हर एस० पी० के पास क्राइम सीन विजिट डायरी होती है। हर एस० पी० को संगीन क्राइम्स में स्थान पर जाना चाहिए और उसके बाद वह डायरी स्वयं भरता है। उस डायरी में एस० पी० महोदय ने इंस्पेक्शन के पहले अपने हाथ से सारे विजिट्स डायरी में भर दिये जब कि वास्तव में यह किसी भी क्राइम्स सीन के ऊपर गये नहीं। प्रमाण चाहिये, तो गाड़ियों की जो लाग-बुक रहती हैं, उस लाग-बुक को आप देख लीजिए।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

वह एस० पी० कौन थे?

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

मुख्य मंत्री जी पूछेंगे तो बता दूंगा उनका नाम।

श्री अध्यक्ष—

आप बोलिये, वह बैठ जाएंगे, मैं उनको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के जब उदाहरण गजेटेड आफ़िसर पेश करेंगे और उस सर्विस के लोग जिसके ऊपर शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने की जिम्मेदारी है, यदि ऐसा है तो देश का क्या होगा? मैं दूसरा प्रश्न पूंछता हूं सिक्योरिटी, इन्टर्नल सिक्योरिटी के बारे में, इसका भार सिविल डिफ़ेन्स और होमगार्ड्स पर है, लेकिन आप के बजट में उसके लिये क्या है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। आखिर, जब हमारे ऊपर आक्रमण होगा तो यह सिविल पापुलेशन क्या करेगी, कैसे अपनी रक्षा करेगी? आक्रमण न हो ऐसा आप नहीं कह सकते। इसके अलावा हर थाने पर केवल ५, ७, १० बन्दूकें रहती हैं, लेकिन हर थाना सर्किल में इतने अधिक लाइसेंस बांट दिये गये हैं कि एक-एक सर्किल में ४०–५० बन्दूकें होंगी। ऐसी हालत में यदि उन लोगों ने एन्टी-नेशनल रुख अपनाया, वे समाज द्रोही हुए और उन्होंने आपका थाना घेर लिया तो आपका थाना क्या कर सकता है। केरल में जो तमाशा हुआ, उससे आप क्यं नहीं सीख लेते हैं? उस दृष्टि से आपने सारे गन लाइसेंस को रिव्यू करने के लिये क्या कदम उठाये हैं? मैं समझता था कि आपके बजट में कुछ उसका इशारा होगा। नक्सलवाड़ी ऐक्टिविटीज गोरिल्ला वारफेयर की तरह पर होती हैं। यह जंगल में अधिक हो रही है। इस सूबे में भी ऐसे जंगलों की कमी नहीं हैं और आप देख रहे हैं कि वहां उनके कारनामे पनप रहे हैं। आप गोरिल्ला वारफ़ेयर का सामना किस तरह से करेंगे? आपकी यह पी० ए० सी० जो मऊ में करफ्यू के बावजूद अस्त्रों का चलना नहीं रोक पायी, वह भाग खड़ी हुई, क्या वह उसके लिये तैयार है? गोरिल्ला वारफेयर का सामना गोरिल्ला वारफेयर से ही हो सकता है और किसी तरह से नहीं हो सकता है। मिसाल आपके सामने मौजूद है, वियतनाम में अमेरिका ने अपनी पूरी सैनिक ताकत लगा कर देख लिया है लेकिन वह वहां के लोगों को जो गोरिल्ला वारफ़ेयर टैक्टिक्स अपनाये हुये थे, परास्त नहीं कर पाये। इस युद्ध की तैयारी के लिये आपके प्रदेश में खीरी और कालागढ़ में कैम्प खोले और चलाये गये हैं। आपके जंगलात के विभाग में वाईल्ड लाइफ़ गार्ड्स हैं, जो २४ घंटे वहां पर घूमते हैं, क्या आपने उन्हें ऐसी कोई ट्रेनिंग दी जिससे कि वे ऐसे लोगों का सामना कर सकें। जब लोग जंगलों में गोरिल्ला वारफ़ेयर की ट्रेनिंग लेंगे तो उन लोगों का सामना उसी को पहले करना पड़ेगा। श्रीमन्, बांदा का उदाहरण मौजूद है, जब हमीरपुर में नक्सलबादी गये तो आपके अधिकारी मार खाकर भाग खड़े हुये। क्या आपकी यह शासकीय फौज केवल मार खाने और घूस खाने के लिये ही बनी है? मेरे पास इतने उदाहरण हैं कि यदि मैं उन्हें देना चाहूं तो ८–१० घंटे लग जाएं।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

४ घंटे कल ही लग चुके हैं?

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

२० घंटे लग सकते हैं। इस प्रकार से आपके प्रशासन का ढांचा चरमरा रहा है। जब सिक्योरिटी देश की खतरे में पड़ेगी तो दूसरी ओर जनता का फ्रस्ट्रेशन जो है.....

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, कहने को तो बहुत है। अगर १० मिनट मुझे और दे दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—

५ मिनट आप और बोल लीजिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

आज जो फ्रस्ट्रेशन देश के अन्दर है एक ओर उसका बढ़ावा है और दूसरी ओर प्रदेश की डिसिप्लिन और उसके लिये ट्रेनिंग की चरमराहट।

[श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—]

आपने यह घोषणा बड़े गर्व के साथ की कि हम ग्रीन क्रान्ति ला देंगे। बड़ा हल्ला मचाया गया। अगर वह हो गया तो फ़िर भीख मांगने की क्या जरूरत है, और अगर भीख मांग रहे हैं अनाज की दूसरों से तो फिर यह ग्रीन रिवोल्यूशन की बात गलत है।

श्रीमन्, आज देश का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो भूमिहीन है। उसको भूमि देने के लिये क्या व्यवस्था है। डाक्टर सीताराम जी मुझसे सहमत होंगे हालांकि उनको अनुभव शायद नहीं है कि आज हरिजन पीढ़ियों से लोगों के बगीचे में बसा हुआ चला आ रहा है, लेकिन चकबन्दी के कागजों में यह नहीं मिलता है कि वाकई में वहां हरिजनों की आबादी है भी या नहीं ?

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

अनुभव है।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

दुख तो इसी बात का है कि अनुभव भी है, लेकिन उसको दूर करने के लिये प्रयास नहीं हो रहा है। मैं मांग करूंगा कि हरिजनों को ग्रोब्ज में आबादी दी जाय।

भोजन की समस्या का एक दूसरा पहलू है पानी। इस प्रदेश के पूर्वी भाग में बराबर सूखा पड़ता रहता है। सरकार की ओर से क्या प्रयास हुआ। हम लोगों ने कहा तो मुख्य मंत्री जी ने बड़ी कृपा की कि एल० एस० जी० डी० से कहा कि जाओ उन इलाकों में पम्पिग सेट्स लगाओ और टयूबवेल्स बनाओ। उन्होंने यह कहा कि जिस जिले में पानी का लेबिल है वहां १० हैण्डपम्प और ५ टयूबवेल्स का इन्तजाम करेंगे। आपने ऐसा भी कहा कि १० मई तक सेचुरेशन ला देंगे लेकिन आज जुलाई खत्म हो गयी सैचुरेशन की कौन कहे, एक तिहाई काम भी नहीं हुआ है।

भ्रष्टाचार की बात तो सीमा समाप्त कर चुकी है। एक ओवरसियर साहब हैं जिन्होंने ३ सौ रुपया लेकर एक हैन्डपम्प उस व्यक्ति के मकान के सामने लगा दिया जिसको दो लाख की आमदनी है। एक इंजीनियर साहब ने एक महापुरुष के घर के सामने दो वाटर टैप लगा दिये और वाटर लाइन जो झोपड़ियों के सामने से गयी थी, वहां वाटर टैप लगाया तक नहीं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि जौनपुर में एल० एस० जी० डी० के सारे कार्यों की जांच हो।

दूसरी मांग मैं सिंचाई मंत्री जी से करूंगा कि क्राप का रेकरिंग फेलियर होता है या मानसून होता है उसके लिये ऐसी कोई पर्याप्त व्यवस्था सूखा प्रभावित इलाकों में होनी चाहिये, जिससे वहां के लोगों को सदा के लिये इस कष्ट से मुक्ति मिल सके। मैंने आपसे कहा था कि कम से कम २ सौ टयूबवेल्स बरसाती के इलाके में होना चाहिये क्योंकि वह सूखा से प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने यह भी मांग की थी कि जो लोग पम्पिग सेट्स लगा सकते हैं उनको प्राथमिकता दी जाय लेकिन वह भी नहीं हो रहा है।

विभाग का आनन्द देखिये। इस्टीमेट हाई टैन्सन का होगा, लेकिन दिया जायगा लो टेन्शन का और काम रुक जायगा। मेरी प्रार्थना है कि कुछ कीजिये जिससे यह सारा भ्रष्टाचार रुके।

वन विभाग ऐसा विभाग है जिसमें जरा भी भ्रष्टाचार होगा तो उसका सारा काम चौपट हो जायगा। लेकिन इसके सेक्रेटरी महोदय का क्या काम है। वे बैठे ही हैं, इसलिये कि सरकार का गुणगान करें और दूसरों को गालियां दें। स्टाफ कार मंगा कर स्वयं उसका प्रयोग करें। यह आदेश थे कि अगर कोई स्टाफ कार का निजी कार्य के लिये प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जायेगा। लेकिन फारेस्ट सेक्रेटरी महोदय इससे बरी हैं।

मैं मुख्य मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं। यह कहा गया था कि एक सर्कुलर निकाला गया है कि जो अफसर अपने निजी काम के लिये पोलिटिकल प्रेशर का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जायगा। इस आर्डर के निकलने का समय बीता नहीं एक कंजरवेटर महोदय के करेक्टर रोल की एंट्री जिसमें उनके खिलाफ लिखा गया था, उसको एस्पंज करने के लिये पोलिटिकल प्रेशर का प्रयोग हुआ तो यह दो भाव क्यों? इससे आप प्रदेश को डिमारलाइज कर देंगे। इस तरह से तो सरकार इस देश को उन्नति के पथ पर नहीं ले जा सकती। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से उत्तर चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा सर्कुलर निकला है कि एम० एल० एज० के लड़कों को विशेषतया पशुपालन विभाग में प्राथमिकता दी जाय क्योंकि यह अपने लड़कों को बाहर नहीं भेज सकते। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण सर्कुलर निकालने की क्या आवश्यकता थी और क्यों निकाला गया? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके उत्तर में बतायें कि ऐसा क्यों हुआ? यह विभाग उनके पास ही है। यदि इस प्रकार का कोई सर्कुलर नहीं है, तो मुझसे अधिक खुशी किसी को नहीं होगी।

डाक्टर सीताराम---

इस प्रकार का कोई सर्कुलर पशुपालन विभाग की तरफ से नहीं निकाला गया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे---

मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसकी जांच करें। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मथुरा वेटरिनरी कालेज के प्रिंसिपल को एक लड़के के एडमिशन के लिये क्यों यहां बुलाया गया? जब उसके नम्बर बढ़ाये नहीं जा सके तो मंत्री जी ने उससे कहा कि ३ लड़कों को और बढ़ा दो ताकि वह लड़का लिया जा सके। यदि यह गलत हो तो मंत्री जी बतला सकते हैं।

डाक्टर सीताराम---

आप लिखकर दें तो उसका उत्तर दिया जायगा। मगर इस प्रकार से किसी प्रिंसिपल या सेक्रेटरी को कहा गया है, यह बिल्कुल असत्य है।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे---

आप इसकी सूचना मंगा लें और जांच कर लें और जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

आप लिख कर दे दीजिये, तो वह जांच करा लेंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे---

श्रीमन, यहां सदन के अन्दर जो बात कही जाती है, वह किसी जिम्मेदारी के साथ कही जाती है। अगर माननीय मंत्री जी अपनी बात जिम्मेदारी से कहते हैं तो हम भी अपनी बात को घोर जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। केवल इतना ही मंत्री जी से कहते हैं कि हमारी आखिरी बात को मान लें और इसकी जांच करायें।

श्री अध्यक्ष---

आप लिख कर दे दें, तो वह जांच करा लेंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे---

श्रीमन, इस स्टेट पर ऋण का भार इतना बढ़ता जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी इनडेटेडनेस का भार ९७,१०,७४,००० रुपये का है और सरकार के पास असेट कम हैं। आपके पास असेट इतने कम हैं कि उस कर्जे को इससे मीट नहीं कर सकते हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि स्टेट दिवालिया हो जायगी, आपका बजट अनप्लान्ड बजट है। इसमें प्लान के लिये

[श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे]
कोई प्रायोरिटी नहीं है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कोई दिशा नहीं है। खर्चे को बढ़ाया गया है जो सारहीन और बुद्धिहीन है। इस प्रान्त की आवश्यकताओं को यह बजट पूरा नहीं करता है इसलिये इस सरकार को इस बजट में एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिये।

श्री राजबिहारी सिंह (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, इस बजट पर कुछ कहने के पूर्व मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिये कि वित्त मंत्री जी ने चौकीदारों का वेतन दुगुना कर दिया है। इसके साथ ही अगर इस बजट को देखा जाय तो उसमें ऐसी कई चीजें हैं जिनसे इस समाज को सुधारने का प्रयास किया गया है। जो भंगी अपने सिर पर मैला ले जाते थे उनके लिये इसमें अनुदान दिया गया है। आदिवासियों के लड़कों के लिये शिक्षा देने के लिये फीस की व्यवस्था की है। शहरी इलाकों में जो भंगी रहते थे उनके रहने के लिये मकान बनाने की व्यवस्था इस बजट में की गई है। इसलिये इसमें ऐसी कई चीजें हैं जिनके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। वित्त मंत्री जी ने समाज की व्यवस्था सुधार के लिये संस्थागत ऋण देने का प्रयास किया है। यह भी समाजवादी व्यवस्था का प्रतीक है इसलिये वह बधाई के पात्र हैं। प्रदेश की खेती को बढ़ाने के लिये सिंचाई, बिजली के साधन और पानी की व्यवस्था करने के लिये प्रयास किया गया है। पेय जल व्यवस्था करने के लिये इसमें रुपया रखा गया है। बहुत बड़ी रकम उस पर खर्च करने की व्यवस्था की गई है, इसलिये भी वह बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा मान्यवर, आप देखेंगे कि इस बजट में जो हमारी पुरानी परम्परा रही है आयुर्वेदिक और यूनानी दवाखानों के सम्बन्ध में तो उनकी तरफ भी आपने ध्यान दिया है और सौ यूनानी और आयुर्वेदिक दवाखाने खोले हैं, साथ ही होम्योपैथिक दवाओं को प्रोत्साहन देने का भी खयाल है, जिसके लिये वे बधाई के पात्र हैं।

कल चौधरी साहब ने और आज हमारे लायक दोस्त राजा साहब ने यह कहा कि यह बजट बिलकुल प्रतिक्रियावादी है और समाज का इससे कोई भला होने वाला नहीं है। राजा साहब तो इस कला में बहुत प्रवीण हैं, जो बात कहेंगे वह लच्छेदार भाषा में। और वह सब तथ्य से बहुत दूर होगा और यही उनकी पुरानी परिपाटी रही है, उसमें वह माहिर हैं। उन्होंने जौनपुर जिले का उदाहरण दिया है। मैं बता देना चाहता हूं कि राजा साहब से ज्यादा पावरफुल आदमी वहां कोई नहीं है। जो उनसे नाराज हुआ, जिसने इनका काम नहीं किया उसके खिलाफ ये हजार शिकायतें पैदा कर लेंगे . . .

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे---

आन प्वाइंट आफ परसनल एक्सप्लेनेशन, यह कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र ने यह चार्ज किया मेरे काम न करने के बारे में तो क्षमा करें कि मैंने किसी से कोई काम करने को नहीं कहा और एस० पी० जौनपुर से जा चुके हैं, मेरे काम का कोई प्रश्न नहीं है। न मैं डाकू हूं और न चोर हूं और न चोरों का साथ देता हूं।

श्री राजबिहारी सिंह---

यह सवाल बड़ा टेढ़ा है।

श्री अध्यक्ष---

आप अच्छा करेंगे अगर कोई व्यक्तिगत हमला न करें।

श्री राजबिहारी सिंह---

मान्यवर, मैं उसको वापस लेता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनकी मरजी के खिलाफ कोई काम वहां नहीं होता है, घर घर में चर्चा है, मैं उनका पड़ोसी हूं इसलिए कहता हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे---

पड़ोसी पड़ोसी को बहुत जानता है, अध्यक्ष महोदय। मैं भी उनको खूब जानता हूं।

श्री राजबिहारी सिंह---

मान्यवर, जहां तक समाजवादी व्यवस्था का सवाल है, इस बजट में समाजवाद को लाने के लिए कांग्रेस सरकार इस प्रदेश में आज से नहीं तत्पर है। अवाडी में बहुत पहले ऐसा प्रस्ताव पास हो चुका है और आज से २२ वर्ष पहले कांग्रेस सरकार इस ओर अग्रसर थी। आपको याद होगा कांग्रेस सरकार ने ही जमींदारी उन्मूलन प्रस्ताव पास किया और सन् ४६ में पूंजी पर नियंत्रण लाने के लिए इस सदन ने प्रस्ताव पास किया है। आप देख रहे हैं कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी और अन्य इसी प्रकार के सरकारी संस्थान सरकार खोलती जा रही है। हां, जब देश पिछड़ा हुआ होता है तो आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए निजी पूंजी को बढ़ाने के लिए भी सरकार को प्रोत्साहन देना पड़ता है और ऐसी कोई सरकार नहीं है, किसी पिछड़े हुए देश की जिसने कैपिटलिस्टों को प्रोत्साहन न दिया हो। आज आप केरल, बंगाल को देख लें। जमीन को कम कीमत पर देने की वहां परिपाटी चल रही है, उससे कम हमारे यहां है। तो पूंजीपतियों और ताल्लुकेदारों के लिए जहां तक संभव है सरकार आज भी कर रही है और आगे भी करेगी। साथ ही समाजीकरण और निजी उद्योगों को बढ़ाने के लिए पूंजीपतियों की भी सहायता मिलनी चाहिए।

कल माननीय चौधरी साहब ने अपने भाषण में २-३ बातें कही हैं जिनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक बात तो उन्होंने यह कही कि जितने ईमानदार आदमी हैं वे सब मेरे साथ हैं, दूसरे यह कि गुप्ता जी कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकते। मेरा दुर्भाग्य है कि इस समय माननीय चौधरी साहब यहां नहीं हैं। मैं इस संबध में यह कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब बिलकुल विपरीत कह गये, स्थिति बिलकुल इसके विपरीत है। मैं तो यह जानता हूं कि चौधरी साहब जब से कांग्रेस में रहे और जब बाहर चले गये, कभी वे अच्छे आदमियों के साथ थे ही नहीं क्योंकि जब वे पंडित गोविंद वल्लभ पन्त जी के साथ थे तो उनके खिलाफ़ रहते थे, जब हुकुम सिंह जी के साथ रहे तो उनके खिलाफ़ विद्रोह करते रहे, कभी उन्हें अच्छे आदमी मिले ही नहीं। मान्यवर, मैं चौधरी साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि जब माननीय गुप्ता जी यू० पी० सी० सी० के अध्यक्ष चुने गये तो उन्होंने गुप्ता जी को राम माना था और कहा था कि रावण मारा गया, संपूर्णानन्द जी के लिये यह कहा था, अब उस राम के प्रति चौधरी साहब के एकदम इतने खराब विचार कैसे हो गये, इसका जवाब माननीय चौधरी साहब ही दे सकते हैं। ४७ वर्ष तक [illegible]स कांग्रेस की उन्होंने सेवा की, उसको सड़ी गली समझ कर बाद को उन्होंने छोड़ दिया और अब बड़े सच्चे और ईमानदार मित्रों का उन्होंने साथ किया है। श्रीमन्, ६ महीने में चौधरी साहब ने क्या किया? अपने आप तो डूबे, मगर इनको (विरोधी पक्ष) भी ले डूबे यह है चौधरी साहब का करेक्टर। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में शासन को दूषित करने तथा भ्रष्टाचार को पनपाने का अगर किसी को श्रेय है तो वह माननीय चौधरी साहब को है। यह मेरी बात नहीं है, उधर बैठने वाले जो माननीय दुबे जी हैं उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम तो संविद बनाने को तैयार हैं लेकिन डर इस बात का है कि कहीं चौधरी साहब चीफ़ मिनिस्टर न बन जायं। तो चौधरी साहब के बारे में उस पक्ष के लोग तथा प्रदेश की जनता यह विचार रखती है। चौधरी साहब के दल के ही जो महा सेक्रेटरी रहे हैं, मुहम्मद जफ़र, उनका आज स्वतंत्र भारत में बयान निकला है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय क्रांति दल प्रतिक्रियावादी लोगों की संस्था है और यह देश के पिछड़े और गरीब लोगों के साथ गद्दारी करना चाहते हैं .....

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)---

व्यवस्था का प्रश्न है। जिस पेपर का माननीय सदस्य हवाला दे रहे हैं, वह हो तो उसे कृपया पढ़ दें।

श्री राजबिहारी सिंह---

यह आज के स्वतंत्र भारत में है। इसमें लिखा है "राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भारी दरार। दल के अधिकांश विधायक श्री गिरि के पक्ष में"। इसमें लिखा है, "श्री जाफ़र ने कहा

[श्री राज बिहारी सिंह]

है कि जब दलों के गुटों में सैद्धांतिक प्रश्न स्पष्ट रूप से उभर रहे हैं, यह खेद का विषय है कि भारतीय क्रांति दल प्रतिक्रियावादी शक्तियों के हाथ का खिलौना बनता जा रहा है।" "भारतीय क्रांति दल एक ओर तो प्रजा में समाजवादी दल से विलयन की वार्ता चला रहा है, दूसरी ओर राष्ट्रपति के उम्मेदवार के समर्थन में उसकी भावनाओं का तनिक भी खयाल नहीं रखता...." मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, और भी बहुत कुछ लिखा है।

श्री बलवीर सिंह—

जो बात माननीय सदस्य ने कही, वह अखबार में नहीं है।

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, किसी दूसरे पर कीचड़ उछालना आसान है। श्रीमन्, मैं सन् १९५७ की पुरानी घटना की याद दिलाता हूं जबकि उन्होंने कहा था कि मैं तो बिलकुल जातीयता के ऊपर हूं। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि सन् ५७ में हमारे जिले से एक वरिष्ठ व्यक्ति चुन कर आए और रिजल्ट निकलने के पहले ही रोडवेज डिपार्टमेंट कमेटी में श्री श्यामलाल यादव की नामजदगी चौधरी साहब ने कर दी। अब मैं इसको क्या समझूं? बेचन राम जी, लाल बहादुर सिंह जी, समद साहब जैसे वरिष्ठ लोग मौजूद थे, लेकिन आपने इसके लिये किसी से पूछा तक नहीं। बनारस जिले के ही एक यादव जी थे जिन पर डकैती का मुकदमा चल रहा था। वहां की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया कि उनके यहां चौधरी साहब न जायं। इस संबंध में पन्त जी को भी लिखा गया और उन्होंने भी कहा कि चौधरी साहब को वहां नहीं जाना चाहिये। लेकिन जिस आदमी के ऊपर डकैती का मुकदमा चल रहा था, उसके घर चौधरी साहब गये, फिर इसको क्या समझा जाय। यह तो कैरेक्टर है चौधरी साहब का।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त

श्री रामधारी (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, यह बजट जब सामने आया तो इसके पहले सारी दुनिया के पमान पर अमेरिकी यात्रियों के चन्द्रमा पर जाने का समाचार आया और बंगलौर अधिवेशन में एक क्रांतिकारी प्रस्ताव पास किया गया जिसका दिल्ली में कुछ कार्यान्वयन भी हुआ। उसकी रोशनी में मैं समझता था कि उत्तर प्रदेश का जो बजट रखा जायेगा उसकी कुछ झलक इसमें होगी लेकिन मुझे दुख है कि उसकी कोई झलक इसमें नहीं है। यह बजट एक प्रतिक्रियावादी बजट है, रूढ़िवादी बजट है, इसको किसी तरह से भी समाजवादी या परिवर्तनशील बजट नहीं कहा जा सकता है।

मेरे पूर्व वक्ता एक मित्र ने कहा कि इस बजट में एक बड़ी अच्छी व्यवस्था यह की गयी है कि पहले जहां चौकीदार ५ रुपये तनख्वाह पाता था वहां अब हमारे वित्त मंत्री जी ने उसकी तनख्वाह १० रुपये कर दी है और यह समाजवाद की तरफ एक कदम है। मैं नहीं समझता कि वे कैसे इस पर गर्व का अनुभव करते हैं कि एक चौकीदार की तनख्वाह १० रुपये कर दी गयी है। अगर यही समाजवाद है तो फिर हो चुका समाजवाद, इससे दुनिया का कल्याण नहीं होने वाला है। इसी संबंध में आपको मैं भोजपुरी की एक कहावत सुना दूं—देहात का एक आदमी जब अपनी ससुराल गया तो वहां उसकी सास ने अपने दामाद को खाने के लिये लिटी जो बाटी के नाम से मशहूर है, खाने के लिये दी। उसने अपने दामाद से कहा कि बाटी में गड्ढा करो ताकि उसमें मैं मट्ठा दे दूं। उसी तरह से यहां सवाल है कि जिस बाटी में गड्ढा हो ही नहीं सकता उसमें मट्ठा की एक बूंद तक नहीं आ सकती, उसी तरह से आप ५ रु० के बदले १० रु० चौकीदार का वेतन देकर समाजवाद की डींग मारते हैं। मुझे तो इन बातों को सुन कर तरस आता है और मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से इस देश और प्रदेश का कल्याण होगा।

हमारे माननीय वित्त मंत्री जी लक्ष्मी नहीं हैं, लक्ष्मीरमण हैं और आचार्य भी हैं लेकिन जिस तरह का आचार्यत्व उन्होंने बजट बनाने में दिखलाया है उस बजट को कोई समझ नहीं सकता। बिलकुल उचित रीति से विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि इस सदन की भाषा हिंदी है लेकिन हिंदी के बहाने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को क्या और लोग समझ सकते हैं? इस बजट में इस तरह की कई बातें भरी पड़ी हैं उनकी ओर सदन का ध्यान दिला कर मैं उसका अधिक समय बरबाद नहीं करना चाहता। केवल उदाहरण के लिये आपको बतलाना चाहता हूं कि इसमें शब्द "मिसलेनियस" आया है जिसके लिये सभी लोग जानते हैं कि शब्द "कुटकर" आता है लेकिन यहां पर लिखा गया है शब्द "प्रकीर्ण"। आखिर कितने लोग शब्द "प्रकीर्ण" को समझते हैं? इसी तरह से १५ रु० से कम के लिये लिखा गया है, १५ रु० से "अनधिक"। यह क्या है? मैं कहता हूं कि यह पूरक बजट न कह कर अनुपूरक बजट कहा जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पीछे जिस तरह से अंग्रेजी को चलाने के पीछे कुछ स्थिर और स्वार्थी लोगों का हाथ है, गवर्नमेंट, अगर मैं यह कहूं कि इस तरह की हिन्दी चला के इस तरह की पंडिताऊपन की भाषा चला के कुछ थोड़े से लोगों की इच्छा पर अपनी मोनोपली कायम रक्खें और सर्वसाधारण की बहस के लिये उपलब्ध न हो सके तो असंगत न होगा।

श्रीमन्, एक बात और कही गई तपाक के साथ बजट के बारे में कि यह घाटे का बजट बड़ी छलांग है। उधर तो छलांग नहीं मारी गई। उधर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो इधर भी चिन्ता हो जाती जब स्वयं हमारे माननीय सदस्यों ने रक्खा है। १४ अगस्त, १९४६ को इस माननीय सदन ने पूंजीवाद के विनाश का प्रस्ताव पास किया है। मैं बधाई देता वित्त मंत्री को अगर वे उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको लागू करने की कार्यवाही करते। अगर मैं कहूं कि "तलवार के बींधे से तो कोई कातिल नहीं होता" खाली प्रस्ताव पास करने से समाजवाद नहीं आता। मैं कहना चाहता हूं कि यह कोरा परम्परावाद है, कोरा रूढ़िवाद है, लाइफलेस बजट है, निष्प्राण बजट है। इस सिलसिले में मैं और कहना चाहता हूं कि भारत सरकार का बजट साठ करोड़ रुपये के घाटे का बजट है। मगर हमारी सरकार का बजट शायद हिसाब लगे तो इससे भी अधिक घाटे का बजट है और चतुराई का बजट है। कहा यह जाता है कि हम कोई कमी नहीं करेंगे। मैं तो यह स्पष्ट कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जल्दी से अधिवेशन समाप्त होने के बाद कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं हो सकी, उससे संतोष नहीं हुआ तो इसके माने यह हैं कि आपकी शिकायत है इस ओर कि यह सदन जब चल जायेगा तो कोई न कोई आर्डिनेंसेज का सहारा लेंगे, इसका मुझे डर है। आप कहते हैं कि जनता पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा। अजीब विडम्बना है। भूमिधरी बीस गुना जमा करने पर पायेंगे। पर मान्यवर, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि खेत कौन बेचता है, क्या कोई अमीर बेचता है? खेत वही बेचता है जो गरीब होता है जिसे खाने के लाले पड़े हैं। कोई दूसरा तरीका नहीं निकाल सकते थे। बीस गुना टैक्स बढ़ा के आपने किस पर टैक्स बढ़ाया है, साधारण जनता पर, उस गरीब किसान के ऊपर बीस गुना ठोक दिया। आपकी हिम्मत पूंजीपतियों पर कर लगाने की नहीं हो सकी और जब तक नहीं होगी तब तक समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकेगी। मैं यह भी उम्मीद करता था। आज गवर्नमेन्ट की तरफ से प्रवृत्ति यह है कि अधिक से अधिक खर्चा दिखाये, आमदनी को कम दिखाये बजट में और इस घाटे का बजट दिखाकर अपनी व्यवस्था रक्खे ताकि बाद को अनुदान मांगने में आसानी हो, ताकि कानूनी दिक्कत न हो। उसका उदाहरण श्रीमन्, मैं देना चाहता हूं। आप देखें कहा गया है, स्पष्ट कहा गया है कि बिक्री-कर से कुछ पैसा मिलेगा, बिक्री कर से पैसा आयेगा।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब आप कहते हैं कि बिक्री-कर से पैसा बढ़ेगा तो पिछले साल १९६८-६९ में ३९ करोड़ ९५ लाख की आय की बात है और इस साल आपकी १९६९-७० में ३८ करोड़ ४९ लाख की ही दिखाई गई है। घाटा दिखाया गया है। पृष्ठ २ पर आप देखें अंकित है जो आपका ही छापा गया बजट

[श्री रामधारी]

है। बिक्री-कर जब बढ़ेगा तो आमदनी आयेगी। तो यह क्यों दिखाया गया है। खण्ड ४ में आप देखें ५४९ पेज पर जहां भू-राजस्व पर "दाखिल खारिज संबंधी जुर्माने" कि उनसे आमदनी १९६८-६९ में १ लाख ७५ हजार हुई और १९६९-७० में केवल १ लाख ६५ हजार हुई यानी यह दस हजार की कमी क्यों दिखाई गई। क्या जरूरत है कौन-सी बात है इसे दिखाने की। कौन-सी ऐसी स्थिति आ गई है जिसे मैं समझूं। इसका स्पष्टीकरण मैं चाहूंगा। उसी पन्ने पर आप और देखें। एक और आईटम है छोटा रद्दी कागज की बिक्री का। इससे आमदनी १९६७-६८ में १,६६० रुपये दिखाई गई। मैं उदाहरण की बात कह रहा हूं। श्रीमन्, १,६६० रुपये दिखाये गये लेकिन इस साल आधा धेला नहीं दिखाया गया। आखिर रद्दी कागजात का क्या होगा? क्या होता है कैसे होता है सरकार जाने? एक और मद है बटवारे की फीस। बटवारे की फीस ६८-६९ में ६ हजार रुपया दिखायी गयी है लेकिन इस वर्ष १ हजार रुपया दिखायी गई है। क्या सरकार को इस वर्ष खबर आ गयी कि इस वर्ष कोई बटवारा नहीं होगा। यह उदाहरण मैं इसलिये दे रहा हूं कि यह सरकार इस प्रकार से अपनी आमदनी को कम दिखाकर डेफ़ीसिट बजट बनाती है और उसके द्वारा यह प्रयास होता है कि बाद को हम चाहे जो काम करेंगे, हमारे ऊपर कोई बन्धन न होगा। यह प्रक्रिया मुनासिब नहीं है।

मैं समझता था कि इस बजट में कुछ शिक्षा पर भी रोशनी डाली जायेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी नयी बात इस बजट में नहीं है। एक समस्या है और वह समस्या यह है कि हाई स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक के विद्यार्थियों की भर्ती नहीं हो सकती और सरकार की ओर से उसका कोई इंतजाम नहीं होता। जिस देश के बच्चों को पढ़ने की आजादी न हो, जिस देश की शिक्षा संस्थायें उनको प्रवेश न दिला सकती हों, समाजवाद उस देश के लिये कोरी कल्पना है और समाजवाद के लिये आपका कुछ भी कहना निरर्थक होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसकी शीघ्र व्यवस्था हो। आप कहेंगे कि हमारे यहां इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में ७० विश्वविद्यालय हैं लेकिन रूस में, जिसकी जनसंख्या केवल २४ करोड़ है, ७०० विश्वविद्यालय हैं। अगर आप वहां के आंकड़े देखेंगे तो मुझसे सहमत हो जायेंगे। हमारे संविधान को बने २२ साल हो गये उसमें लिखा था कि १४ वर्ष तक के बच्चों की फ्री एजूकेशन हो जायेगी। लेकिन काश कि आप उसको कर पाते। आप कहेंगे कि संविद भी तो थी, उसने क्यों नहीं किया। ६-८-१० महीने में क्या होता है। लेकिन आपका ध्यान तो इतने वर्षों में इस ओर नहीं गया। इतने सालों में आप उसको पूरा नहीं कर सके। इस पर भी आप अपनी पीठ अपने आप थपथपाते हैं। आपके प्रदेश की नगर-पालिकाओं में भी अभी कम्पलसरी एजूकेशन नहीं है। जब कि दुनियां के दूसरे देशों और एशिया के छोटे छोटे देशों की गति आपसे कहीं अधिक है। उदाहरण के लिये श्रीमन्, स्विटजरलैंड को ले लीजिए, वहां पर १८७४ में ही फ्री प्राइमरी एजूकेशन हो गयी थी और उसका एरिया शायद अपने कुछ जिलों के ही बराबर हो। ईरान में १९४३ में ही फ्री कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन हो गयी थी। ईराक में प्राइमरी से लेकर सेकेण्डरी तक फ्री एजूकेशन है। इन्डोनेशिया एक छोटा-सा देश है और आपके साथ ही उसको भी स्वतंत्रता मिली है, वहां ४५ वर्ष तक की आयु वाला कोई ऐसा इंसान नहीं है जो साक्षर न हो लेकिन आपके यहां यह औसत २१-२७ तक ही आयेगा। इस पर भी आप कहते हैं कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे बेकार लोगों की तादाद २० लाख से ज्यादा होगी। दर्जा दस से ऊंची शिक्षा पाने वाले लोग २० लाख से अधिक बेकार हैं। इस बेकारी का क्या हल आप कर रहे हैं। आपने पहली, दूसरी और तीसरी योजनायें बनायीं लेकिन तीनों योजनायें आपकी फेल हो गयीं, कोई मतलब उनसे हल नहीं हुआ। "ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया"। योजनाओं में आपने प्राविधान किया लेकिन बेकारी और बढ़ती गई। उसका यह इलाज नहीं है जो आप कर रहे हैं, उसके लिये तो एक आधारभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। वह आपके मुल्क की

मौलिक बात होगी, उसमें दूसरे मुल्कों की नकल नहीं होगी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी सदा यह कहती रही है कि आप कारखानों में काम के घण्टे घटायें और देश में जो बेकार लोग हैं, उनको लगायें। श्रीमन् केवल मैं २ मिनट और चाहूंगा। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप काम के घण्टे ६ कर दीजिये, कारखानों में काम ६ घण्टे हो, क्यों नहीं आप इस तरह के क्रान्तिकारी कदम उठाते? आप कहते भर हैं कि आप का मजदूरों पर बड़ा ध्यान है और आप उनकी बेहतरी चाहते हैं लेकिन आप ने मजदूरों के लिये किस तरह के कानून आज बना रखे हैं। अगर कोई मजदूर बरखास्त हो गया तो वह बिना सरकार की या लेबर कमिश्नर की इजाजत के अपील नहीं कर सकता और उस की कोई सुनवाई कहीं नहीं हो सकती है। आपको यह समझना चाहिये कि आज के जमाने में किसी को डिसमिस करना उसके लिये मत्युदण्ड के बराबर है। कोई भी अभियुक्त मर्सी की दरख्वास्त लगा सकता है लेकिन आपक समाजवाद में मजदूर को इसकी भी इजाजत नहीं है।

एक-दो बातें मैं और कहना चाहता हूं आपकी आज्ञा से। हमारे देवरिया जिले की अपनी कुछ समस्यायें हैं। यह सब से घनी आबादी का जिला है। बड़ा शोर मचाया जाता है कि भूमि का बंटवारा हो गया, बड़ा ढोल पीटा जाता है कि जमींदारी अबालीशन किया गया और सरकार ने सीलिंग का कानून लागू किया लेकिन जो जमीन जमींदारी विनाश या सीलिंग के द्वारा निकली उस में से कितनी जमीन भूमिहीनों को दी गई? इसके कोई सही आंकड़े नहीं हैं कि जिनको संतोषजनक कहा जा सके और इस मसले पर हमारी सरकार को चुप रहना ही पड़ेगा। कोई ध्यान गरीब भूमिहीनों को जमीन दिलाने के संबंध में नहीं दिया गया। नेक्सेलाइट्स और नक्सलबाड़ी की बात कही जाती है कि वह भूमि पर लोगों को गलत कब्जा कराते हैं लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप अगर समय रहते भूमि का उचित बंटवारा नहीं करायेंगे तो उनका मूवमेंट बढ़ेगा और आप उसको रोक नहीं सकेंगे। कौन-सा आपका समाजवाद है और कौन-सा आप का न्याय है कि आज भी एक चौकीदार केवल १० रुपये मासिक वेतन पाता है और महामहिम् राज्यपाल को ५,००० रुपये वेतन दिया जाता है, चौकीदार गरीब को कोई भत्ता नहीं दिया जाता और राज्यपाल पर साढ़े २७ हजार रुपया मासिक व्यय किया जाता है। क्रांति नहीं होगी तो और क्या होगा, अगर यही रवैया थोड़े दिन और जारी रहा तो निश्चित क्रांति होगी जिसे आप रोक भी नहीं सकेंगे।

अधिकारियों के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि अगर मैंने किसी का नाम ले लिया तो वह उसकी योग्यता हो जायेगी और उसको तरक्की जरूर मिल जायेगी। इसलिये मैं अधिकारियों के नाम नहीं लूंगा केवल संकेत मात्र ही करूंगा। देवरिया के एक अधिकारी के बारे में शिकायतें आईं, अखबारों में खुली तस्वीरें भी आईं और इतने पर भी शासन की ओर से उन को १०० या २०० रुपये तरक्की देकर ऊंचे पद पर पास में ही भेज दिया गया। एक क्लास है उसमें कोई महिला ए० डी० ओ० हैं, वह बी० डी० ओ० के पद के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने गईं और वहां से सेलेक्ट नहीं हुईं लेकिन वह आज भी बी० डी० ओ० बनी हुई हैं और वहां से हट नहीं सकतीं। मुमकिन है उनकी किसी तक पहुंच हो या हमारी तरह किसी खद्दरधारी से वह संबंधित हों। इसलिये जब तक प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कर के क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर कदम नहीं उठाये जायेंगे हमारे प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। एक ओर समाजवाद की बात है और दूसरी तरफ कर लगाने का इरादा है। अन्त में एक शेर कहकर समाप्त करूंगा कि—

अजब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं।
साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो बजट प्रस्तुत है उसका मैं अनुमोदन करता हूं क्योंकि मेरा विश्वास है कि प्रदेश की चतुर्मुखी उन्नति के लिये जितने साधनों की आवश्यकता होती है

[श्री शिव कुमार, सुल्तानपुर]

वह सब के सब इस बजट में विद्यमान हैं। इसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। कुछ दिन पहले जब मैं यहां का सदस्य नहीं था तो २ चीजें मेरे दिमाग में गूंजा करती थीं, एक तो यह कि मैं समझता था कि विरोधी दल क नेता सरकारी पक्ष को हमेशा हमेशा ऐसे सुझाव देते रहते हैं जिससे सरकार एक स्वस्थ्य राज्य को कामयाबी से चला सके। दूसरी चीज मैं समझता था कि हम जितनी तजी चाहते हैं सूबे की तरक्की के लिये हमारे नेता उतनी तेज जा ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल ने अपने ५ घण्टे के लम्बे भाषण में इन चीजों के बजाय केवल ५ बेबुनियाद बातें ही कहीं और वह भी उसी प्रकार जैसे कि एक कहानी है कि एक चिड़िया आई वह एक दाना ले गई और फिर दूसरी चिड़िया आई और दूसरा दाना ले गई। कहानी कभी खत्म न हो इसी तरह से नेता विरोधी दल ने अपनी कहानी कह डाली। कुल मिलाकर सरकार पर उन्होंने ५ आरोप लगाये, जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाता है और अन्त में उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। यह सब बातें सुनीं जिससे पहली बात जो दिमाग में थी, भ्रम मालूम हो रही है। दूसरी चीज जो दिमाग में गूंज रही थी वह यह है कि यह कहा जाता है कि हमारे नेता सुस्त चल रहे हैं। उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि "जाने ईख मिठास को जो कहुं नीम चबाय" की तरह १४ महीने की संविद सरकार ने हमें यह बता दिया है कि कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जो देश का कल्याण कर सकती है, समाजवाद की स्थापना कर सकती है और समाज का कल्याण कर सकती है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा विरोधी दल वालों का ध्यान उस समय की ओर दिलाना चाहता हूं जब कि वे ताकत में थे और जब उनकी संविद सरकार थी तो कोई समाजवादी कार्य नहीं किया। इस समय आप देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार समाजवाद की ओर जा रही है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो कांग्रेस सरकार न कदम उठाया उस पर सभी ने धन्यवाद के प्रस्ताव भेजे। यहां का कांग्रेस विधायक मण्डल दल ने भी भेजा लेकिन श्रीमन्, आपने यह सुना होगा कि जनसंघ पार्टी और स्वतंत्र पार्टी के लोगों न उनका समर्थन नहीं किया। ये समाजवाद का नारा देते हैं तो हम समझते हैं कि समाज को, हम को और सदन को भी ये धोखा दे रहे हैं। यदि वे अपने को समाजवादी कहते हैं तो इन्दिरा जी द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन इन्होंने क्यों नहीं किया।

जहां तक ट्रांस्फर्स का संबंध है जिनके बारे में हमारे नेता विरोधी दल ने बहुत कुछ कहा है, ट्रांसफर्स तो होते रहते हैं। हर सरकार चाहती है कि एक अधिकारी अगर आज एक जगह है तो कल वह दूसरी जगह जाय क्योंकि एक जगह रह कर अधिकारी अपनी ताकत का दुरु योग न कर के। ट्रांस्फर्स के बारे में यह कहना कि हम किसी बदनीयती से कर रहे हैं, यह उनकी जबरदस्ती है। मेरे ब्लाक में, यह रिकार्ड की बात है, उस जगह से कागजात भी आप मंगा सकते हैं, वहां एक ए०डी०ओ० जन स्वास्थ्य था। उसके यहां एक ए० डी० ओ० पशुपालन कूद पड़ा बदनीयती से। पशुपालन वाले ए० डी० ओ० का कोई रिश्तेदार यहां था जो शायद उस सरकार में एक मिनिस्टर भी था। जब उनके खिलाफ लिखा गया तो उनका ट्रांसफर हो गया, लेकिन संविद सरकार ने कहा कि उनका ट्रांसफर रोक दिया जाय और हम पर तथा बी० डी० ओ० पर दबाव डाला गया कि हम लोग अपनी रिपोर्ट बदल दें। जब ऐसा नहीं हुआ तब ए० डी० ओ० जन-स्वास्थ्य का भी ट्रान्सफर कर दिया गया। श्रीमन्, अगर आप कागजात देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि संविद के कैसे कारनामे थे।

जब हम शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, गन्ने की मिलों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, उस समय हम पर यह इल्जाम लगाना कि हम समाजवादी नहीं हैं, जनतंत्र में आस्था रखने वाले नहीं हैं, यह भयानक भूल होगी।

विरोधी दल वालों ने कुन्बा परस्ती का दोष लगाया। एक साधारण सी बात है कि हमारे नेता श्री चन्द्रभानु गुप्त हैं, जिनके न कोई बीबी है, न बच्चा न जाति है न बिरादरी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जय राम वर्मा, व श्रीपत मिश्र ने भाई चारे और ब्राह्मणवाद की नींव नहीं

डाली। श्रीमन्, मेरी श्रीपत जी से शुरू से दोस्ती है। वहां पर ब्राह्मणवाद को उन्होंने ही जन्म दिया है। वहां पर जो ठाकुर हैं उन्होंने ठाकुरवाद को फैलाया है। वे लोग जनसंघ में हैं। कांग्रेस ने कभी कोई भाई चारा नहीं समझा है। महात्मा गांधी सभी जनता के आदमियों को अपना भाई कहते थे, हरिजनों की बस्तियों में रहते थे लेकिन ये विरोधी दल वाले केवल नारा लगाते हैं। कसूर ये करते हैं और सजा मुझको दिलाने की कोशिश करते हैं।

श्रीमन्, मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि जब संविद की सरकार थी तब उसने किसानों का पानी बन्द कर दिया था, बिजली की सुविधा भी बन्द कर दी थी लेकिन कांग्रेस की सरकार जब आई तो मार्च से लेकर अब तक उसने उनको बिजली की सुविधा फिर से दी और उनको पानी की सुविधा भी दी। नहरें जो पानी से सूख रही थीं उनमें पानी पहुंचाया। वह दिन भी हम भूले नहीं हैं जब विधान सभा के सामने संविद की सरकार ने डण्डे बरसाये थे और आज विरोधी दल कर्मचारियों का राग अलाप रहा है। संविद की सरकार आने पर इसी विधान सभा में कर्मचारियों ने घी के चिराग जलाये थे लेकिन कुछ दिन बाद आन्दोलन हुए, हड़ताल हुई। कर्मचारी मारे गये, पीटे गये और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत से बरखास्त किये गये और बहुतों पर मुकदमे चल रहे हैं। विरोधी दलों से मेरा अनुरोध है कि वे वास्तविकता को सामने रखें जिससे हमको रोशनी मिले। वे अपने बुरे कामों को हम पर न थोपें। यह बहुत भयानक बात होगी।

एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि सरकार ने नसबन्दी के लिये जैसे कानून बनाया है कि जो नसबन्दी करायेगा उसे १५ रुपये मिलेंगे और जो कर्मचारी नसबन्दी नहीं करायेगा उसे सजा होगी। इसके साथ एक सुधार और कर लें कि जो कर्मचारी अगर जल्दी से जल्दी किसानों को बिजली नहीं पहुंचायेंगे, पंपिंग सेट्स नहीं खरीदवायेंगे तो उनको मुअत्तल कर दिया जायगा। नसबन्दी जितनी जरूरी है, अन्न की पैदावार भी उससे कम जरूरी नहीं है। अभियन्ता नाम के जो भगवान पृथ्वी पर हैं, जो किसानों से हमेशा नाराज रहते हैं उनको सरकार को खुश करने की कोशिश करनी चाहिये। कृषि के मामले में यह सरकार वैसे काफी सतर्क है, काफी अनुदान दे रही है, कृषि के लिये हर संभव प्रयत्न कर रही है लेकिन उतनी तरक्की नहीं हुई है जितनी कि होनी चाहिये।

एक चीज और है कि हम चुनाव लड़ कर आते हैं और जनता से बीसियों वायदे करके आते हैं। जैसे नहर खुदवा देंगे, ट्यूबवेल्स लगवा देंगे। इसलिये वायदे नहीं करते कि वोट मिले बल्कि हम महसूस करते हैं कि इसकी जरूरत है। हमारे जिला सुल्तानपुर के दक्षिणी इलाके में नहरें व ट्यूबवेल हैं लेकिन उत्तरी इलाके में न नहरें हैं, न ट्यूबवेल हैं, वे भाग्य के भरोसे खेती करते हैं जिसकी आज आवश्यकता नहीं रह गयी है।

आज शिक्षा संस्थाओं में रोज झगड़े मच रहे हैं। कहीं अध्यापक हड़ताल कर रहे हैं, लड़के चाकू मार रहे हैं। इसलिये यदि इन माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय तो बड़ा अच्छा होगा। उससे फिर हमको और आपको गाली सुनने का मौका नहीं मिलेगा। अध्यापक इलेक्शन लड़ते हैं, गाली देते हैं और अगर यह राष्ट्रीयकरण हो जाय तो उनका ध्यान शिक्षा की ओर केंद्रित हो जायेगा और वे गुरु की गरिमा की हैसियत से शिक्षा देंगे और फिर राजनीतिक खुराफात बन्द हो जायेगी।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी को पुनः धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसा बजट बनाया है जो समाजवाद की स्थापना में सहायक होगा और निश्चय ही यह सदन और सदन के सदस्यगण सर्वसम्मति से इसे स्वीकार करेंगे।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि इस बजट में जो टैक्स लगाये जा रहे हैं, उसका असर गरीबों पर कम पड़े इस बात का ध्यान रखा गया है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा टैक्स है जिसका ९० प्रतिशत से ज्यादा असर गरीबों पर

[श्री प्यारे लाल,]

न पड़ता हो। भूमिधर बनने के लिये दसगुना से बढ़ा कर बीस गुना कर दिया गया, सेल्स टैक्स की बात कही गयी, स्टाम्प, ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस इस सब का असर गरीब पर पड़ता है या अमीर पर पड़ता है। मैं शराब की बात नहीं कहना चाहता लेकिन अगर शराब को भी देखा जाय तो उसका भी सारे का सारा असर गरीबों पर ही पड़ता है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अप्रत्यक्ष करों का असर हमेशा गरीबों पर ही पड़ेगा। यदि वह प्रत्यक्ष कर लगाते तो हो सकता है कि उनका असर अमीरों पर पड़ता। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने २० करोड़ रुपये के संसाधन जुटाने की परिकल्पना की है। मैं उनसे कहूंगा कि यदि लेखा परीक्षक की १९६८ की रिपोर्ट को वह पढ़ लेते जिसमें बुकाया धन गलत व्हाउचर, गलत रसीद और गबन या भ्रष्टाचार के मामलों से लगभग ४० करोड़ रुपये की गड़बड़ है।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पोठासीन हुये।)

यदि उसे बचाने की कोशिश की जाती तो २० करोड़ के संसाधन जुटाने की आवश्यकता न पड़ती। यदि उन्होंने वह रिपोर्ट नहीं पढ़ी है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह उसे पढ़ लें और उसको पढ़ने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार के टैक्स लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम कृषि की पैदावार बढ़ाने का उपाय कर रहे हैं। लेकिन आपने इस बजट भाषण में कृषि की पैदावार बढ़ाने की ओर कौन-कौन सक्रिय कदम उठाये हैं। इस प्रदेश में लाखों एकड़ जमीन परती और बंजर पड़ी है। यदि उस जमीन को दस बीघा पक्का प्रति भूमिहीन परिवार में बांट दी जाय और उनके लिये तीन साल तक मुफ्त बीज खाद और सिंचाई की व्यवस्था की जाय तो प्रदेश की पैदावार में चार चांद लग सकते हैं। विदेशी अनाज की ओर ललचाई निगाहों से न देखना पड़े। केवल भाषण के आधार पर पैदावार बढ़ने वाली नहीं है। आप उद्योगों को सस्ती भूमि और बिजली देते हैं और टैक्स की भी छूट देते हैं। यदि इसी तरह की छूट किसानों को दें सिंचाई, बीज और खाद में छूट दें तो निःसंदेह पैदावार बढ़ सकती है। केवल कोरे नारों से या झूठे आडम्बरों से, कागजी योजना से पैदावार बढ़ने वाली नहीं है। मेरे क्षेत्र धौलाना ब्लाक में हसनपुर व मसूरी की दो झीलें हैं जिनमें हजारों एकड़ जमीन रात दिन पानी में डूबी रहती है जिसके कारण आसपास की जमीन भी बंजर होती जा रही है। यदि वित्त मंत्री चाहते हैं कि पैदावार बढ़े तो वह सिंचाई विभाग के द्वारा नाले खुदवा कर वहां का पानी निकलवायें जिससे वह जमीन पानी से निकल सके और जो पास की जमीन है जो कि रेहाली हो रही है वह भी खेती के लायक बनी रह सके। धौलाना ब्लाक में न सड़क है न बिजली है और न दवाखाना, सड़क और बिजली के अभाव में वहां के कृषकों की आर्थिक स्थिति अस्त-व्यस्त हो गई है।

एक बात और वित्त मंत्री जी ने बिजली की बात की है लेकिन वह यह भी नहीं देखते कि बिजली कई कई दिन तक गुम हो जाती है जिससे सरकारी टयूबवेलों की कौन कहे निजी टयूबवेल भी बन्द हो जाते हैं। सरकारी टयूबवेल तो बड़े अफसर मिल कर मोटर फुंकने का बहाना करके टयूबवेलों को बन्द कर देते हैं और जब ४००–५०० रुपये जिलेदार या अन्य कर्मचारी को दे दिये जाते हैं तो दो, तीन घंटों में ही वह नलकूप चालू हो जाता है। लेकिन निजी टयूबवेल भी बन्द हो जाते हैं क्योंकि करेन्ट गायब हो जाती है। यही हाल उद्योगों का भी है सारे-सारे दिन मजदूर हाथ पर हाथ रक्खे बेकार बैठा रहता है। बिजली देने की नीति, चाहे किसान के लिये हो, चाहे मिल मालिक के लिये, दोषपूर्ण है। इस तरह से मिलों में और उद्योगों में इससे नुकसान होता है। एक तरफ तो माननीय वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हम इस प्रदेश के गरीबों का जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। लेकिन यह देखा गया है कि उनके बजट भाषण में जहां हर योजनाओं में हमारे यहां की आमदनी बढ़ी है उससे कहीं ज्यादा हमारे यहां जनसंख्या बढ़ गई है। इससे हमारे प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की औसत आमदनी घटती चली जा रही है। फिर किस तरह से हमारा जीवन स्तर उठेगा कैसे हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। आपकी योजनाओं में कहीं न कहीं कुछ बुनियादी खामियां जरूर हैं। उनको आपको दूर करना चाहिये

जब आपकी योजनाओं की आमदनी से ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है तो आपकी इन योजनाओं से क्या फायदा । ये आपकी गलत योजनायें हैं। ये प्रदेश की ९–१० करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ करने वाली एवं धोखा देने वाली योजनाएं हैं। वह गरीबों के हित में न होकर पूंजीपतियों के हित के लिये हैं तथा पूंजीपतियों की ही तिजोरियां भरने वाली योजनायें हैं।

इसी के साथ-साथ मुझे यह भी कहना है कि नई फैक्टरियों को तीन साल तक के लिये सेल्स टैक्स से मुक्ति दी गई है। इसका यह नतीजा होगा कि नई फैक्टरी पहले किसी एक नाम से चलेगी और तीन साल पूरे होने पर वही फैक्टरी दूसरे के नाम से चलेगी जबकि मालिक वही होगा। फिर दूसरे तीन साल बाद तीसरे नाम से चलेगी यह बोर्ड व नाम बदलने का क्रम कभी नहीं रुकेगा। इसका असर यह होगा कि सरकार को कभी भी सेल्स टैक्स नहीं मिलेगा। और सरकार की आमदनी घट कर भारी नुकसान होगा। इससे सरकार को नया टैक्स लगाना पड़ेगा। जिसका बोझा प्रदेश की गरीब जनता ही पर पड़ेगा अमीरों पर नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट भाषण में कहीं भी स्वायत्त शासन विभाग का जिक्र नहीं किया गया है। यह एक बड़ा अहम विभाग है। इसका जिक्र न होना कहां तक ठीक है। इसका कहीं भी जिक्र नहीं है कि इससे कितनी आमदनी है और कितना खर्चा होगा तथा यह कितने जुल्म ढाता है। प्रदेश भर में लाखों एकड़ कृषि योग्य भूमि एक्वायर कर लाखों किसान इस विभाग द्वारा तबाह किये गये हैं और मेरे इलाके गाजियाबाद में तो हजारों किसान इसके द्वारा बर्बाद हो गये हैं। लाखों एकड़ जमीन किसानों की एक्वायर की जाती है लेकिन उसका पैसा उनको वर्षों तक नहीं दिया जाता है। ऐसे मानवता के विरुद्ध काले कानून में ऐसा परिवर्तन होना चाहिये जिससे कि कब्जा लेने के पूर्व ही मुआवजा देने की व्यवस्था हो। लाखों किसानों को बेघरबार कर दिया जाता है और उनको रोजगार तक नहीं दिया जाता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कस्बों के विस्तार हेतु भूमि ली जाती है वहां दुकानें बनती हैं, मिलें बनती हैं, उन दुकानों या मिलों में जिनकी जमीन ली गई है उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। हमारे इलाके गाजियाबाद में हजारों एकड़ जमीन एक्वायर की गई है और १९६३–६४ से आज तक उनको उसका मुआवजा नहीं मिला है। वे कहां से खायें, कहां से अपने बच्चों को पढ़ायें और कहां से उनके लिये कपड़ा, पढ़ाई व दवा वगैरह जुटावें। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि उनको दो-तीन महीने तनख्वाह न मिले तो क्या वह अपने पद पर रह कर भलीभांति कार्य कर सकते हैं? यदि नहीं तो फिर जब किसानों को १९६३–६४ से अभी तक मुआवजा नहीं मिला है तो वह कैसे अपना काम चलावें। उनको शीघ्र से शीघ्र मुआवजा मय हर्जाने के दिलाया जाय।

इसके साथ ही साथ मास्टर प्लान में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और इंडस्ट्रियल एरिया में जो योजना बनाई गई है उनमें गरीबों के मकान ले लिये गये हैं और अमीर लोग जो कोठी और फैक्टरी बनाते हैं उनको नहीं लिया जाता है न ही उन पर कोई कानूनी कार्यवाही होती है। लेकिन गरीबों के झोंपड़े पर उन महकमों की दुधारी तलवार चलाई जाती है। उनके झोंपड़े उजाड़ दिये जाते हैं और उनके बच्चों को बेघरबार कर दिया जाता है। मैंने कई बार माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से कहा है कि आप एक ऐसी सर्वाधिकार सम्पन्न समिति बनाइये या स्वयं गाजियाबाद आकर दो-तीन दिन रह कर उन विवाद ग्रस्त बस्तियों को देख कर फैसला करें कि जिन जमीनों का लेना जरूरी है और जिनकी वजह से सरकार का काम रुका पड़ा हो उसको ले लें और जिनको छोड़ना हो उसका फैसला कर मौके पर ही छोड़ने का ऐलान करें। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक गरीब लुटते रहेंगे और गरीबों के बच्चे बेघरबार के होते रहेंगे जो प्रजातंत्र के सिद्धान्त के विरुद्ध है। इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे यहां नगरपालिका १९६० से अतिक्रमित (जब्त) है। सारे उत्तर प्रदेश में ९–१० करोड़ व्यक्तियों को अपने नागरिक अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों? क्या गाजियाबाद की नगरपालिका को इस सत्र में ही बहाल करने का एलान करेंगे और जो अक्टूबर-नवम्बर में सारे प्रदेश के नगरपालिका के चुनाव होने

[श्री प्यारे लाल]

वाले हैं उनके साथ ही साथ गाजियाबाद की नगरपालिका का चुनाव करायेंगे ? गाजियाबाद नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी एस० पी० झा जिनके खिलाफ २३-२४ आरोपों का जायज हलफनामे के साथ आया है, उसके खिलाफ आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? उनका तबादला हो गया था, तबादला भी रोक दिया गया है इसलिए कि जो उनके खिलाफ आरोप लगाये गये हैं उनको वह दूर कर सकें। इसकी भी वजह है ऐसा सुना जाता है कि जब स्वायत्त शासन मंत्री जी ने कार्यभार संभाला तो एस० पी० झा ने अपने पास से किराया देकर ट्रक से स्वायत्त शासन मंत्री जी का सामान दिल्ली से नगीने भिजवाया था। इसी लिये उन्हें आरोपों को दूर करने का अवसर दिया जा रहा है--तबादला रोक कर ताकि वह अपने आरोपों को दूर कर सकें। इसके साथ-साथ जो स्वास्थ्य इंस्पेक्टर हैं वह नमूना न लेकर रात-दिन दुकानदारों एवं दूध वालों से धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। गाजियाबाद नगर सफाई एवं स्वच्छता में आदर्श था। वह सड़ान कूड़े, कचरे व मच्छरों का नगर बन कर रह गया है। इसके अतिरिक्त गाजियाबाद नगरपालिका की सीमा बढ़ाने में भी धांधलेबाजी की गयी है। गाजियाबाद नगरपालिका की तीन तरफ से तीन मील से छः मील तक बिना विकास किये सीमा बढ़ा दी गई है। लेकिन वहां पर एक रेलवे लाइन या एक सड़क ही बीच में आती है। और जहां ४५ हजार की विशाल जनता रहती है, उस महान् जनता को गाजियाबाद नगरपालिका में सम्मिलित नहीं किया गया। ये आबादियां अथवा मोहल्ले हैं---अमृत बनस्पती, डुंडाहेड़ा, धोबीघाट, पंजाब लाइन, भूड़, भारत नगर, गोपुरी, विजय नगर, मवई, कैलाश नगर, कोला। अतः नगरपालिका बहाली के साथ ही साथ उक्त इलाके को भी नगरपालिका की सीमा में शामिल करने का स्वायत्त शासन मंत्री जी इसी सत्र में ऐलान करें।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय हो गया।

श्री प्यारेलाल---

एक मिनट, बस। मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी से कहूंगा कि इस ४५ हजार की आबादी को भी नगर की सीमा में सम्मिलित करने का एलान करें। स्वायत्त शासन मंत्री जी अपने विभाग पर बहस के लिए एक या दो दिन जरूर निश्चित करवाएं। उनके विभाग के लिए बहस के लिए कोई जिक्र नहीं है। वह इसके लिए अलग से समय नियुक्त करवाएं। मैं उपाध्यक्ष महोदय से भी कहूंगा कि वह एक या दो दिन इस पर बहस के लिए नियुक्त करें क्योंकि स्वायत्त शासन मंत्री जी बहस से बचना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इस बजट में जिसमें इतनी बड़ी धनराशि रखी गयी है, उसमें एक रुपये की भी धनराशि मंजूर न की जाय।

श्री उमादत्त शर्मा (जिला मेरठ)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका अनुमोदन करता हूं, लेकिन साथ ही मैं इस बजट को यह मानता हूं कि इसमें समाजवाद की ओर अग्रसर होने का सर्वांगीण प्रयत्न निहित है। लेकिन इसमें इस किस्म की कोई बात नहीं आयी है, विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता जो अपने विषाक्त भाषणों द्वारा, जनता में जो जनतंत्र की मूलाधार है उसमें जो उनकी प्रेरणाओं से स्वस्थ लोकमत बनना चाहिए, वह स्वस्थ लोकमत न बन कर, जो जनता के हृदय और मस्तिष्क को विकृत करते हैं, तो क्या शासन उनको अपराधी घोषित करेगा ? मैं चाहता हूं कि जब ऐसा पता लगे कि अमुक व्यक्ति के अमुक नेता के कहने से ऐसा हुआ है और किसी वर्ग विशेष पर इस प्रकार का दूषित प्रभाव पड़ा है तो उसे उचित दण्ड दिया जाए और उसे अपराधी घोषित किया जाए। मैंने चौधरी साहब का भाषण सुना। मैं उस जिले का रहने वाला हूं। मैं २० साल तक उनका राजनैतिक साथी रहा हूं और उनका चीफ लेफ्टीनेंट रहा हूं। उनकी कार्यविधि का मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है, मैं उन्हें खूब अच्छी तरह से समझता हूं। नेता विरोधी दल को अधिकार है कि वह बजट की आलोचना करे और इस हेतु वह चाहे

जितना समय लें। वह जितने समय चाहें बजट पर अपने विचार प्रकट करें। लेकिन जिस प्रकार का भाव उन्होंने कल अपनाया वह मुझे उचित कतई नहीं लगा। उनके भाषण में बिलकुल सीधे कटाक्ष कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं पर था। उसमें उनको पूरा समय आपने उनको दिया। उनके भाषण के ४-५ घंटे सदन के व्यर्थ गये। आपने उसकी कोई परवाह नहीं की। अन्य कोई बोलने वाला खड़ा होता है तो आप उसे समय नहीं देते हैं, बोलने पर प्रतिबन्ध लगाते हैं और मौका नहीं देते हैं। मैं आपको बताता हूं उनके भाषण के बारे में जो खास तौर से यहां पर गैलरियों में बैठने वाले लोगों को अपने समर्थक लोगों को सुनाने के लिये दिया गया था, उनको प्रभावित करना उनका उद्देश्य था।

उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें कांग्रेस जैसी पुरानी संस्था मौजूद है, किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि वह ४०–५० लाख रुपया इकट्ठा कर सके और कांग्रेस भी इकट्ठा नहीं कर सकती। तो फिर कैसे यह रुपया भारतीय क्रान्ति दल का इकट्ठा हुआ, पर हुआ। तो मैं बताऊं कैसे इकट्ठा किया उन्होंने। जनमानस को उन्होंने अस्वस्थ कर दिया और यह जनता को बताया जगह-जगह अपने भाषणों में कि 'ऐ किसानों यह ५० करोड़ रुपये का जो फायदा तुम्हारा गन्ने से हुआ है, उसका दो प्रतिशत मुझे दो। यह गन्ने का भाव हमने बढ़वाया है। अब जब यह गद्दी पर नहीं हैं अपने भाषण में फरमाया करते हैं कि यह तुम्हारी बदकिस्मती है कि हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन अगर हमारी सरकार बन जाती तो गन्ने का भाव जो गिर गया है ऊंचा हो जाता, मिल मालिक अपने आप बढ़ा देते। वह सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिये कुछ मुश्किल नहीं है। वह अपने को सर्वसमर्थ समझते हैं जिस दिन वह गद्दी पर बैठ जाएंगे कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, कोई मुनाफाखोरी नहीं कर सकता, कोई रिश्वत नहीं ले सकता। क्योंकि जनता में उनका भय व्याप्त है। यह सब बातें यह कहते हैं। यह मैं जानता हूं कि जो कुछ मैं यहां कहने जा रहा हूं शायद उसका परिणाम भी मुझे भुगतना पड़े, लेकिन कहूंगा अवश्य। यहां पर चौधरी साहब नहीं हैं। मैं उनका बहुत आदर करता हूं। उन्होंने किस प्रकार से वर्ग विशेष का वातावरण विषाक्त किया यह मैं आपको बताने जा रहा हूं।

मेरे पास जिले अलीगढ़ के इगलास निर्वाचन क्षेत्र से जब चौधरी साहब की धर्मपत्नी गायत्री देवी भारतीय क्रान्तिदल से जीत गईं। तो उनकी जीत की खुशी का एक जुलूस निकला तो उस जुलूस में एक सुन्दर सजीव पुतला गौतम जी का बनाया गया और मैंने देखा कि १० कदम जुलूस निकलता था तो उस पुतले को १० जूते मारे जाते थे। और यह कहा जाता था कि क्यों बे तेरी यह हिम्मत कि तू माता जी के सामने खड़ा हो गया। जब वह हाथ जोड़ता तो उससे कहा जाता था कि विनय करो तो वह कहता था कि सरकार गलती हो गयी। तब उससे कहा जाता था कि उठक बैठक करो १० बार। (एक आवाज...आप ने कितनों का पुतला जलाया?) हमने कम से कम आपका पुतला तो नहीं ही जलाया। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस किस्म के जुलूस और डिमांस्ट्रेशन और यही अगर चीज पैदा होने दी जायगी तो क्या उससे विशेष वर्ग की भावना को ठेस नहीं पहुंचेगी? माननीय यादवेन्द्र दत्त जी अभी नक्सल-बाड़ी और अराजकता आदि की बातें कह रहे थे? उसके होने के लिये कौन जिम्मेदार है? इसके लिये मैं कुछ हद तक अपने कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं को भी दोषी ठहराऊंगा क्योंकि जब पिछला चुनाव हुआ तो सरदार प्रीतमसिंह का कत्ल हुआ जो चौधरी साहब के मुकाबले लड़े थे और हरिजन थे। जब वह कत्ल हो गया तो उसके खिलाफ बड़ा भारी प्रदर्शन हुआ। लोग बिल्ली तक गये लेकिन कांग्रेस के नेता चुप बैठ गये और उसको एक प्रकार से प्रोत्साहन दिया। उसी का यह परिणाम है।

यहां सदन में ऐसी-ऐसी बातें कही जाती हैं और चौधरी साहब की तरफ से कि साहब यहां तो कांग्रेसवालों से बी० के० डी० वालों का कत्ल हो रहा है और कांग्रेस शासन में बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं आपको एक विशेष घटना दौराला की बताना चाहता हूं। चौधरी साहब ने कहा कि एक बी० के० डी० तहसील के इंचार्ज थे और उनको ऐसी बात बतलाई कि मानों तैमूर शाही और नादिरशाही को भी मात कर देने वाला जुल्म उनके खिलाफ किया गया। उन्होंने क्या किया?

[श्री उमादत्त शर्मा]

उनका एक भट्ठा है लबे सड़क जो दौराला के पास है। वहीं पर जो ए० एस० पी० साहब थे। वह उसी भट्टे पर आ जाते थे। वहीं पर एस० डी० एम० को बुला लिया जाता था। वहीं थानेदार आ गया, वहीं रोजनामचा, रपट सब लिखी जाती थी और लोगों के खिलाफ तरह तरह के जुल्म वहां किये जाते थे। हजारों आदमियों को वहां वह स्वयं पीटते थे या अपने मुंशी जिसका नाम शायद फुल्लन सिंह या क्या था उसके द्वारा पिटवाया जाता था, सैकड़ों आदमियों की उन्होंने हड्डियां तोड़ दीं और अगर पिटने के बाद वह रिपोर्ट करने चला जाय तो उसकी खैरियत नहीं थी। एक रोज एक वाकया हुआ। एक आदमी भाग कर मेरठ चला आया उससे पता चला कि महीनों तक बल्कि सालों तक यह क्रम चलता रहा। उसने मेरठ आकर भूख-हड़ताल की उस जुल्म के खिलाफ। जब हम लोगों को इसका पता चला तो हम लोगों ने जाकर उनकी भूख-हड़ताल तुड़वायी और उनको आश्वस्त किया कि जो कुछ होगा हम करेंगे। हमने एस० एस० पी० से कहा कि इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और वही एस० एस० पी० था जिसको चौधरी साहब ने ट्रांसफर करके वहां पहुंचा दिया था। एस० एस० पी० साहब से इसकी बाबत कहा तो उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारी को मुकर्रर कर दिया। जब वरिष्ठ अधिकारी तहकीकात के लिये जाता है तो हजारों आदमी जमा हो जाते हैं और शिकायत करने आते हैं तो बी० के० डी० को पता लगता है कि हमारे एक नेता की आज इन्क्वायरी हो रही है और उसके बाद फिर वहां बी० के० डी० के लोग ट्रक द्वारा पहुंचते हैं और नारे लगाने लगते हैं कि चौधरी साहब जिन्दाबाद, बी० के० डी० जिन्दाबाद और वह इन्क्वायरी बी० के० डी० के जलसे में कन्वर्ट कर दी जाती है। इसके बावजूद क्या होता है। वह होता है जो इस सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुये मुंह से निकाल तक नहीं सकता।

श्रीमन्, क्या बतलाऊं कहते भी लज्जा आती है। जैसी-जैसी स्त्रियों को वहां पर पेश किया गया उनसे मालूम हो सकता है कि किस प्रकार से जुल्म किया गया। उन स्त्रियों ने कहा कि हमारे शरीर देख लिये जांय कि किस तरह से पीटा गया है। आज साल भर से हमारा खून बन्द नहीं है। एस० पी० महोदय ने वह इन्क्वायरी की तफतीश एक थानेदार को दे दी। उनका नाम मुहम्मद हुसैन था। वह बहुत ईमानदार आदमी थे। जब यह वहां पर मालूम हुआ कि इन्क्वायरी खिलाफ जा रही है तो उससे इन्क्वायरी छीन ली गई और दूसरे आदमी को दे दी गई। दफा ६९ में रिपोर्ट आ गई। इस प्रकार क अनेक उदाहरण हैं। मैं आपके माध्यम से एक हजार इस तरह के आदमी सदन के समक्ष उपस्थित कर सकता हूं.....

एक सदस्य—

जो आप बोल रहे हैं इतनी जल्दी बोल रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप धीरे-धीरे बोलिये ताकि लोगों की समझ में आ सके कि आप क्या कह रहे हैं।

श्री उमादत्त शर्मा—

अच्छा, श्रीमन्, इस तरीके के वाकयात की ३०० रिपोर्ट केवल लिखित थाना बड़ौत में हो गई। ९८ रिपोर्ट थाना छपौली में हो गई। हजारों आदमियों के सिर फूट जायं और हाथ पैर टूट जांय तो यह क्या कोई मामूली घटना कही जा सकती है। जब डी० आई० जी० से कहा गया तो उसने कहा कि एलेक्शन में सब जगह पीस है। क्या इसी को पीस कहा जा सकता है आज भी वहां पर भय का वातावरण मौजूद है। कल ही मेरे पास एक लेटर आया जो मैंने माननीय गुप्त जी को दे दिया है। वह एक गांव का किस्सा है जिसकी जानकारी मुझको पहले से थी। मैं विरोधी दल को चैलेन्ज करता हूं कि वह इसको असत्य साबित कर दे। श्रीमन्, इस तरह की घटनायें हैं, हरिजनों के मुंह में पेशाब कराया गया है। मेरे पास इसका सबूत मौजूद है चूंकि उन्होंने बी० के० डी० के खिलाफ वोट दिया था। इस प्रकार के एक नहीं हजारों मिसालें मेरे पास मौजूद हैं। मुझे समय दिया जाय तो मैं आपके सामने सारी घटनायें रख सकता हूं। २ या ३ घंटे भी इस पर कहा जाय तो ये खतम नहीं हो सकती हैं। इस प्रकार की भी चौधरी साहब की

कार्य-शैली हैं । मैं उस कार्यशैली को जानता हूं और उनसे बहुत परिचित हूं जिस तरह से वह कार्य करते हैं और कराते हैं । मैं तो उनके साथ रहा हूं और इस तरह से रहा हूं और जैसे कोई बुलडाग रहता है। उसी तरह से मैंने काम किया है ।

चौधरी साहब की नीति ने सरजू प्रसाद, रघुवंश नारायण और विजयपाल सिंह जैसे नेताओं को बेकार कर दिया है । वह घर बैठे हैं । किसी ने हिम्मत की तो कत्ल हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

जरा समय का ध्यान रखें ।

श्री उमादत्त शर्मा–

चौधरी साहब अपनी बात कहते हैं अपनी दृष्टि से कि यह उचित होगा लेकिन उन्हें दूरगामी परिणामों का पता नहीं रहता कि क्या होगा । चकबन्दी का मुहकमा हमारे चौधरी साहब के पास था चकबन्दी कानून को लोकप्रिय बनाने के लिये गांव में जाया करते थे तो बड़ा शोर था कि मैं जो करने जा रहा हूं वह तुम्हारी बहबूदी के लिए है। और ऐसा कानून है कि अब कोई अधिकारी न रिश्वत ले सकता है और न कोई किसान रिश्वत दे सकता है । अब यह उनकी योग्यता का परिणाम है जो इस मुहकमे की आज यह हालत है कि ऐसा भ्रष्टाचार किसी विभाग में नहीं है । तो यह उनकी बुद्धि कौशल की उपज है और उस पर यह नाज कि हम सब कुछ हैं और सब गलत हैं । मैं आपको बताऊं कि मैं डी० सी० सी० के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से अपने कुछ साथियों के साथ पद यात्रा कर रहा था तो हरख्याल सिंह एम० एल० ए० की कांस्टीट्यूएंसी में पहुंच गया । चौधरी साहब बाबू सम्पूर्णानन्द को मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे चुके थे तो उन्होंने (चौधरी साहब ने) बाबू सम्पूर्णानन्द जी को चिट्ठी लिखी थी कि उनका इस्तीफा रोक दिया जाय वरना हरख्याल सिंह के इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा । तो चौधरी साहब की यह भावना कि मंत्री होने के प्रभाव से ही वोट इकट्ठा किया जा सकता है जनतान्त्रिक है ? मुझसे वहां लोगों ने यह पूछा कि शर्मा जी चौधरी साहब तो अब कांग्रेस में रहेंगे नहीं । तब मैंने बतलाया कि चौधरी साहब बड़े योग्य व्यक्ति हैं चाहे मिनिस्टरी में रहें अथवा नहीं परन्तु कांग्रेस में जरूर रहेंगे । क्योंकि उनके साथ बड़ा अनुभव भी है वह मानते हैं कि उनसे हजारों गुना काबिल बड़ी हस्तियां कांग्रेस से टकरा कर चूर-चूर हो गईं जैसे आचार्य कृपालानी, आचार्य नरेन्द्र देव, बाबू जयप्रकाश नारायण साहब इत्यादि ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य का समय हो गया । अब कोई नया प्रकरण छेड़ने की आवश्यकता नहीं है । बजट के संबंध में कहें तो ठीक है ।

श्री उमादत्त शर्मा—

दो मिनट और चाहिये । तो मैंने कहा कि आचार्य कृपालानी, आचार्य नरेन्द्र देव जैसी हस्तियां मिट गयीं, इसलिए वह कांग्रेस में जरूर रहेंगे चाहे मिनिस्टर रहें या न रहें। चौधरी साहब ने मुझे तलब किया, मुलाजिमान के कटहरे में खड़े होने का हुक्म दिया और कहा कि "कहां थे तुमने कुछ मेरे बारे में बालेनी गांव में क्या कहा था ?" तो मैंने कहा कि आपका जिक्र तो रोज करता हूं, हमारे नेता हैं । तो पूछा कि आचार्य नरेन्द्रदेव और कृपालानी का क्या जिक्र था । मैंने कहा कि हां उनसे हजार गुना बड़ी हस्तियां कांग्रेस से टकरा कर चूर चूर हो गयीं । तो चौधरी साहब ने कहा कि तुमने उनको मुझसे ज्यादा काबिल बताया । क्या तुमने मुझे, आचार्य कृपालानी आचार्य नरेन्द्र देव व बाबू जय प्रकाश नारायण को कोई इमला बोला था जिससे आपको यह पता लगा मेरी गल्ती १००० आई है । और इन नेताओं की एक आई जिससे आपको पता लग गया कि वह मुझसे १०. गुना काबिल हैं और मैं एक हजार गुना नाकाबिल हूं । यह चौधरी साहब का अभिमान और सोचने का ढंग । इस पर चौधरी साहब के समर्थक या जो ४०, ५० लाख रुपया चौधरी साहब ने इकट्ठा किया है । इस एक्सप्लाइटेशन को बड़ी योग्यता मानते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता यदि सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों ने इस बजट पर अपने विचार प्रकट किये होते जिसका कि उन्होंने अनुमोदन किया है। सभी वक्ताओं ने व्यक्तिगत तौर पर माननीय नेता विरोधी दल पर ही कटाक्ष किया है। मैं नहीं कह सकता कि यह कहां तक उनको शोभा देता है जो उन्होंने उन पर कटाक्ष किया है। अच्छा होता कि यदि वे किसी दल विशेष की कार्य प्रणाली पर कटाक्ष करते, या उसके बारे में कहते। केवल किसी के व्यक्तित्व पर ही कटाक्ष करना अच्छी बात नहीं है। उनको कहना चाहिये था कि यह बजट जन कल्याणकारी है, समाजवाद लाने वाला है, इसमें यह यह अच्छाइयां है आदि।

उपाध्यक्ष महोदय, जब तक हम अपने घर की सुरक्षा नहीं कर पायेंगे तब तक उस घर में कितनी ही ऐशो आराम की चीजें लाकर रख दें, सब बेकार हैं। मैं मथुरा जिले की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछली बार भी इस सदन में राज्यपाल महोदय ने यह भावना व्यक्त की थी कि हम पिछड़ेपन को मिटायेंगे। आप मथुरा जिले को देखें। वहां कितना पिछड़ापन है। बाहर का पानी गोवर्धन ड्रेन में डाल दिया है जिससे यहां की गर्की ने गम्भीर रूप ले लिया है। सुरक्षा की वृष्टि से भी देखिये तो वहां जीवन सुरक्षित नहीं है। पहले तो रात में डकैती पड़ा करती थी, अब हालत यह है कि दिन दहाड़े कत्ल और डकैती हो रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। बिन में आदमियों को मारा गया, लूटा गया, कोई कार्यवाही नहीं की गयी। एक आदमी को बदमाश ले गये, वहां के कप्तान महोदय ने बयान छपवा दिया कि वह घर से लड़ कर भाग गया। अंत में घरवालों ने काफी रुपया बदमाशों को देकर बदमाशों के चंगुल से उसे छुड़वाया। एक घटना उसके बाद २८/२९ जून की है। एक ही रात में बदमाशों ने कई आदमियों की हत्या की। उनका पोस्टमार्टम तक ३० जून तक नहीं होता है। जब ३० जून को अखबार में मैंने उसे पढ़ा और जब मैं कप्तान महोदय से मिलने गया, तो बताया गया कि वे खाना खा रहे हैं। जब जिलाधीश महोदय के पास ३ बजे के करीब गया, मेरे साथ पी० टी० आई० के रिपोर्टर थे, उनसे जब कहा तो वे स्वयं पूछते हैं यह घटना कब की है, कब घटी। मैंने कहा कि यह तो अखबार में छपी है। अब उनको उस घटना का जो इतनी भयंकर घटी हो। पता न हो तो यह प्रशासन की गैरजिम्मेदारी नहीं कही जायेगी तो क्या कहा जायेगा। मैंने उनकी मेज पर अखबार "अमर उजाला" पेश किया और उनसे कहा कि क्या आपने इसे पढ़ा नहीं है? इस पर उन्होंने बतलाया कि मथुरा जिले की खबर पीछे छपती थी जब कि आज फ्रंट पेज पर छपी है इसलिये मैंने उसे देखा नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास स्पेशल रिपोर्ट भी नहीं आयी तो उन्होंने कहा कि मेरे पास स्पेशल रिपोर्ट नहीं आयी है। मेरे सामने ही उन्होंने एस० पी० महोदय को टेलीफोन किया तो उनसे कहा गया कि वे भरतपुर गये हैं। मैंने और दूसरे लोगो ने भी एस० पी० को टेलीफोन किया लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिला। हम लौट कर जब एस० पी० के बंगले पर गये तो वे वहां मौजूद थे। अब मैं इस सदन को क्या कहूं कि वहां की स्थिति क्या है? मैं चैलेंज देकर कहता हूं कि आज तक एस० पी० उस गांव में नहीं गया जिस गांव में दस दस हत्यायें हुई हैं। १९ तारीख को मैं अपने यहां से चला हूं। उनके परिवार वालों ने मुझे लिखा है कि हमारे यहां और लोग जरूर आये लेकिन एस० पी० आज तक नहीं आया। माननीय आचार्य जी उठ कर चले गये, वे स्वयं २ तारीख को मेरे साथ वहां गये थे, उनके समक्ष गांव के लोगों ने यह बात कही कि अगर अमुक-अमुक आदमियों को पुलिस हिरासत में ले लेती तो यहां की स्थिति ठीक हो जाती? राजस्थान और यहां की पुलिस मिली हुई है। फिर यहां का इन्तजाम कैसे ठीक हो? अपने जिले की बड़ी बड़ी बातों को छोड़ कर मैंने एक छोटी बात इसलिये कही ताकि आपको मालूम हो जाय कि वहां सुरक्षा की क्या हालत है। वहां आये दिन रोजाना कत्ल होते हैं। वहां की कुछ उल्टी ही बातें हैं। वहां जिला स्तर के अधिकारी कांग्रेसी भाइयों की स्वार्थ पूर्ति के लिये रोके जाते हैं। अगर किसी का तबादला हुआ तो उस तबादले को कैंसिल किया गया, यह तो हालत है वहां प्रशासन की। यही नहीं, मुझे यह भी कहना है कि वहां हो क्या रहा है?

ऊपर से नीचे तक हम समाजवाद की बात करते हैं लेकिन अब तक हमने इसके लिये किया क्या है ? खेती की बात को ही ले लें, प्राथमिकता के आधार पर किसानों को मौके पर खेती सम्बन्धी तमाम सुविधायें मिलनी चाहिये । यदि ये सुविधायें नहीं दी जाती हैं तो क्या खेतों में उत्पादन बढ़ सकेगा ? यह कहा गया है कि १९६८–६९ में उत्पादन बढ़ रहा है और आशा से अधिक बढ़ रहा है । आंकड़े के आधार पर मैं अपने जिले के सम्बन्ध में कह सकता हूं कि जिला परिषद् में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि माट ब्रांच को खरीफ़ चैनल किया जाय जिससे नहर का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचा दिया जाय लेकिन ऐसा नहीं हुआ है । खरीफ़ तथा रबी की फसल खराब हो गयी । चालीस फ़ीसदी कमांड एरिया तक को पानी नहीं पहुंचा । इससे अच्छा बीज व खाद देने के बावजूद खेतों की फ़सल सूख गयी । जब तक सिंचाई के साधन न होंगे, अच्छे बीज और खाद होने पर भी उत्पादन नहीं बढ़ सकता है । खेती को पैदावार बढ़ाने के लिये अच्छे बीज और खाद की प्रेरणा किसानों को दी जाती है और उसके लिये रेडियो से तथा अन्य तरीके से प्रचार भी किये जाते हैं लेकिन हमने देखा है कि ब्लाक्स से जितने भी संकर बीज हैं वे समय से किसानों तक नहीं पहुंचते । फिर उसे उन आदमियों पर जबरन लाद दिया जाता है जो किसी तरह की अन्य सुविधायें, कर्ज छूट आदि के रूप में वहां से प्राप्त करते हैं ।

हमारे यहां सरकारी ट्यूबवेल्स तो हैं ही नहीं, जितने प्राइवेट ट्यूब वेल्स बढ़ रहे हैं उनकी बात मैं आपसे क्या कहूं । पता नहीं सरकार की मंशा क्या है । वे बेचारे कर्जा लेते हैं और इसके लिये जरूरी है कि कुछ अंकुश रहे । बैंक का मैनेजर या और कर्मचारी जब कुछ ले लेगा तभी उस गरीब के नाम चेक मिलेगा । इससे जाहिर है कि इसमें भी धांधली चलती है कि वह बंड उन्हीं किसानों पर पड़ रहा है जो चेक लेते हैं । यहीं तक नहीं आपने देखा कि जितने भी ये इंजिन के काम हैं इसमें टैक्निकल ज्ञान हमारे किसानों को नहीं है । यह यकायक हमको समझना कठिन है । उस टैक्निकल ज्ञान के न होने से आज क्या हो रहा है ? पम्पिंग सेट के लिये डीजल की मांग बढ़ी तो डीजल भी खराब मिलने लगा । उसके पुरजे भी अधिकांश खराब आ रहे हैं । बाजार में लेने जाय तो दाम अधिक लिये जाय । यह मांग की गई थी कि इसके लिये ब्लाक स्तर पर कोई टैक्निकल आदमी हो परन्तु ऐसा कोई सुविधा या सहायता नहीं दी गई । बिजली के कनैक्शन के लिये कई प्रस्ताव पास हुए । कुछ सुविधा दे भी रहे हैं लेकिन उस किसान के स्तर पर, उस स्तर पर जहां सुविधा दी जाती है किस तरीके से उस गरीब को तकलीफ़ उठानी पड़ती है और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिये न जाने कितने आदमियों की इच्छा की पूर्ति करनी पड़ती है । यह वह ही जानता है । कनेक्शन देने पर भी वह बिजली रोजमर्रा कृषि के काम में तरक्की नहीं दे पा रही है । यह कृषि के काम के लिये हो रहा है ।

मैं यह कहूं कि मथुरा में जब से यह देश आजाद हुआ है आज तक कोई प्रगति नहीं हुई है । कभी यह नहीं सोचा गया कि मथुरा में औद्योगीकरण किया जाय । बराबर योजना बनती है और वह भी कागज पर धूलधूसरित हो जाती है । यहां तक ही नहीं, यातायात के बारे में आपसे कहूं कि आपका राष्ट्रीयकरण का जो प्रस्ताव है और जो योजना है वह बहुत अच्छी है । मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि जब से आपका परिवहन महकमा चला है तब से अब तक रोडवेज की संख्या हर रूट पर उतनी ही है जब कि जनसंख्या और बढ़ गई है और रोडवेज की बसें भी खराब हैं । और उधर, दूसरी तरफ़ क्या हो रहा है . जितनी प्राइवेट बसें हैं वे बराबर चल रही हैं । अगर उनको प्राइवेट तरीके से चलाने की इजाजत दे दी जाय और उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाय तो भी सरकार के कोष में ही आवे । मैं फिर कहता हूं कि अपनी बसें बढ़ा करके जनसंख्या के आधार पर उनको चलाया जाय । लोगों को आना जाना पड़ता ही है । हर आदमी के सामने कितनी दिक्कतें आती हैं मैं कह नहीं सकता । स्वास्थ्य विभाग में हमारे डाक्टर महोदय देहातों में जाना पसन्द नहीं करते । आप कहते हैं कि आप देहातों के लिये यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं । लेकिन जब से आपने इस ओर ध्यान दिया है तब से कितने अस्पताल आपने खोले हैं । शहरों के एरिया में कितने अस्पताल हैं जहां डाक्टर मौजूद हैं । वहां यह सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है । आप डाक्टर साहबान पर प्रतिबन्ध लगायें कि यदि वे पांच या तीन साल तक देहातों में सर्विस करेंगे उन्हीं को अन्य शहरी क्षेत्रों में भेजा जा सकेगा । तभी

[श्री चन्द्रपाल आजाद]

आप की यह स्कीम कारगर हो सकती है । अब तक सट्टे जुए आदि पर प्रतिबन्ध था वही आज खुला सिस्टम लाटरी आदि का बना दिया गया है । यह किसके दिमाग की सूझ है ? आज पटवारी या लेखपाल से कचहरी में किसी काम की फ़र्द लेने जाय तो पहले ही कहते हैं कि ये लाटरी लो, ये लाटरी लो, सरेआम जुआ खेला जा रहा है । अब तक परिवार नियोजन कार्यक्रम में नसबन्दी या लूप के लिये ही यह सब कुछ हो रहा था अब तो यह जुआ सरेआम हो रहा है । इससे समाज की प्रवृत्ति बन रही है या नष्ट हो रही है । इससे समाज नष्ट हो रहा है । मेरी प्रार्थना है कि इस ओर जल्दी ध्यान दिया जाय और जनकल्याणकारी समाज में कम से कम यह खुलेआम जुआ न खेला जाय ।

सबसे बड़ी बात एक और है । मंडी समितियां जो हमारे लिये खोली गई हैं पहले तो आढ़तियों द्वारा ही लूट होती थी । अगर आप देखें, अध्यक्ष जी, इन मंडी समितियों में जिस मात्रा में सरे-आम लूट होती है उसे कोई सुनने वाला भी नहीं है । आढ़तियों से तो वह कुछ कह भी सकते थे । वहां तो बाबू लोगों का एकाधिकार हो गया है और उन्हीं का समुदाय हो गया है वहां तो कोई कुछ कह भी नहीं पाता । उसके साथ वहां ज्यादती होती है । उस तरफ़ सरकार का ध्यान जाना चाहिये । किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है । शिक्षा के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा की प्रगति अवश्य हुई है लेकिन दूसरी ओर उसकी हालत यह है कि दर्जा ६–९ तक के दाखिलों की हालत यह है कि उनके दाखिले के लिये प्राइवेट तरीके से मनमाना पैसा लिया जाता है । गरीबों से पैसा ले लिये जाने के उपरान्त भी, बाद में अधिक रुपया मिल जाने से उसका नाम लिस्ट से निकाल दिया जाता है और दूसरे शख्श को ले लिया जाता है । मेरी प्रार्थना है कि जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय जिससे वहां तक की शिक्षा तो गरीबों को मिल सके । इस दृष्टि से देखा जाय तो यह बजट कोरा दिखावा मात्र है समाजवाद का केवल नारा ही लगाया जाता है, उसके बारे में इसमें कुछ नहीं है ।

राज कर्मचारियों की मांग को ही ले लीजिये । मैं अधिकृत तौर पर कह सकता हूं कि बड़े आफिसरों के लिये सरकार के पास न जाने कहां से पैसा मौजूद है लेकिन छोटे कर्मचारियों की मांगों के लिये सरकार के पास पैसे का अभाव है । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सेक्रेटेरियट में मंत्रिगण के यहां जो टेलिफोन लगे हैं उनमें प्रशासन के काम पर तो २ आना भर काम ही होता होगा, १४ आना भर काम पार्टियों के कामों के लिये और अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिये इस तरह का अनापशनाप खर्चा होता है । लेकिन राजकर्चारियों की छोटी मांगों के लिये सरकार के पास कोई पैसा नहीं है । क्या यही समाजवाद है ?

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया । साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि अपने बजट में उन्होंने प्रदेश के हर क्षेत्र का खयाल किया है और उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं । इसके बाद मैं इस बजट के बारे में अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

पिछले १७ मार्च को राज्यपाल महोदय ने इस सदन को संबोधित किया था तो उन्होंने घोषणा की थी कि खास तौर से देहातों को नगर से जोड़ने वाली सड़कों का विशेष महत्व है जिनके द्वारा किसान अपना उत्पादन स्वयं नगर में लाकर बेच सकते हैं और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं । सरकार उस ओर प्रयत्नशील है लेकिन मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनके लिये पंचवर्षीय योजना में कोई धन नहीं रखा गया है । वैसे मैं इस लोकप्रिय सरकार का आभारी हूं कि उसने हिल डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कर दी है । फिर भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिनको विशेष प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है । इस समय इस सरकार ने खास तौर से कृषि के उत्थान के लिये और उसके साथ साथ छोटे उद्योगों के लिये

जो कदम सरकार ने उठाये हैं वे सराहनीय हैं लेकिन जो पालिसी है, उस पालिसी को प्रैक्टिकल रूप देने वाली आपकी जो मशीनरी है, उससे जो कार्य किया जाता है, उससे साधारण जनता को उसका लाभ नहीं हो पाता। हमारे ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनके बारे में अभी तक कोई योजना ही नहीं बनायी गयी है। खास तौर से तराई भावर क्षेत्र में सिंचाई की बड़ी भारी असुविधायें है। जो भी सुविधायें वहां उपलब्ध हैं वे उस समय की हैं जब कि वहां कि आबादी बहुत कम थी। सन् तीस में जो आबादी थी उसी के लिये वहां नहरी पानी की सुविधा प्रदान है। लेकिन उसके बाद वहां की आबादी चार गुनी अधिक बढ़ गयी है लेकिन इस समय भी पानी की सुविधायें उतनी ही हैं। कोई बढ़ोत्तरी उसमें नहीं हुई। यद्यपि हमारे उस क्षेत्र में गौला डैम का जिक्र कुमायूं हिल डेवलपमेंट बोर्ड के सामने आया और हमारी केन्द्रीय सरकार की ओर से वहां पर सर्वे भी हुआ, लेकिन हमारे भावर क्षेत्र में सिंचाई की एक मुख्य समस्या ऐसी है कि जब तक सिंचाई का उचित प्रबन्ध नहीं किया जाता है तब तक कृषि उत्पादन सम्भव नहीं। जहां नलकूप नहीं लग सकते हैं वहां सिंचाई के साधन चेक डैम्स आदि उपलब्ध कराये जायें। इन सुविधाओं के बिना कृषि को वहां आप एक महत्वसूर्ण स्थान नहीं दिला सकते।

उद्योग के लिये भी बहुत सी धनराशि रखी गई है लेकिन उद्योग का विस्तार कर देने से ही या बजट में धनराशि जोड़ देने से ही या कागज पर या बजट में एक योजना ला देने से ही उद्योग का वास्तविक विस्तार नहीं हो सकता। उसके लिये बहुत सी चीजें देखने की जरूरत होती है। मैं शासन का ध्यान दिलाऊंगा कि अन्य उद्योगों की ओर न जाकर पहाड़ी क्षेत्र में रेशम विभाग को सर्वप्रथम हम लेते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में और पंचवर्षीय योजना में भारी रकम इसके लिये रखी गई है, मैं ग्रामीण जनता के बीच का आदमी हूं और वहां की लोकल विचारधाराओं से मैं भली भांति परिचित हूं और मैं समझता हूं कि वहां की जो यह योजना है वह बहुत खर्चीली है। जो फिजूलखर्ची की योजनायें इस बजट में हैं उनको हटाकर अगर जरूरी और जनकल्याण की योजना पर अधिक खर्च किया जाय तो उचित होगा। न्याय प्रशासन के लिये जो बजट इसमें रखा गया है आजकल की घटनाओं को देखते हुये यह आश्चर्यजनक बात है। न्याय प्रशासन को सफल बनाने के लिये महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र किया गया है, उसमें कहा गया है कि हल्द्वानी, फिरोजाबाद, राबर्ट्सगंज के सब डिवीजन आफ़िसरों को वहां उनके हेड क्वार्टर्स पर रखा गया है लेकिन तराई सब डिवीजन्स के अधिकारी का कार्यालय तराई में न रखकर नैनीताल में रखे गये हैं। कहा जाता है कि विचार के लिये समिति को नियुक्त कर दिया गया है। तराई भावर एक अविकसित क्षेत्र है, प्रदेश की रक्षा की दृष्टि से भी वहां की समस्यायें हैं, वहां क्राइम्स का भी विकास हो रहा है। किसान और गरीब लोगों को ३०–४० मील की दूरी में न्याय प्राप्त करने नैनीताल जाना होता है लेकिन शासन का बयान इस कष्ट की ओर नहीं जाता है। मैं चाहता हूं कि न्याय प्रशासन को वहां के जनता के लिये सुलभ बनाने के लिये एस० डी० ओ० के हेडक्वार्टस तराई में स्थापित करें। इसके अलावा जूडिशियल मुकद्दमों की सुनावाई के लिये सब-डिवीजन स्तर पर और जगह जुडीशियल अफसरों की नियुक्ति की गई थी लेकिन अभी तक तराई के क्षेत्र में यह प्रबन्ध न होने से बड़ी भारी परेशानी वहां के कृषक वर्ग और जनता को हो रही है।

जहां तक किसान वर्ग के उत्थान का प्रश्न है उस संबंध में भी एक खास समस्या पर्वतीय प्रदेश में इधर वन विभाग की आ गई है। वन विभाग का विकास वहां के कृषक वर्ग के उत्थान में एक रोड़ा रूप में उत्पन्न हो गया। सन् १९५९–६० में कुमायूं के पर्वतीय निवासियों के लिये वन विभाग द्वारा जो कठिनाइयां थीं उनके निराकरण के लिये सरकार ने एक कुमायूं वन फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बनाई थी जिसकी सिफारिशों को सन् ६६ में पूरे तौर पर लागू कर दिया गया था। वहां के निवासियों के हित में आज सदन में बहुत से भाषण सुने लेकिन कथनी और करनी में बड़ा भारी अन्तर होता है। पिछले वर्ष में जबसे संविद सरकार की स्थापना हुई थी, प्रशासन में निष्क्रियता तथा शिथिलता आई है, उसमें विशेष सुधार नहीं हुआ है। वहां पर जिस प्रकार से सुविधायें दी गयी हैं, या जो संस्तुतियां की गयी थीं, उनको उस प्रकार से लागू नहीं किया गया, जिससे वहां के

[श्री इन्द्रलाल]

निवासियों को भारी कष्ट हकूक में हो गया हो। यदि हमारी सरकार को सचमुच में कृषकों की उन्नति करनी है तो उनको सर्वप्रथम सिंचाई के साधन देने होंगे, ट्यूबवेल के लिए बिजली देनी होगी। वन विभाग के कर्मचारी जो कृषकों को वन विभाग की सुविधाओं से इगनोर करते जा रहे हैं, उन्हें चाहिये कि जो सुविधायें उन्हें प्राप्त होती रही हैं, उनकी ओर ध्यान दें।

जहां तक ग्रामीण चिकित्सा का संबंध है और दूसरे उद्योगों का सवाल है हमारी लोकप्रिय सरकार को चाहिये कि सिंचाई की बड़ी-बड़ी योजनाओं में इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाय। हमारे मंत्री और दूसरे माननीय सदस्य हल्द्वानी से रामनगर तक और रामनगर क्षेत्र में उधर नेशनल कार्बेट पार्क में घूमे होंगे। उन्होंने देखा होगा कि हल्द्वानी जब वे जाते हैं तो वह क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में सड़कों की आवश्यकता है। हल्द्वानी से रामनगर कुंडी रोड जिला बोर्ड के द्वारा या क्षेत्र समितियों द्वारा, जहां भी सरकार की योजना भेजी जाय बनाया जाय। लेकिन मैंने देखा कि इस बजट में और इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उस क्षेत्र के लिए न तो कोई सड़कों का प्राविधान रखा गया है और न कोई अस्पताल ही वहां के लोगों की सुविधा के लिए जन स्वास्थ्य की योजना में लिया गया है। श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सचमुच अगर इस विकास के युग में जन कल्याण करना है तो मैं निवेदन करूंगा कि उन क्षेत्रों को हर तरह से प्राथमिकता दी जाय जिनमें अभी तक प्लानिंग का कोई कार्य नहीं हुआ है। यों तो बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के लिये पंचवर्षीय योजना में ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि केवल ५ करोड़ रुपये उद्योग में लगा देने से पर्वतीय क्षेत्रों के जो भूमिहीन हैं उनकी बेकारी की समस्या का कोई हल नहीं हो सकता है। भूमिहीनों की समस्या का हल तब तक नहीं हो सकता है जब तक वहां पर भूमि का प्रबन्ध न किया जाय। यह अवश्य है कि तराई भाबर क्षेत्र में खाम स्टेट को समाप्त कर दिया गया है लेकिन मैं कहूंगा कि वहां पर अधिकार के लिए कहीं-कहीं पर तो सैकड़ों और हजारों एकड़ के फार्म पड़े हुए हैं और बड़े बड़े लोग भूमिधर हो जायेंगे। और जहां पर २ या ४ एकड़ के फार्म भी हैं लेकिन उनसे कृषकों को कोई हित नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि सरकार एक समिति का गठन करे जो वहां की जितनी भूमि है, उसका इस प्रकार से बटवारा करे जिससे छोटे बड़े का कोई प्रश्न ही न रहे। तब तक पिछड़े वर्ग का हित होगा क्योंकि जब तक की भूमि का प्रबन्ध नहीं होता है भूमिहीनों की समस्या का हल नहीं हो सकेगा और उनकी आर्थिक स्थिति का सुधार नहीं होगा। ५ करोड़ रुपये का हम प्राविधान कर दें तो उससे उनके हितों की सुरक्षा नहीं हो सकती। मेरा मतलब यह नहीं है कि जंगलात हटा दिये जायं। वे राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। वन विभाग के बजट में जो करोड़ों रुपया उसके विकास के लिए रखा गया है मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि जंगलात राष्ट्र के लिए काफ़ी धन जुटाने के साधन हैं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जो प्लांटेशन योजनायें बन रही हैं उनमें जो दो, तीन अथवा चार साल के लिए कृषि के लिए भूमि दी जाती है वह जमीन बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी रकमों पर न दी जाय। छोटे छोटे कृषकों को सोसाइटी के तौर पर ५-५, १०-१० एकड़ के रूप में दी जाय तो इससे भूमिहीनों की भारी समस्या हल हो सकती है।

जहां तक पिछड़े अनुसूचित जातियों के उत्थान का प्रश्न है इसके लिए हरिजन कल्याण विभाग में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में ५० हजार रुपये अस्पृश्यता निवारण हेतु रखे गये हैं। यह ५० हजार की रकम एकमुश्त तो बड़ी रकम मालूम पड़ती है, लेकिन अगर इसको प्रदेश के सारे जिलों में बांटा जाय तो दो हजार रुपये पर जिले के हिसाब से पड़ेंगे और अगर उसको ब्लाकवाइज पिछड़े हुए क्षेत्रों में बांटा जायगा तो १००,१५० रुपये प्रत्येक ब्लाक को मिलेंगे। बेहतर यही होगा कि इस धनराशि में कुछ बढ़ोत्तरी कर दी जाय तो पिछड़े हुए लोगों का उससे भला हो सकेगा।

अन्त में, मैं इस प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए सरकार से निवेदन करूंगा कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं अथवा जो पिछड़ा हुआ समाज है उसका वास्तविक उत्थान एवं हित तभी हो सकेगा जब उसकी ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय।

*श्री बेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। कोई भी आय-व्ययक (बजट) जब सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जाता है, तो वह इस बात का परिचायक होता है कि उसमें नियुक्त जो कर्मचारी हैं उनकी कार्यक्षमता क्या है, वह उनकी योग्यता को प्रदर्शित करता है और मंत्रिमंडल में कैसे लोग हैं इसको भी वह देश अथवा प्रदेश की जनता को सूचना देता है। उदाहरण के लिए संचार साधनों की दृष्टि से अगर इस बजट को देखा जाय तो मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में संविद की सरकार जो ११ महीने ही चली उसने संचार साधनों के लिये ३७८ किलोमीटर सड़क बनाने के लिए प्राविधान किया था। लेकिन कांग्रेस सरकार जब पुनः सत्तारूढ़ हुई और जो प्रदेश में प्रगति करने का दावा कर रही है, उसने यह घोषणा की है कि प्रदेश में २४८ किलोमीटर सड़क बनाई जायगी, जिसका उल्लेख माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में किया है। ऐसे प्रदेश में जहां देहातों में सड़कें बिल्कुल नहीं हैं और खासतौर से जहां से मैं आता हूं जहां आजतक एक किलोमीटर सड़क नहीं बनी है तो आप बजाय प्रगति करने के पीछे खिसकते जा रहे हैं और दावा यह करते हैं कि हम प्रदेश को प्रगति की ओर से ले जा रहे हैं।

समय कम है इसलिये मैं एक विशेष बात अस्पतालों के बारे में कहूंगा। इस प्रदेश में लोग बिला दवा के मर जाते हैं। अव्वल तो जो प्रदेश में आपने अस्पताल खोले हैं उनमें से सैकड़ों ऐसे हैं जहां डाक्टर नहीं हैं, कम्पाउन्डर नहीं हैं, तीन-तीन, चार-चार महीने डिस्पेंसरियां बन्द रहती हैं। नवाबगंज में ही एक जलालनगर डिस्पेंसरी है जहां ३–४ महीने से डाक्टर नहीं है। शहरों में हर तीसरी चौथी दुकान पर कोई न कोई डाक्टर बैठता है जबकि देहातों में १०-१०, २०-२० गांवों में भी कोई डाक्टर नहीं बैठता है और अगर बैठता भी है तो ऐसा जिसके पास कोई प्रमाण-पत्र नहीं होता और जिसकी दवा से बजाय फायदा के नुकसान होता है। हमारे बरेली में जो डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल सरकार की ओर से चलता है उसमें एक बार मेरे क्षेत्र के कुछ लोग इलाज कराने के लिए आये। ९ बजे एक आदमी मेरे पास आया और कहा कि वहां एक मरीज को चारपाई से उतार दिया गया है। मैं फौरन वहां के डाक्टर वी०पी० अध्याय से मिला लेकिन उनकी उसके विपरीत प्रक्रिया हुई। अधिकांश लोग विधायकों की इज्जत करते हैं लेकिन डाक्टर वी०पी० अध्याय एक ऐसे डाक्टर हैं जिन्होंने कहा कि अभी तो बाप को ही नीचे उतार दिया है अब बेटे को भी निकाल देंगे क्योंकि वह सिफारिश लेकर आया है। नतीजा यह हुआ कि उनको भी उसी रोज निकाल दिया गया। इसके अलावा मरीजों को दवा नहीं दी जाती और कहा जाता है कि बाजार से ले आओ। हमारे स्वास्थ्य मंत्री कृष्णानन्द राय जी बातों में मशगूल हैं। मैं चाहूंगा कि वह इन बातों की ओर ध्यान दें और डाक्टर वी० पी० अध्याय को बुला कर पूछें कि उन्होंने एक एम०एल०ए० के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया।

जहां तक स्कूलों की बात है वहां कोई पढ़ाई नहीं होती। मैंने कई बार शासन का ध्यान आकर्षित किया है कि इस प्रदेश में एक तरह के स्कूल स्थापित होने चाहिये चाहे वह मांटेसरी स्कूल हों और चाहे म्युनिसिपैलिटी और जिला परिषद के स्कूल हों। आप हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट कालेज तो चलाते हैं, लेकिन जिला परिषद् के स्कूलों में सिवाय पार्टी पालिटिक्स के और कुछ नहीं होता। उसमें जो मास्टर विरोधी पार्टियों से संबंधित हैं उनका ६-६ महीने में ट्रांस्फर किया जाता है और उन्हें जिले के बार्डर पर रखा जाता है, लेकिन जो कांग्रेस से संबंधित हैं, मेरे क्षेत्र के एक स्कूल में मां, बीवी, उसका लड़का मिस्टर राम चन्द्र,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चेतराम गंगवार]

सारे लोग मास्टर हैं और अगर उनके यहां कोई शादी, ब्याह होता है तो चीफ़ मिनिस्टर भी वहां चले जाते हैं। वह अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों को दिखाने के लिए जिससे मास्टरों का जीवन स्तर ऊंचा हो, उनको प्रदेश गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। जिला परिषदों से एजूकेशन को लेकर गवर्नमेंट को उसकी व्यवस्था करनी चाहिये।

मुझे अन्त में विशेष तौर से केवल एक बात कहनी है और वह यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि चौकीदारों की तनख्वाह ५ रुपये से बढ़ाकर १० रुपये कर दी गई है। मेरे बहुत से साथियों ने भी इस बात का उल्लेख किया है लेकिन यह बात कुछ समझ में नहीं आती है। यह इस बात का द्योतक है कि बजट में एक बात का उल्लेख है कि कुछ विधायकों ने मांग की है, उनकी सैलेरी तथा भत्ता बढ़ाया जाय और सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। यह बड़े शर्म की बात है। वे कौन व्यक्ति हैं? उन्होंने एप्लीकेशन दी होगी। कांग्रेस पक्ष के विधायक भले ही हों और मेरा खयाल यह है कि विरोध पक्ष में ऐसे लोग नहीं हैं जिनको ज्यादा तनख्वाह या ज्यादा भत्ते की जरूरत हो। जनसंघ के व्यक्ति और कार्यकर्ता के लिये तो केवल दो रोटी और लंगोटी ही काफी है और वह थोड़े से रुपये में ही गुजर कर सकता है क्योंकि हमने जनता से वायदा किया है और हमने कहा था कि हम उसके सेवक हैं और हम सेवक ही बने रहना चाहते हैं। हम उनके भक्षक नहीं बनना चाहते हैं। सेंटर में तथा देश के कुछ प्रदेशों में जरूर संसद सदस्यों की तथा विधायकों की आमदनी को डयोढ़ा दुगुना कर दिया गया है। लेकिन वहां पर कांग्रेसी हुकूमत है। उत्तर प्रदेश में मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनसंघ के लोग इस पर प्रदर्शन करेंगे अगर कांग्रस हुकूमत ने ऐसी बात की। जब तक जनता का उत्थान नहीं होता है तब तक ऐसी बात नहीं होनी चाहिये और कांग्रेसी एम०एल०ए० जिनके हाथ में सरकार है, उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रपोजल नहीं होना चाहिये।

मेरा खयाल यह है और मेरा यह सुझाव है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर रोक लगानी चाहिये। मैं दो साल से यहां चुनकर आया हूं। पहले सन् ६७ में चुनकर आया था और अब फिर चुनकर आ गया हूं। हम लोगों को कूपन बुक मिलती है उस पर कोई रोक नहीं है। चाहे कितनी ही दूर चलें। इस पर भी रोक होनी चाहिये। यह प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया है। बहुत से माननीय सदस्य अपने निजी कामों में भी इन कूपन्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं, जिनसे हम लाभान्वित होते हैं। इसीलिये बजट में यह कह दिया गया कि चौकीदारों की तनख्वाह ५ रुपये से १० रुपये कर दी गई है। इससे काम नहीं चलता है। यह धोखा है। इसमें यह चाल मालूम होती है कि इनकी तनख्वाह ३०० रुपये के बजाय ६०० रुपये कर दी जाय जिससे विधायक पार्लियामेंटरी या डिप्टी मिनिस्टरी न मांगें। ऐसी बात नहीं की गई है जो जनता के लाभ की हो। किसानों को तो यह हो गया है कि वह दस गुने के बजाय बीस गुना दें तब कहीं जाकर भूमिधर होंगे। फिर किसान ने यदि कर्जा ले लिया है और उसका वह सूद भी देता है और उसके पास केवल ४ बीघा जमीन है तो बीस गुना कहां से देगा। यह जनता विरोधी बजट है। मैं चाहूंगा कि बीस गुने के बजाय दस गुना भी माफ किया जाय। जो बजट पेश किया गया है, मैं चाहूंगा कि वह उस रूप में पारित नहीं होना चाहिये। धन्यवाद।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो विद्वतापूर्ण बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बजट में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे हमारे

प्रदेश को समाजवाद की ओर अग्रसर होने में सहायता मिलेगी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं अगर उनकी व्यवस्था होती तो किसानों का और भला होता। जैसे बिजली और छूट के साधन जहां दिये गये हैं वहां भूमिबन्धक बकों द्वारा कुओं और पम्पिंग सेट के लिये जो सहायता देने की विधि है उसमें जो कठिनाई होती है उसको सरल किया जाय। इसके अतिरिक्त विकास क्षेत्रों में काम करने वाले कमचारियों की आवश्यकतायें कम कर दी गयी हैं लेकिन पंचायत मंत्रियों का वेतनक्रम १९४७ से अब तक बढ़ाया नहीं गया है। उनका वेतन बढ़ाया जाय।

इसके साथ इलाहाबाद क्षेत्र में सिंचाई के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। इलाहाबाद जिला सब नहरों की टेल पर है। गंगापार इलाके में सिंचाई के लिए श्रृंगबेरपुर में लिफ्ट इर्रीगेशन की स्कीम लगायी जाने वाली थी लेकिन इस बजट में उसका जिक्र नहीं है। यदि वह स्कीम चालू कर दी जाय तो गंगापार में सिंचाई के बहुत साधन उपलब्ध हो सकते हैं। जमुना पार की नहरें बेलन कैनाल से निकाली गयी हैं। करछना और मेजा के इलाके में सिंचाई की सुविधा बढ़ायी जानी चाहिये। जिस तरह से आपने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पवतीय बोर्ड बनाया है उसी तरह से बुंदेलखंड और इलाहाबाद को मिलाकर एक विकास बोर्ड बनाया जाय। इलाहाबाद जिला न पूर्वी क्षेत्र में आता है न पश्चिमी क्षेत्र में। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस तरह का बोर्ड बना कर उस क्षेत्र को विकसित करने की कृपा करे। जमुनापार और करछना का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। मेजा और करछना का क्षेत्र ऐसा ही है जैसा कि बांदा और झांसी का क्षेत्र है। उस क्षेत्र विकास के लिये सुविधायें प्रदान की जायं। मैं इन शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्दसिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी हमारे मुख्य मंत्री जी बंगलौर से लौट कर आये हैं। मुझ उम्मीद थी कि जो आज यह बजट हमारे सामने है, उसमें वे नीतियां होंगी जो हमारे मुख्य मंत्री बगलौर में पास करके आये हैं। १९६७ के चुनाव का नतीजा आपके सामने है। हमें उम्मीद थी कि यह सरकार उससे आइंदा सबक लेकर अपनी नीतियों में परिवर्तन करेगी, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज से बीस वर्ष पूर्व जिन नीतियों को लेकर इस सदन के सामने आ जाते थे ठीक उन्हीं नीतियों को लेकर इस सदन के सामने यह बजट रखा गया है। वित्त मंत्री तसलीम करते हैं कि हमारा प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश में एक व्यक्ति की औसत आय एक रोज की ६६ पैसे है। कृषि जो इस प्रदेश का मुख्य उद्योग है उसके जो आंकड़े सरकार देती है उसके अनुसार वार्षिक चक्रवृद्धि की जो वृद्धि हुई है उसकी दर केवल एक प्रतिशत है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो औसत आमदनी में वृद्धि की दर है वह चक्रविधि की दर से प्वाइंट एक पर सेंट है। बजट भाषण के बारे में माननीय वित्त मंत्री समाजवाद के बारे में बात कही। समाजवाद की परम्परा और उसके वसूलों की बात ने उन्होंने यहां पर दोहराई है। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि समाजवाद का आधार क्या है? क्या यही समाजवाद है कि जिनके पास कर भार देने की क्षमता नहीं है, उन्हीं से उन्हीं की जेब से पैसा निकाल कर उनकी जेबों में पैसा डाला जाये जिनकी जेबें पहले से ही अत्यन्त भरी हुई हैं। क्या सुविधायें देते हैं आप किसानों को। बंगलौर से आने के बाद जो पहला तोहफा किसानों को दिया गया है, वह यह है कि १० गुना से बढ़ा कर २० गुना लगान कर दिया गया है। दूसरा तोहफा आप क्या देते हैं अधिवासी के लिए सीरदारी की भूमि हो तो लगान दुगुना कर दिया गया है। इसका मतलब यह है हमारे समाजवादी नेताओं ने यह नीति निर्धारित कर दी है कि गरीब आदमी धरती का मालिक नहीं बन सकता। उन लोगों ने, जो २० साल तक १० गुना नहीं जमा कर पाये हैं, उनसे कैसे यह उम्मीद की जा सकती है कि वह २० गुना देकर भूमि के मालिक बन जायेंगे। तीसरा तोहफा यह है कि खाद की कीमतें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह]

बढ़ा दी गई हैं। सिंचाई की दरें बढ़ा दी गई हैं। देश के अन्दर पैदा वार बढ़ाने के लिए सिंचाई की बड़ी आवश्यकता है। ट्यूब वेल्स के लिये आपने क्या सहूलियतें दी हैं। उन्हें भी आप देख लें। आपने यह किया है कि कोई किसान अब नया कनेक्शन लगायेगा तो किसान को फी कनेक्शन ५ सौ रुपया देना पड़ेगा।

बिजली की दर बढ़ा दी गई है। एक तरफ आम किसान के लिए आपके पास यह तोहफा है, दूसरी तरफ चीनी मिल-मालिकों को आप क्या देते हैं, वह भी देखने योग्य है। मुख्य मंत्री जी को उनके साथ पूरी सहानुभूति है, कांग्रेस की उनके साथ बड़ी हमदर्दी है, इसलिये यह ३५ करोड़ रुपए की उन्ह छूट दे दी गई है। किस नाम पर दे दी गई ? कहा गया कि पिछली बार उनको कट्रोल रेट से ज्यादा दर पर गन्ना खरीदना पड़ा, इसलिये उन्हें मुआवजा दिया जाता है। लेकिन जो कम कीमत पर मिल मालिकों ने गन्ना खरीदा है, उसके लिए उस किसान को आपने क्या मुआवजा दिया है। उसके प्रति आपके दिलों में कोई हमदर्दी नहीं है। आप मिल मालिकों से थैलियां लेते हैं, अपने चुनाव कोष के लिये चन्दा लेते हैं, जिसके बिना आप चुनाव नहीं लड़ सकते, इसीलिये आप इस तरह से गलत ढंग से उन्हें तरह तरह की छूटें और सहूलियतें देते हैं। यही है क्या आपका समाजवाद ?

बिजली की दरों का सवाल लीजिये, अनवरगंज की फैक्टरी बिड़ला जी की है। वहां उन्हें २ पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाती है और वहां के किसानों को १९ पैसा की दर से बिजली दी जाती है। किसानों को आप बढ़ाने की बात कहते हैं? इस तरह से कैसे आपका समाजवाद का लक्ष्य पूरा हो सकता है ?श्रीमन्, संविद की सरकार बनी थी, संविद की सरकार की तरफ से यहां पर एक सुझाव रखा गया था जिसमें कहा गया था कि अलाभकर जोतों पर से लगान खत्म किया जायगा। उस समय हमारे मुख्य मंत्री सरकार में नहीं थे और हमारे बन्धु अपोजीशन में थे और उन्होंने इधर से गरमागरम भाषण दिये थे कि केवल अलाभकर नहीं सारी जमीनों का लगान माफ करो। आपने मुजफ्फरनगर में प्रस्ताव पास किया कि लगान माफ करेंगे। आपने चुनाव घोषणापत्र में लिखा कि किसानों का पूरा लगान माफ करेंगे। लेकिन आज आपने किया क्या है। क्या आप तैयार हैं अलाभकर जोतों का लगान माफ करने के लिये ? नहीं हैं। जब आप जनता में जाते हैं तो कुछ कहते हैं और सरकार में बैठते हैं तो कुछ कहते हैं। यह आपकी दुरंगी नीति है। आप अवाड़ी में, नागपुर में प्रस्ताव पास करते हैं कि हम राज्यों के अन्दर सरकारी व्यापार करेंगे। लेकिन आज किसानों को लूटे जाने के लिये छोड़ रखा है मंडियों में। किसान जब मंडी में अपना अनाज लाता है तो वह ३० रुपये मन के हिसाब से बेचता है और गल्ले का व्यापारी उसे अपने गोदाम में रखता है और ७५ रुपये मन के हिसाब से बेचता है। जिसने मेहनत की है, हल चलाया है, खेत जोता है उसको ३० रुपये मन और जो चोरबाजारी करे उसको ७५ रुपये मन यानी ४५ रुपये मन का फायदा। यह खुली लूट हो रही है किसानों की। मैं समाजवादी सरकार से पूछता हूं कि इन किसानों की खुली लूट को बचाने के लिये क्यों नहीं राज्य व्यापार करते हो। अगर नीति है तो अमल करो और अगर अमल नहीं करते तो साफ कहो, जनता को धोखा मत दो।

भूमि की समस्या हमारे सामने है। हमारे कांग्रेसी समाजवादियों ने कहा कि हम लैंड सीलिंग करेंगे। इस सदन ने कानून पास किया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला ? उस समय कहा जाता था कि २९ लाख एकड़ भूमि सरप्लस है और वह गरीब किसानों को मिलेगी, खेतिहर मजदूरों को मिलेगी। लैंड सीलिंग ऐक्ट बना, उस पर अमल किया गया है। मगर होता क्या है केवल ९० हजार एकड़ भूमि मिलती है। और वह भूमि किसी गरीब किसान को और खेतिहर मजदूर को नहीं मिलती है। एक ओर लूट की जाती है और फिर बड़े बड़े जमींदारों को वह दे दी जाती है। मेरे पास लिस्ट है। लखीमपुर खीरी में दि अवध शुगर मिल्स पिपरा

फार्म बिड़ला ब्रदर्स का है उसको ४ हजार एकड़ जमीन दे दी गयी। दि हिन्दुस्तान शुगर मिल्स जमनाबाद फार्म जो बजाज का ग्रुप है रामेश्वर प्रसाद नेवटिया का जो भूतपूर्व कांग्रेसी एम० पी० हैं उनको ३००० एकड़ जमीन दे दी गयी। दि लक्ष्मी शुगर मिल्स सजननगर फार्म जो सेठ किशोरीलाल ग्रुप का है उसको १५०० एकड़ जमीन दे दी गयी। दि कलेक्टिव फार्म्स ऐंड फारेस्ट प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है जो कि रिटायर्ड आफिसर्स का है उनको ५००० एकड़ का फार्म दे दिया गया है। यहां पर नक्सलपंथियों की बात कही गयी है, लेकिन यह सब क्या हो रहा है? हमारे पौड़ी जिले नैनीताल में पी० एन० मेहता स्काट को ४५०० एकड़ प्राग (गणेश आयल मिल, अलीगढ़) को ६,५०० एकड़ खुरपिया, केसर शुगर मिल्स, किच्छा को ६००० एकड़, कपूर (भूतपूर्व कमिश्नर के भाई) को बाजपुर में १०२७ एकड़, पेंटर को १००० एकड़ तथा एक भूतपूर्व कमिश्नर रामरूपसिंह की बीबी को किच्छा में १००० एकड़ दे दिया गया। इस तरह से बड़े बड़े पूंजीपतियों, जागीरदारों, सेठों और आफिसरों के नाम पर हजारों एकड़ जमीन को हड़पा जा रहा है, इसको देखकर रोंगटे खड़े होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब खेतिहर मजदूर देखता है कि धरती की लूट मचाई जा रही है और जब हम देखते हैं कि असेम्बली में हम सवाल करते हैं और मुख्यमंत्री से कई बार कहा भी जा चुका है कि कार्यवाही करो। अगर कार्यवाही नहीं करोगे तो क्या होगा वही होगा जिसके बारे में यहां पर संकेत किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर यह लूट बन्द नहीं की गयी और सान्वाल कमेटी की बात अमल में नहीं लायी गयी तो मैं खुली चुनौती देता हूं कि हम जमीनों पर कब्जा करेंगे। आप लाठी चलायेंगे, हम उसका मुकाबला करेंगे। गोली चलायेंगे, तो उसका सामना करेंगे और जेल भेजेंगे तो जेल को भर देंगे। लेकिन खुली लूट को नहीं होने देंगे। आपके सामने कानून है उस पर अमल कीजिये। अगर उस पर अमल नहीं करते हैं तो खेतिहर मजदूर इस लड़ाई में पीछे नहीं रहेगा। वह जमीन पर कब्जा करेगा, चाहे आप नक्सलवादियों की कितनी बात करते रहें।

हमारे उधर के भाई समाजवाद की बात करते हैं और मजदूर वर्ग की हुकूमत यहां पर कायम करने के लिये कहते हैं। समाजवाद का यही अर्थ है कि मजदूर वर्ग की सरकार कायम हो परन्तु आप जानते हैं कि बरेली में क्या हुआ। बहुत बड़े सेठ की एक कमिकल कम्पनी है वहां पर मजदूर कार्यकर्ताओं का नेता भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। वह उसी कांग्रेसी हथियार को लेकर बैठा है, जिसकी कांग्रेस दुहाई दिया करती थी। वह हड़ताल पर नहीं है बल्कि भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है परन्तु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरे दिन और अधिक कार्यकर्ता आकर बैठे तो उस दिन मजदूरों के सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी बीबी के पास एक १० महीने का बच्चा है लेकिन उस दूध पीते बच्चे को जेलखाने में नहीं जाने दिय जाता है। जब इस तरह से पूंजीपतियों का साथ यह सरकार देती है तो किस प्रकार से समाजवाद यहां ला सकती है। आपकी पुलिस पूंजीपतियों की रक्षा करती है तो आप पूंजीपतियों के पिट्ठू हैं। अगर मजदूरों की हुकूमत अपने को कहते हैं तो मजदूरों के लिये हिमायत होनी चाहिये। जब भी मजदूर और पूंजीपतियों में झगड़ा होता है तो फिर यह सरकार और सरकार की पुलिस पूंजीपतियों की रक्षा करती है। जब ऐसा है तो क्यों आप समाजवादी अपने को कहते हैं? यूनियन की बात करते हैं। जब आप इस सवाल को हल करना नहीं चाहते हैं तो फिर मजदूरों को क्यों दोष देते हैं। मजदूर कभी यह कहते नहीं हैं कि यूनियन में हमारा प्रतिनिधि शामिल किया जाय। इसी तरह से पूंजीपतियों को भी यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि यूनियन का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। आप इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये अभी तक उस कानून को नहीं ला सके हैं।

यहां पर बहुत बड़ी बात कही गई कि हमने पिछड़े इलाकों की तरक्की के लिये बहुत कुछ किया है और करने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पटेल कमीशन को आये हुये कितने दिन हो गये, लेकिन आपने पूर्वी जिलों के लिये क्या किया? बुन्देलखंड के लिये कोई कमीशन बिठाया गया? आपने पर्वतीय विकास परिषद् का गठन कर दिया। यह केवल धोखा देने के लिये किया गया है। चौधरी साहब की सरकार के समय में पर्वतीय विकास परिषद् का गठन किया

[श्री गोविन्द सिंह]

गया था। उस समय हमारे माननीय सी० बी० गप्त ने एक प्रस्ताव पास कराया था प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की एक्जीक्यूटिव में, जिसमें यह कहा गया था कि इस विकास परिषद् को कोई वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं लिहाजा हम इसका बाइकाट करते हैं। नैनीताल में प्रस्ताव पास किया गया था। कांग्रेस नेता उसमें शामिल हुये थे। उस परिषद् को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार नहीं थे इस वजह से बाइकाट किया गया था, लेकिन अब क्या है। अब भी उस विकास परिषद् को कोई वित्तीय या प्रशासनिक अधिकार नहीं है। आज आप किस तरह की बात करते हैं? जब इधर बैठते हैं तो एक बात बोलते हैं और जब उधर बैठते हैं तो दूसरी बात बोलते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि नक्सल पन्थियों की बात कीजिये, लेकिन यह सही है कि विघटनकारी शक्तियां बढ़ रही हैं और वे शक्तियां नक्सलवादी नहीं है और कम्युनिस्ट भी नहीं हैं बल्कि वह कांग्रेस के नेता ही हैं। कांग्रेस के जिम्मेदार नेता, पार्लियामेंट के मेम्बर, टेहरी के महाराज ने प्रकट पर्वतीय राज की आवाज बुलन्द की और यह आवाज बल पकड़ेगी अगर इस विकास परिषद् को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार नहीं दिये, बल्कि पर्वत में दूसरा तेलंगाना बन सकता है और उसकी जम्मेदार सरकार ही होगी। ५ साल पहले आप फरमाइये, क्या कोई समझता था कि तेलंगाना मूवमेंट इस तरह जोर पकड़ेगा, यह कम्युनिस्टों ने नहीं किया, आपके हिमायतियों ने किया है और पर्वतों में तेलंगाना बनेगा तो आपके हिमायती ही करेंगे। हम तो जनता की मांगों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि यह बजट इस काबिल नहीं हैं कि सरकार को एक पैसा भी दिया जाय। धन्यवाद।

*श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, जो वित्त मंत्री जी ने बजट सदन में प्रस्तुत किया है, उसका हम स्वागत करते हैं और जो बजट महान समाजवादी और जनहित कल्याणकारी है उसके लिये हम उनको बधाई देते हैं। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में विरोधी पक्ष ने जो कल से काफी चर्चा बजट पर की, मैं समझता था कि विरोधी पक्ष के सुझाव और उनकी नीतियां ऐसी होंगी, जिससे शासक दल को लाभ पहुंचेगा, लेकिन बजाय उसके एक ही चर्चा है स्थानान्तरण की, कत्ल और डकैतियों की। कोई सही सुझाव और नीतियां शासक दल को प्राप्त न हो सकीं। नेता विरोधी दल ने शासक दल की आलोचना करते हुए बताया कि मुख्य मंत्री ने बहुत स्थानांतरण किये हैं, लेकिन जब वे स्वयं मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कितने स्थानांतरण धुआंधाड़ किये थे? इतना ही नहीं उनके साथ शासक दल में जो सीतापुर के वरिष्ठ मंत्री थे एक एस०डी०एम० के स्थानांतरण को लेकर आपस में इतनी तोड़-फोड़ हुई थी कि अलग-अलग एक दूसरे से चुनाव लड़े थे। नेता विरोधी दल ने जिस संगठन की आलोचना की, उसी में उनका पालन पोषण हुआ है और वह यश और प्रतिष्ठा प्राप्त की और जब मुख्य मंत्री पद के लालच में आकर उन्होंने उस कांग्रेस संगठन को त्याग दिया तो ऐसी मिसाल कायम की जो दुनियां के इतिहास में कहीं नहीं मिल सकती। उन्होंने एक नये दल की स्थापना की। जिन मुख्यमंत्री जी पर वह अरोप लगाते हैं उन्हीं का नाम उन्होंने मुख्य-मंत्री पद के लिये स्वयं प्रस्तावित किया था। जब वे उनको ईमानदार समझते थे तो फिर उनके विरुद्ध ऐसे आरोप लगाना उन्हें शोभा नहीं देता। जनसंघ के सीतापुर जिले के वरिष्ठ मंत्री उन्हीं के दल के थे, खैराबाद के रहने वाले हैं। वहां पर एक कालिज चल रहा है। तो वहां एक टयूबवेल जो सरकार से बनवाया गया सिंचाई के लिये उससे उन्होंने पड़ोस के अपने चक की सिंचाई कराई और की जाती है, यह है उनका भ्रष्टाचार। बार-बार हमारे विरोधी पक्ष के साथी भ्रष्टाचार की बात करते हैं....

एक सदस्य--

उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति सदन में नहीं है, क्या उसके बारे में यहां नाम लेकर चर्चा की जा सकती है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष––

आप कृपया बजट पर ही व्याख्यान दें तो अच्छा है। किसी ने बजट क संबंध में ही जो कहा है उसी को सामने रख कर आप कहें तो अच्छा है। अब बजट के संबंध में आपकी जो प्रतिक्रिया हो, उसे व्यक्त कर दीजिये।

श्री कृष्णकान्त––

ठीक है। कल माननीय नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में कहा था। मैं भी इस पक्ष का हूं कि वह होना चाहिये, लेकिन हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिये कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि प्रदेश में औद्योगीकरण हो, दूसरी तरफ हम उनका राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, इसका असर क्या होगा। फिर हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम उद्योगों को अपने यहां स्थापित कर सकें। जो प्राइवेट उद्योग चल रहे हैं उन्हीं को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, वरना वे सब समाप्त हो जायेंगे, कोई हमारे यहां उद्योग लगाने को तैयार नहीं होगा और वे उद्योग दूसरे प्रदेशों में चले जायेंगे। आज हमारा प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इसलिये हमारे प्रदेश की परिस्थिति अभी ऐसी नहीं है कि उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो सके।

माननीय सदस्य ने अभी यह कहा कि चौकीदार की तनख्वाह ५ रुपये से १० रुपये करके कौन सा समाजवाद की दिशा में कार्य किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब संविद की सरकार थी, उन्हीं की सरकार थी, तो उन्होंने क्या कभी इन चौकीदारों के संबंध में कभी सोचा था? उन्होंने तो यह भी नहीं सोचा कि चौकीदार भी कर्मचारी है। मान्यवर, गरीबी को मिटाने में तथा अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस ने जो क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं उसकी मिसाल संसार के इतिहास में नहीं मिलेगी। राम और कृष्ण की इस पवित्र भूमि में गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक रूप से कार्य करते हुये जितनी प्रगति हमने की है वह सराहनीय है और संसार के इतिहास में इस तरह से किसी ने इतनी प्रगति नहीं की होगी।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान बजट की कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं अपने जिस क्षेत्र, सीतापुर, से चुन कर आता हूं वहां का एक तिहाई क्षेत्र तराई का क्षेत्र है, जहां की जनसंख्या ६/७ लाख की है, वहां न तो यातायात के कोई साधन हैं, न सड़कें हैं, न स्कूलों का ही उचित प्रबन्ध है। हाई स्कूल तक की शिक्षा देने के लिये सरकार ने कोई योजना नहीं रखी है। मेरे यहां का क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस नियोजन के युग में यदि सरकार ने उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी तो वहां का पिछड़ापन दूर हो सकता है। हमारे यहां तम्बोर से महमूदाबाद तक अगर सड़क बनवा दी जाय तो उससे यातायात की बड़ी सुविधा हो सकती है। वहां का किसान गल्ला तो बहुत पैदा करता है, मगर यातायात की सुविधा न होने के कारण जो गल्ला शहर में सेर का बिकता है, वह उसके गांव में ढाई सेर का ही बिकता है।

इसके अलावा उस क्षेत्र में अभी तक कोई विद्युत् प्रसार भी नहीं हो पाया है। आज भी उस क्षेत्र की हालत यह है कि नदियों से घिरे हुए उस क्षेत्र में हजारों की संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने रेल तक नहीं देखी है। उस पिछड़े क्षेत्र की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के विकास के लिये जल्द से जल्द प्राविधान किया जाय। इसमें महमूदाबाद, बेहटा और बिसवां क्षेत्र शामिल हैं। ये तीन तराई क्षेत्र ऐसे हैं जहां शिक्षा का विस्तार किया जाय, हाई स्कूल की स्थापना की जाय, वहां सड़कें बनायी जायं, वहां बिजली की व्यवस्था की जाय, तभी उस क्षेत्र का कल्याण हो सकेगा। साथ ही जहां यह सुझाव है कि बजट जन कल्याणकारी हो वहां विरोधीदल के साथियों ने बजट की आलोचना तो की लेकिन कोई सुझाव नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में नीति द्वारा शासन को सही सुझाव देना चाहिये जिससे शासन आपका सहयोग प्राप्त कर सके और जनतंत्र की जड़ मजबूत हो सके। आपको चाहिये कि केवल आलोचना करके सदन का समय न नष्ट करें।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)--

एक तरफ आपने कहा कि दुनिया के किसी मुल्क में इतना विकास नहीं हुआ है, जितना कि इस देश में आपके राज्य में हुआ और दूसरी ओर आपने यह भी कहा कि आपके क्षेत्र में हजारों लोग ऐसे हैं जो रेल तक नहीं देखे ह। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह विकास केवल लखनऊ के अन्दर ही हुआ है और कहीं नहीं हुआ है ? आपकी पहली बात सही है या दूसरी बात सही है ?

श्री कृष्णकान्त--

दोनों बातें सही हैं। जहां प्रदेश में और जगह विकास हुआ है वहां कुछ क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है। जैसा कि हमेशा होता रहता है जिस गांव या घर से विधायक लोग आये हैं उनके घर के लोग कुछ और पेशा अवश्य करत होंगे। जहां एक आदमी किसी ऊंचे पद पर होता है वहां उसी के यहां के कुछ लोग पिछड़े भी रहते हैं। देश और प्रदेश का विकास साथ-साथ हो इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं जिनके संबंध में मैंने निवदन कर दिया।

श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे समय दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं यह जानता हूं कि यह बजट आपका बहुमत के साथ पास होगा लेकिन मजबूरी है इस बात के लिये कि मैं अपनी बात आपके सामने रखूं। सवाल यह है कि कल से मैं इस बात को देख रहा हूं कि जितनी भी बातें यहां कही गयीं वे सभी चौरस्ते की बातें हैं। कांग्रेस वालों ने या विरोधी दल के सदस्यों ने जो बातें कहीं उनसे साफ जाहिर है कि वे दश की, इस प्रान्त की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक उन्नति की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बजट में पहला वाक्य लिखा हुआ है जिससे जाहिर है कि एक निश्चित समय के अन्दर समाज के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में उत्तरोत्तर सुधार करना होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनका निश्चित समय क्या है वह अभी पूरा नहीं हुआ है आजादी के २२ साल के बाद भी ? जिस प्रकार से केन्द्र के नेताओं ने यह बात कही थी कि चीन और पाकिस्तान को हम एक इंच भी जमीन नहीं देंगे उसके बाद भी इन कांग्रेसियों ने २५-३० हजार वर्ग मील जमीन चीन को दे दी, उसी प्रकार से क्या ऐसी कल्पना कर ली जाय कि एक मिनट बराबर होता है १०० साल क या १०० साल बराबर होगा एक मिनट के ? आज २२ साल के बाद जो समाजवादी विचार धारा पैदा हुई है, उससे इस बात का पता नहीं लगता है कि इसके पूरा होने में कितना समय और लगगा।

इसके बाद मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा और आपके द्वारा इन लोगों को यह बतलाऊंगा कि आज यह शासन कुछ नहीं कर रहा है। एक तरफ अमेरिका और रूस में इस बात की होड़ लगी हुई है कि चांद पर कौन पहुंचे अमेरिका तो पहुंच भी गया, रूस अपनी बात कहता है लेकिन हम इस प्रदेश में इसी बात को लेकर परेशान हैं कि हमारे प्रदेश में कभी सूखे से लोग मरे जा रहे हैं तो कभी बाढ़ से मरे जा रहे हैं लेकिन इन सब बातों का इस बजट में कहीं कोई विवरण नहीं दिया गया है। हम स्थायी प्रबन्ध, एक पर्मानेन्ट अरैन्जमेन्ट इस सूखे को रोकने के लिये या इस बाढ़ को रोकने के लिये करें। आप क्या करने जा रहें हैं पूर्वी जिलों के बारे में ? श्रीमन्, आपसे प्रार्थना करूंगा कि इज बजट में एक पैसा भी वहां लगाने की बात नहीं सोची गई है। इलाहाबाद जिला जो हर वर्ष बाढ़ और सूखे दोनों से पीड़ित होता है उसके बारे में या पूर्वी जिलों के सूखा या बाढ़ के बारे में कोई भी योजना जो राहत का कार्य कर सके वहां की जनता को सूखे और बाढ़ से बचा सके। इसमें कहीं नहीं है। आज आपको मालूम है आज से तीन चार दिन पहले नेशनल हैराल्ड में इस बात की चर्चा की गई थी कि हजारों टन गल्ला नैनी में हजारों टन गल्ला सरकारी स्टाकों में सड़ रहा है। उसमें से बदबू आ रही है। यह समाजवाद का ढिंढोरा पीटने वाले हैं। जहां एक तरफ इन्सान भूखों मर रहा है वहां इन लोगों के बदइन्तजाम में और इन लोगों के कुप्रबन्ध में हजारों टन गल्ला सड़ाकर फैंक दिया गया है।

मैं यह चाहूंगा कि जो लोग इस बजट को पेश कर रहें हैं उनके दिमाग में इस बात को रखना चाहिये कि इस तरह इन्सान भूखों मर रहा है उधर गल्ले का इन्तजाम नहीं हो पा रहा है। वहां उधर गल्ले को सड़ाकर खेतों को खाद देने से उस भूखे इन्सान को लाभ नहीं होगा। इसमें जो कृषकों के लिये बातें की गई हैं वह केवल पूंजीवादी विचारधारा की बात की गई है। छोटे काश्तकार के लिये जिसके पास चार-छः बीघा जमीन है उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें यह कहा गया है कि जो लोग अभी तक दो सौ गुना भूमिधरी में लेते थे डेढ़ सौ गुना सीरदारी में लेते थे उनको सरकार कर्ज देने जा रही है, उनको पैसे देने जा रही है। मैं श्रीमन् आपके द्वारा वित्त मंत्री महोदय और राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो काश्तकार पांच पांच और छः छः बीघे का है जिसका लगान वह आठ या दस रुपया देता है वह न ट्यूबवेल लगा सकेगा और न ही कुआं खुदवा सकेगा और न ही वह पम्पिंग सैट ही लगवा सकेगा। उसके पास सिंचाई का क्या प्रबन्ध होगा ? इसके लिये बजट में व्यवस्था होनी चाहिये थी। जैसा कि कांग्रेस के सदस्य महोदय ने बताया कि कोई सुझाव नहीं आता है और हम हमेशा बाहर भी और अन्दर भी सुझाव देते रहे हैं लेकिन अफसोस की बात है कि आपने अपने कानों में पारा डाल रखा है जिससे आपको सुनाई नहीं देता। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो इस समय विकास बैंक हैं और जो कि सरकार की तरफ से खोले गये हैं वहां इतना भ्रष्टाचार, वहां इतनी रिश्वतखोरी और गैर जिम्मेदारी का काम है, वह काश्तकार जिसको जानकारी नहीं है वह भटकता रहता है और सौ सौ रुपया खर्च करने के बाद भी उसको पैसा नहीं मिल पाता है। मैंने इसकी शिकायत कई बार तो अपने यहां के जिलाधीश से की है। उन्होंने मुझसे कहा कि उनको कोई अधिकार दखल देने का नहीं है। २१ तारीख की मीटिंग की बात है इलाहाबाद जिले में मैं यह जानना चाहता हूं आपके द्वारा कि सरकार ऐसे काश्तकारों के लिये जो विकास बैंकों से आसानी से पैसा ले लें इसके लिये क्या कर रही है।

इसके साथ-साथ मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सहकारी समितियां जिनमें यह बात रक्खी गई है कि वहां से काश्तकार अपना पैसा ले लें और उसे खेतीबाड़ी में या अपने बैल लेने में या बीज लेने में या खाद लेने में अपने पैसे को लगायें। तो उसमें एक ऐसा नियम है कि जिसकी वजह से छोटा काश्तकार वहां से पैसा नहीं पाता है। उधर आप ऐसा कानूनी बन्धन लगा देते हैं जिससे काश्तकार पैसा नहीं ले पाता है और उधर आप यह कहते हैं कि हम ऐसी योजनायें चला रहे हैं जिससे कृषि का सुधार होगा, सिंचाई का इन्तजाम होगा। इसके साथ-साथ मैं एक प्रार्थना और कर दूं सिंचाई मंत्री महोदय से जो इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं कि रामगंगा नहर में १९६३ से एक बूंद पानी नहीं दिया गया। वह १३ मील लम्बी है और १५० फ़ीट चौड़ी है। उसमें एक बूंद पानी नहीं दिया गया है। सिराथू में करीब २५० एकड़ जमीन सन् ६३ से पड़ी हुई है मैं प्रार्थना करूंगा कि २५० एकड़ में अगर पैदावार सन् ६३ से होती तो लाखों टन उसमें अन्न पैदा हुआ होता और काश्तकार फ़लता फूलता। काश्तकार की जमीन भी गयी और उसको पानी भी नहीं मिला। होना तो यह चाहिये था कि सरकार यह आदेश कर देती कि जब तक पानी का कोई इन्ताजम नहीं होता है तब तक जिसकी जमीन है वह उसको लेले। उसकी जमीन उसको वापस कर दी जाती।

इसके साथ ही साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि बिजली के लिये, जैसा कि विरोधी साथियों ने बताया कि बिरला जी को २ पैसा फी यूनिट बिजली दी जाती है और काश्तकार को ३४–३५ पैसा फ़ी यूनिट बिजली दी जाती है। यह कहां का समाजवाद है। बिरला के लिये तो आप लाखों करोड़ों रुपये की छूट देते हैं लेकिन भिखमंगे किसानों के लिये जिनके बच्चों के पास पहनने को कपड़ा नहीं है न पढ़ने के लिये उनके पास फ़ीस है, उनको आप १९ पैसा से लेकर ३४–३५ पसा तक फ़ी यूनिट बिजली का लेते हैं। आपका यह समाजवाद बिलकुल थोथा है।

अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे स्कूल हैं जिनमें कहीं १० पैसा प्रति माह से लेकर ७०–८० रुपया प्रति माह तक फ़ीस ली जाती है। में

[श्री रामचरण]

शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान उन स्कूलों की ओर ले जाना चाहता हूं जो ७०–८० रुपया माहवार फ़ीस लेते हैं और उनकी तरफ़ ले जाना चाहता हूं जिनमें १० पैसा महीना फ़ीस लगती है। मैं आपके द्वारा उस समाजवादी के कान खोल देना चाहता हूं जो कहते हैं कि हम स्कूल के अध्यापकों का इन्तजाम करते हैं। १० पैसे वाले स्कूलों के अध्यापकों को आप क्या वेतन देते हैं? उनको उतना वेतन भी नहीं मिलता जितना वेतन कि केन्द्रीय सरकार के स्टेशन पर झंडू लगाने वाले को मिलता है। भला उस देश के नागरिक कैसे बनेंगे, जिनके अध्यापकों को ४०–५० और ६० रुपया माहवार मिलता हो, जब कि ४–५ रुपया रोज में किसी का पेट भी भर सकना मुश्किल है। भला वह अपने परिवार का पालन इतने रुपयों में कैसे कर सकता है? क्या इन स्कूलों के द्वारा आप देश में समाजवाद लाना चाहते हैं, क्या उनमें पढ़े हुए विद्यार्थी समाजवाद लायेंगे? उन स्कूलों में विद्यार्थियों के पानी का प्रबंध नहीं है, उनके रहने सहने का कोई प्रबन्ध नहीं है। प्रातः १० बजे वे आते हैं और सायं ५ बजे अपना पेट दबा कर वापस चले जाते हैं। वहां उनके नाश्ते का भी कोई इन्तजाम नहीं है। इस पर भी आप कहते हैं कि समाजवाद ला रहे हैं।

कक्षा ६ तक की फ़ीस आपने माफ़ कर दी थी, लेकिन उसके बाद कोई भी छूट विद्यार्थियों को आज तक नहीं दी गयी है। इस बजट स्पीच के अन्त में गांधी जी की एक बात लिखी गयी है। उसको माननीय वित्त मंत्री ने पढ़ कर सुनाया। वह इस प्रकार है–

तुम उठा लकुटी खड़े हुए चौराहे पर,
बोले, वह साथ चले जो अपना ढाये घर।

हम अपना घर ढहाने को तैयार हैं, क्या मंत्री जी हमारे साथ चलने को तैयार हैं? क्या बंगलों में रहने वाले, हजारों रुपया खर्च करने वाले हमारे साथ चलने को तैयार हैं? उनके द्वारा गांधी जी के वचनों का उद्धृत किया जाना बिलकुल गलत है। ७०–८० हजार के बंगलों में रहने के बाद, बढ़िया-बढ़िया कपड़ा पहनने के बाद वित्त मंत्री का बलिदान की बात करना बिलकुल गलत है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जब तक आदमी खुद किसी पथ पर नहीं चलता है, उसको किसी दूसरे को उस पथ को बताने का कोई हक नहीं है। अन्त में मैं प्रार्थना करूंगा कि अभी माननीय वित्त मंत्रीजी ने ६६ से ७६ पैसा आमदनी एवरेज नागरिक की बतायी लेकिन मेरा दावा है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक की औसत आमदनी ३० पैसा से ज्यादा नहीं हो सकती। और ३२ करोड़ की औसत आय १९ पैसे प्रति व्यक्ति है, १५–१६ करोड़ को १२ पैसे है, १७ करोड़ को १ रुपया है और ५० लाख की ३३ रुपया है। इस तरह से इस उत्तर प्रदेश की औसत आय को आप देखें और इस के लिये मेरी आप को यह चुनौती है और वित्त मंत्री जी को यह चुनौती है कि इन मेरे आय के आंकड़ों में कोई गलती हो तो मैं सदन को छोड़ने के लिये तैयार हूं। इस के अतिरिक्त मैं प्रार्थना करूंगा कि चौथी योजना में जो १० करोड़ रुपया हरिजनों के लिये रखा गया है वह बहुत ही कम है और इतने रुपए में इन पिछड़ी जातियों का या हरिजनों का उत्थान नहीं हो सकता। आप ने देखा होगा कि कल और आज के प्रश्नोत्तरकाल में आप नें सुना होगा कि उन के साथ किस तरह के जुल्म व ज्यादतियां हो रही है। उन के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये यह १० करोड़ रुपया बहुत नाकाफ़ी है। इस वास्ते मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि यदि वह वाकई में समाजवाद लाना चाहते हैं तो वह मेरे सुझाव पर अमल करें और अपना बजट वापस लें और मेरी माननीय सदस्यों से भी प्रार्थना है कि बजट का एक पैसा भी पास न करें।

(श्री रामलखन शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)––

उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस तरफ़ के ७ लोग हैं, इन ७ को मौका देकर तब आप उधर के लोगों को मौका दें। वह तो बजट बनाये हैं वह हर चीज जाने हुये

हैं, पहले इधर से जब ७ को आप बुला लें तब एक उधर से बुलायें, इधर बैठने वाले ७ हैं। ७ को मौका आप पहले दे लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राजित राम पांडेय—

यह ७ दल हैं, उसी हिसाब से.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, मैंने श्री राम लखन शुक्ल जी को बुलाया है वह बोलेंगे। इस सदन में एक ऐसी परिपाटी है कि दाहिनी और बाई ओर से एक इधर से और एक उधर से इस तरह से अवसर दिया जाता है। अगर आप के नेता इस सवाल को उठायें और आपस में सलाह कर के कोई दूसरा रास्ता निकालें तो मुझे कोई आपत्ति न होगी।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल से आज तक प्रस्तुत बजट पर माननीय नेता विरोधी दल तथा कतिपय अन्य नेताओं तथा माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना। मुझे आशा थी कि माननीय विरोधी दल के नेता जो एक विवेक पूर्ण नेता हैं, वह इस बजट के विवरण पर विचार करने के बाद कोई ऐसा मानदंड प्रस्तुत करेंगे जिस से यहां एक सुसंगत विचार-धारा का श्रीगणेश होगा और डिबेट का स्तर ऊंचा होगा। मैं आशा करता था कि यहां पर उन के द्वारा एक नई विचार की पद्धति परिष्कृत होगी। लेकिन मेरी यह आशा निराशा में परिणत हो गई, जब मैंने उनके भाषण को इस सदन में सुना। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी प्राजिक्यूटिंग इंसपेक्टर का भाषण हो रहा है, कोई प्रेरणा, कोई इनीशियेटिव, कोई विचार की दिशा या कोई दृष्टि हमें उससे नहीं मिली। यह बात निर्विवाद है कि नियोजित ढ़ग की अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत एक संतुलित बजट पर विचार के लिये दो मापदंडों को आधारभूत सिद्धान्त मानकर हमें विचार करना होगा। नियोजन काल का जो यह बजट प्रस्तुत है, इस अर्थ व्यवस्था में फिक्सेशन आफ प्रायारिटी, प्राथमिकताओं का क्रम उपयुक्त है या नहीं पहली बात और पहला मापदंड तो यह हो सकता है। दूसरा मापदंड यह हो सकता है कि क्या यह बजट या यह वित्तीय विवरण व्यक्तिगत अर्थ व्यवस्था से धीरे-धीरे हटकर समाजवादी अर्थ व्यवस्था की ओर हमें ले जा रहा है या नहीं। मैं अपने विचार केवल इन्हीं २ मापदंडों के आधार पर प्रस्तुत करना चाहूंगा।

जहांतक प्राथमिकताओं का प्रश्न है, हमारा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि उत्पादन के लिये आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की तरफ यदि माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान गया है, तो वह प्राथमिकता निश्चित ही सही है। बजट भाषण को अगर आप देखें तो इसमें तीन प्रायरिटीज के बारे में दिया गया है। पहली है पेय जल, दूसरी है सिंचाई व्यवस्था और तीसरी है विद्युत उत्पादन। इस सिंचाई और विद्युत में समूचे बजट का ५३ प्रतिशत है तो मैं समझता हू कि प्राथमिकताओं के निर्धारण में देश की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए वित्त मंत्री ने बड़े ही महत्वपूर्ण काम और बड़ी ऊंचाई का प्रदर्शन किया है। इसलिये जहां तक नियोजित अर्थ व्यवस्था का सम्बन्ध है यह प्रतीत होता है कि आज तक के जितने बजट प्रस्तुत किए गये हैं यह उन सबसे आगे है।

समाजवादी दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि सरकार द्वारा जो कदम उठाये जांय, वे प्रायः पब्लिक सेक्टर में हों। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान तीन बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हू। इस बजट में स्पष्ट चर्चा है एक सीमेंट फैक्ट्री डल्ला में शीघ्र स्थापित की जा रही है, दूसरे अल्मोड़ा में एक डैड बर्न्ट मैगनेसाइट प्रोजेक्ट

[श्री रामलखन शुक्ल]

स्थापित किया जा रहा है और औराई में पांचवीं सहकारी चीनी मिल का निर्माण हो रहा है। निश्चित रूप से ये संस्थान व्यक्तिगत अर्थ व्यवस्था से हटकर समाजवादी अर्थ व्यवस्था की ओर ले जा रहे हैं। यहां पर कहा गया कि सरकार पूंजीपतियों को प्रोत्साहन दे रही है, सस्ती बिजली दे रही है और उनको भूमि भी दे रही है। अर्थ शास्त्र का ज्ञान रखने वालों का यह निश्चित मत है कि समाजवाद का कायम करने के लिये यह आवश्यक है कि समाज में पूंजीपतियों की तिजोरियों से निकल कर धन आना चाहिये यदि सरकार इन्हें प्रलोभन देकर, उदारतापूर्ण सहूलियतें देकर पूंजीपतियों के रुपये को व्यापार में लगवाती है तो यह आनेवाले समाजवाद की स्थापना की पृष्ठ भूमि है। तो इस प्रकार से पूंजीपतियों को रियायतें देना और किसानों को सहूलियतें देना, ये दोनों कदम उचित हैं।

दूसरी समाजवाद को लाने की व्यवस्था यह होती है कि समाज के जो निर्बल अंग हैं उनको उभारने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिये। इस बजट में स्पष्ट रूप से उनके लिये जो गरीब हैं, हरिजन हैं, समुचित व्यवस्था की गयी है। भूमिहीनों को रोजगार दिलाने के लिये ५ करोड़ रुपये निश्चित रूप से रखा गया है। इतना ही नहीं प्रदेश के उपेक्षित भूखंडों की ओर भी ध्यान गया है। इसके लिये सरकार ने एक पर्वतीय विकास परिषद् की स्थापना करके एक ठोस कदम उठाया है। इस अवसर पर सरकार का ध्यान एक और तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं। अर्थात् इस प्रदेश के पूर्वी जिलों की ओर दिलाना चाहता हूं। आज भी इस प्रदेश में ऐसे २० जिले हैं जहां पर १४५ रु० फी व्यक्ति साल भर की आमदनी है। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी जिलें हैं जहां पर प्रति व्यक्ति आमदनी १४५ रुपये से भी कम है। सरकार को ऐसे जिलों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिये। मैं सरकार से और विशेष रूप से माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि पूर्वी जिलों के लिये भी एक विकास परिषद् का गठन करवा देना चाहिये। जब तक यह नहीं बनेगा, उनका समुचित विकास सम्भव नहीं है।

माननीय यादवेन्द्र दत्त जी ने अपने भाषण में चर्चा की कि बजट में कैपिटल फार्मेशन की चर्चा नहीं है। यह बात सही है। कैपिटल फार्मेशन का प्रश्न जब उठता है जब हमारी एकोनोमी सरप्लस एकोनोमी हो। हमारी पूंजी लगने के बाद जब बचे तो कैपिटल फार्मेशन में इन्वेस्ट हो सकती है। हमारे बजट में जो योजनाएं दी हैं और जो उसके अनुरूप कदम उठ रहे हैं वे कैपिटल फार्मेशन की भूमिका ही हैं। हरिजनों की बस्तियों में उनकी आबादी की जगहों पर दूसरे लोग एनक्रोच कर रहे हैं। मान्यवर, एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार ने निश्चित रूप से हरिजन बस्तियों के लिये आबादी हेतु जमीन निकाल दी, लेकिन हम और आप एनक्रोचमेंट करते हैं। इसलिये गांव-गांव में हरिजन बस्तियों में आन्दोलन खड़ा किया जाय और ऐसा स्वरूप उसे दिया जाय कि हरिजन बस्तियों के लिये आबादी में जो जमीन निश्चित है, उसमें एनक्रोचमेन्ट किया जाय। केवल कानून मात्र बना देने से किसी व्यवस्था को समुचित ढंग से स्थापना नहीं की जा सकती। हम सब उसमें साथ रहें, क्योंकि हरिजनों के साथ बड़ी ज्यादती होती है और किसी तरह से उसका निराकरण होना चाहिये।

एक निवेदन यह है कि यह खुशी की बात है कि इस सूबे के बजट का २० प्रतिशत शिक्षा में लगाया जा रहा है। अध्यापकों के वेतन मान में वृद्धि हुई है। लेकिन शिक्षा के कुछ ऐसे अंग भी हैं, जिनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यता समिति में पूर्वी जिलों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। हमें वहां जा कर दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। उसके सदस्य अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार के केन्द्र बने हुए हैं। कोई कहता है कि एक निश्चित दुकान से साइंस का सामान खरीद लो, कोई कहता है अमुक स्थान से किताबें खरीद लो हम असहाय होकर चले आते हैं। मेरा निवेदन कि आबादी के अनुपात से, स्कूलों की

संख्या के अनुपात से पूर्वी जिलों के भी प्रतिनिधि मान्यता समिति में होने चाहिये। अगर शिक्षा में इस प्रकार का भ्रष्टाचार चलेगा, मान्यता देने में पक्षपात किया जायगा और जो गरीब इलाके हैं, उनको मान्यता देने में ज्यादती की जायगी तो शिक्षा की प्रगति नहीं हो सकती। पूर्वी जिलों में गरीबी के बावजूद भी शिक्षा संस्थायें चलाई जा रही हैं परन्तु उनको मान्यता मिलने में दिक्कत होती है। मेरा स्पष्ट सरकार से अनुरोध है कि इस पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाय।

मैंने वित्त मंत्री के बजट भाषण में पढ़ा कि सिंचाई योजनाओं का प्राविधान है और बाढ़ निरोधक योजनायें भी उसमें हैं। किन्तु इस पर ध्यान देना होगा कि बाढ़ के समय नदियों का आक्रमण होता है। विशेषतया राप्ती नदी का जो कटाव है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि मेरे अपने क्षेत्र में मलौनी बांध पर जो १९ मील लम्बा है मैं छठे और चौथे फर्लांग पर भयंकर और तीव्र कटाव हो रहा है। मैंने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एक्जिक्यूटिव इंजीनियर को लिखा और उन पत्रों को सम्बद्ध करते हुए सार्वजनिक निर्माण मंत्री को भी पत्र लिखा, लेकिन मेरे निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं फिर चेतावनी देता हूं कि अगर अविलम्ब ध्यान नहीं दिया गया तो २०० वर्ग मील की भूमि जलमग्न हो जायेगी और लाखों लोग भूमिहीन हो जायेंगे, घर विहीन हो जायेंगे।

मैं एक बार फिर नेता विरोधी दल से अपील करना चाहता हूं कि अपने भाषणों का स्वरूप ऐसा विरोधी दल प्रस्तुत करे, जिससे रचनात्मक दिशा मिले। मुझे नेता विरोधी दल के भाषण पर तो नहीं लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के एक भाई बोले उनके भाषण पर पर बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने भारत का मुकाबला इराक और स्वीटजरलैंड से कर दिया। वह राष्ट्रीय आन्दोलन के एक सिपाही रहे हैं मैं निश्चित रुप से जानता हूं। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से जिस देश को विदेशियों ने जर्जरित कर रखा हो उसका स्वीटजरलैंड जैसे देश से जहां डायरेक्ट डैमोक्रेसी है, मुकाबला करना इस देश की अवस्था के साथ अन्याय करना है। मैं एक बार माननीय वित्त मंत्री को इस साधारण जनता की ओर ध्यान देने वाले बजट को प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं।

श्री चेतराम गंगवार--

आपने अभी कहा था कि मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। तो क्या आपका किसी विशेष व्यक्ति से झगड़ा है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

मुझसे नहीं कह रहे हैं तो किस से कह रहे हैं?

***श्री चन्द्रभान (जिला मुजफ्फरनगर)**

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण को सुना और पढ़ा। उसको देखने के बाद इसके सिवाय और क्या कहा जा सकता है कि वित्त मंत्रीजी ने बड़े खूबसूरत ढंग से गरीबों और पसमांदा लोगों के बारे में आंसू बहा कर और पार्टी इन पावर के उन चहीते बैटों को जिनके वेस्टेज इंटरेस्ट हैं बकाने के लिये बड़े खूबसूरत अल्फाज में पुरानी शराब नई बोतल में पेश करने की कोशिश की है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जहां वह इस प्रदेश में कैपिटलिस्टस को सस्ती बिजली देने पर विचार कर रहे हैं, करों में छूट दे रहे हैं, सेल्ट टैक्स माफ कर रहे हैं, वहां क्या उनको मालूम है कि वह काश्तकारों के ऊपर किस तरह से इनडायरेक्ट वे में टैक्सेशन बढ़ा रहे हैं? आज कृषि यंत्रों में २ के बजाय ३ परसेंट बिक्रीकर लिया जा रहा है। क्या यह सोशलिस्ट बजट है जो उन्होंने पेश किया है? आज वह स्टैम्प फी बढ़ा रहे हैं, एक तरफ तो आप बैंकसाको कहते हैं कि कृषि के उत्थाना के लिये काश्तकारों को लोन, दो लेकिन जिस वक्त उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो स्टैम्प फी बढ़ने का भार किस पर पड़ेगा? आज जिस तरह काश्तकाराको कृषि यंत्रों द्वारा लूटने की कोशिश की जाती है इसका अन्दाज आपको नहीं है? आपने यहां एक सफेद हाथी ऐग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के नाम से खड़ा कर दिया है। वह किस तरह काश्तकारों का शोषण कर रहा है, मैं इसकी तरफ

*वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभान]

आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। लखनऊ में बैठे हुये अधिकरी मेरठ और बुलन्दशहर के अन्दर तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करते जबतक उनको अच्छी खासी रकम घस में नहीं दी जाती। मेरे यहां एक चन्दनी काश्तकार है वह केवल इसलिये पीसा जा रहा है। क्योंकि उसने सौ रुपये मेरठ में घस देने से इन्कार कर दिया। आज किस प्रकार से सारे अधिकारी काश्तकारों को लूट रहें हैं इसका अन्दाजा कीजिये। उन्होंने अपना प्राइवेट बिजनैस बना लिया है। वह ट्रैक्टर के साथ-साथ थ्रेशर को लेने के लिये काश्त-कार को मजबूर करते हैं। जो थ्रेशर हमारे यहां शामली में ६५०-७०० रुपये में मिलता है वह लखनऊ में १,१२८ रुपये में मिलता है जिसका नाम सुदर्शन थ्रेशर है और ८०० रुपये में शामली में बिकता है उसको यहां पर १,२०० रुपये में देते हैं। जब इस बात की शिकायतें की जाती है तो कहते हैं कि हम काश्तकार को मजबूर नहीं करते हैं बल्कि उसको परसुयेड करते हैं। इसके अन्दर किसी न किसी का छिपा हुआ हाथ है जो इस तरह से २५०,३०० रुपये कमीशन का खाया जाता है। इसमें कौन लोग हैं इसको मैं कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन काश्तकार को दबाव डालकर खरीदने के लिये मजबूर किया जाता है इसका पता लगाया जाय। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आग्रह करूंगा कि जो ट्रैक्टर देने वाली एजेंसी है उसको हिदायत की जाय कि यदि काश्तकार को जबरदस्ती यंत्र खरीदने के लिये मजबूर किया गया तो अच्छा नहीं होगा और यह बन्द होना चाहिये। यह वह बजट है जिसको बड़े फख्र के साथ पेश किया जा रहा है। गन्ने के बारे में यह है कि जब गन्ने की रिकवरी कम थी तो उसका भाव दस रुपये क्विंटल था और जब रिकवरी बढ़ा गई तो उसका ६ रुपये तथा ८ रुपये हो गया। जो माननीय सदस्य कांग्रेसी बेंचों पर बैठते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हू कि वे जब किसानों का वोट लेकर यहां आये हैं तो ऐसे समय उनकी आवाज क्यों बन्द हो जाती है? क्या आप महसूस नहीं करते हैं कि माननीय गुप्ता जी के नेतृत्व में ६५ लाख रुपया देने वालों का ही हित किया जाता है और काश्तकारों को पीसा जाता है? क्या यही आपका सोशेलिस्टिक बजट है?

आज उपाध्यक्ष महोदय, बागपत चीनी मिल के ऊपर किसानों का बकाया है। अगर उनको वह रुपया नहीं मिलता है तो क्या हश्र होगा। अगर काश्तकार अगले साल इस मिल को गन्ना नहीं देगा तो उसमें उसका क्या कसूर है? आप इन मिलों में आई० ए० एस० और पी० सी० एस० आफिसर्स को भेजते हैं और जैसे कि अभी आप गोरखपुर से किसी को भेज रहें हैं तो वह मिलों के बारे में क्या चीज जानते हैं? क्या वे कैमीकल इंजीनियर होते हैं, कैमिस्ट होते हैं या शुगर एक्सपर्ट्स हैं? वे तो केवल अपनी जेबें भरने के लिये वहां पर बैठते हैं। वह इन पब्लिक संस्थाओं को फेल करके बदनाम कराना चाहते हैं। अगर आप इस चीज को नहीं रोकेंगे तो कलंक का टीका आपके ऊपर लगेगा। काश्तकार अपना गन्ना अगले साल इसको नहीं देगा अगर उसका रुपया नहीं मिला। उनको पैसा दिलाने के लिये मैं अपना सुझाव सदन के सामने रखता हूं। १५ लाख रुपया जो कर्जे का आपका कोआपरेटिव डिपार्टमेंट वसूल कर रहा है, उसको स्टे कराया जाय और वह रुपया काश्तकारों को दिया जाय। इसके अलावा वहां पर ७ लाख रुपये का शीरा पड़ा हुआ है वह अपने चहीते शराब बनाने वालों को साधारण कीमत पर न देकर ओपन मार्केट में बेचा जाय और उस रुपये को काश्तकारों को दिया जाय। इसके अलावा उस मिल की लाखों रुपये की चीनी पड़ी हुई है उसको कोटे के हिसाब से न उठवाकर एक दम बाजार में बिकवा दिया जाय या केन्द्रीय सरकार से कहा जाय कि वह इसको फौरन उठवा ले। यह तभी हो सकेगा जब आप करना चाहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में मुझे यह कहना है कि मुजफ्फरनगर में ८-१० महीने के बिल एक साथ भेजे जाते हैं। अभी हमारे यहां के माननीय सदस्य धर्मवीरसिंह जी ने लिख कर इसकी शिकायत पावर सेक्रेटरी को की है। लेकिन उसका आज तक जवाब नहीं दिया गया। आज आप देखें कि हमारे शहर से केवल दस मील की दूरी पर हरियाना और पंजाब हैं

जहां पर बिजली ६ पैसे पर यूनिट मिलती है जब कि हमारे यहां १५]२० पैसे यूनिट बिजली मिलती है। आप सरमायेदारों को दो पैसे यूनिट बिजली देते हैं।

आपने ५ करोड़ रुपया हरिजनों के अपलिफ्ट के लिये रखा है। इसी के साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सूबे के अन्दर लैंडलेस लेबर के लिये कितने एकड़ जमीन दी जायेगी और आपने कितनी दी और उस पर किनका कब्जा है। असरदार लोग एक बीघा भी देना नहीं चाहते। पांच करोड़ तो आपकी मशीनरी खा जायगी, इससे बेहतर है कि उनको काम सिखाया जाय। अगर आपने ग्रांट दे दी तो आप सफल नहीं हो सकेंगे।

दूसरी तरफ़ मैं आता हूं। अब इंतजामी सल्तनत पर आ जाइये। आपके कर्मचारियों की कितनी धांधलेबाजी चल रही है। मुजफ्फरनगर में आपके प्रशासन के आफिसर्स बी० के० डी० और कांग्रेस अपोजीशन के नाम पर जो आज अत्याचार कर रहें हैं, वह अपने में मिसाल है। बहुत सी जगह कांग्रेस के लोगों के कहने पर दूसरे लोगों का दफा १०७-११७ में चालान हुआ। तरपरी और मुराकुक्का में बी के० डी० के वर्करों का चालान कर दिया गया। बशीर अहमद, चेयरमैन, कैराना और डाक्टर महेन्द्रप्रताप की गाड़ी को तोड़ा गया। नामजद रिपोर्ट हुई, कोई ऐक्शन नहीं हुआ। भाजू ग्राम में ३०७ की नामजद रिपोर्ट लाज होती है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। छः महीने के अरसे में एक आदमी की गिरफ्तारी होती है और बाकी मफरूर दिखा दिये जाते हैं। दूसरी बात यह कि मैंने पिछली दफा इस सदन में फर्स्ट वाक आउट किया था, मैं पूछना चाहता हूं कि यह प्रशासन क्या हो रहा है? वहां दो केस हैं। एक में १३ आदमियों को सबजुडिस बनाकर कोर्ट में भेज दिया ताकि सदन में बहस न हो सके, लेकिन दूसरा केस भी है जिसमें पांच की आंखे खराब हुई और चार की छातियों पर गोलियां लगीं, गांधी आई हास्पिटल अलीगढ़, प्यारेलाल हास्पिटल, मेरठ, मेडिकल इंस्टीट्यूट, दिल्ली और सिविल हास्पिटल, मुजफ्फरनगर में महीनों पड़े रहे। छः महीने पूरे हो रहें हैं, न कोई पकड़ा गया न कोई चालान हुआ। जब इन्तजामी सल्तनत का मालिक किसी मामले में इंटरेस्ट रखता हो तो क्या हो सकता है। क्या मैं गुप्ता जी से पूछ सकता हूं कि जिस वाकये में ११ आदमी मारे गये, वहां उस रोज गुप्ता जी बैठे रहें, और उनको पता नहीं लगा, लेकिन मुजफ्फरनगर में एक आदमी मर गया वहां चार सौ मील गुप्ता जी चले गये और डिस्ट्रिक्ट जज और गवर्नमेंट काउंसेल को बुला कर मुजफफरनगर में मीटिंग की। क्या हाईकोर्ट के जजों के यहां दावतें खाने के मतलब जुडीशियरी में मदाखलत नहीं है?

तीसरी बात यह है कि इस प्लान को मैंने देखा। जहां ट्यूबवेल या सड़कें हैं पश्चिमी जिलों को कहीं नहीं देखा। मैं कांग्रेस साहबान की नोटिस में लाना चाहता हूं कि अगर आपने उन जिलों के साथ यह बर्ताव किया तो उन लोगों को किस कदर दुख होगा। ऐसा न हो कि तेलंगाना और बंगाल का नक्शा पेश होने लगे। इसलिये इस बात को न सोचिए कि वहां कौन कामयाब हुआ है कौन कामयाब नहीं हुआ है। अगर इस इसी तरह से अंधेरगर्द चलती रही, स्टैपमदरली ट्रीटमेंट होता रहा तो एक शेर गुप्ता जी की खिदमत में पेश करूंगा: 'अभी क्या है, कल एक-एक बूंद को तरसेगा मैखाना, जो अहले जर्फ के हाथों में पैमाने नहीं आये।' हमारे मुख्य मंत्री जी खास तौर से कैरानी और शामली के जो बोर्ड हैं उनसे बहुत सख्त नाराज हैं। उन्होंने वहां के जिलाधीश और कमिश्नर को आदेश दिया है कि खुफ़िया तौर पर उनके खिलाफ़ अभियोग तैयार करो जिससे कि वहां के बोर्ड्स को सुपरसीड किया जा सके और आप उनको अपने हाथों में लेकर अपनी मनमानी कर सकें। श्रीमन्, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सरकार की यह चाल है और मैं आपको चेतावनी दिये देता हूं कि यदि वहां के बोर्ड सुपरसीड होने लगें तो आप देखियेगा कि वहां की और आपकी क्या हालत होगी।

अन्त में मैं एक शायरी कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

"बस ऐ मौजे हवारिश बेकसों से दूर ही रहना,
शकस्त कश्तियां अक्सर उलझ पड़ती हैं तूफ़ां से।।"

श्री चंचल सिंह (जिला रामपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफ़त वित्त मंत्री महोदय को बधाई दिये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने ऐसा बजट पेश किया है, जिससे अन्दाजा लगता है कि आप और आपकी गवर्नमेंट किस तरह से इकोनामिक इम्प्रूवमेंट करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, बजट में कोई ऐसा नया कर नहीं लगाया गया है जिसका बोझ जनता पर पड़े। हालांकि नई पंचसाला योजना शुरू होगी जिससे उस पर बहुत सा पैसा खर्च होगा, फिर भी उन्होंने यह मुनासिब समझा कि प्रदेश की जनता पर कोई नया बोझ नये टैक्स का न डाला जाए। इस बजट में ३१ करोड़ रुपये का जो घाटा आया है उसको उन्होंने बिना किसी नये टैक्स के लगाये पूरा करने की हिम्मत रखी है। उन्होंने रुपये पाने के ऐसे नये-नये तरीके निकाले हैं जिन्हें अब तक हम इग्नौर करते रहे हैं। मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री और सेल्स टैक्स के कर्जे की वसूली सरकार सख्ती से करेगी। ऐसे बजट को पेश करना कोई मामूली बात नहीं है।

दूसरे मैं यह देख रहा हूं कि जब से श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बैंकों को नेशनलाइज करने का एलान किया है अपोजीशन वालों के पास कोई ठोस दलील कहने के लिये नहीं रह गई है कि व अब कोई बात कहने के लिये आगे आएं। क्योंकि वह जानते हैं कि अब सोशलिज्म के नारेबाजी का जमाना गया अब कांग्रेस सोशलिज्म का जमाना आया है। मुझे एक बात की खुशी है जो कल चौधरी साहब ने बड़ी जवांमर्दी से इस सूबे में चीनी की मिलों को नेशनलाईज करने का सुझाव दिया है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इस बारे में उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ काम लिया है। अगर दिल्ली जाने तक इस पर कायम रहे, बजट को और अच्छा बनाना है तो चीनी मिलों को इस सूबे में नेशनलाईज करना बहुत जरूरी है। इससे १०० करोड़ रुपये की इस गवर्नमेंट की बचत हो सकती है और इससे किसानों की भी बिगड़ी हुई हालत सुधर सकती है। इसके अलावा इंडस्ट्री में जो बेईमानी और हेर-फ़ेर होता है वह भी इससे दूर होगा और किसानो को ठोस आमदनी का जरिया बन जायगा और सरकार के सिर का दर्द भी दूर हो जायगा।

इसके अलावा आचार्य जी ने बहुत सी कांटिंजेन्सी में और पहाड़ों पर जाने आने के खर्चे में कमी करके अपने बजट के घाटे को पूरा करने की कोशिश की है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। कर्जे की वसूली और यहां फ़ाइनेन्स कमीशन से मिलने वाले धन पर बड़ा निर्भर किया गया है।

फिर भी मैं इस बजट को और ठीक बनाने के लिये कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं किसान होने के नाते यह कहना चाहता हूं कि गल्ले की कीमत कम से कम और ज्यादा से ज्यादा मुकर्रर होनी चाहिये। क्योंकि जब किसान के पास फ़सल रहती है तो उसकी कीमत कम रहती है और जब यह सरकार या व्यापारी के पास फ़सल पहुंच जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन किसान जब ग्रीन रिवोल्यूशन के द्वारा अपनी पैदावार बढ़ाता है तब उसका मुआविजा क्या मिलता है। वह वहीं का वहीं रहता है क्योंकि सब पुर्जे, खाद, फ्यूल, ट्रैक्टर और बीज महंगे ह। लेकिन लूटने वाले उसे लूटते रहते हैं और किसान का बहुत नुकसान होता है। अगर आप किसानों की हैसियत का १० साल पहले का अन्दाजा लगाइये तो आपको पता लगेगा कि उसपर कितना कर्जा बढ़ गया है, वह अपनी जायदाद बैंक में और दूसरों के पास गिरवी रखते चले जा रहे हैं। मुझे यह डर लग रहा है कि एक दिन वह आयेगा कि जब किसान लैंडलेस हो जायेगा और वह जमीन दूसरे लोगों के पास चली जायगी। इसलिये मैं सरकार से कहता हूं कि किसानों की पैदावार की ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कीमत मुकर्रर की जाय। मैंने सुझाव दिया था कि आप गन्ने की कीमत १२ रुपये मुकर्रर कर दें और हम ८ आने फी मन या जितना भी ठीक हो पर्चेज टक्स देने के लिये तैयार हैं। इसी तरह से गेहूं की कीमत आप ९४ और १०५ रुपय आप तै कर दीजिये और हमसे ५ या १० फीसदी परचेज टैक्स ले लीजिये। इससे किसानों में एक अन्डरस्टैंडिंग आयगी और व समझेंगे कि हमारी यह हालत होने वाली है।

इसके अलावा यह भी है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी तो गरीबों को हानि नहीं होगी। जैसे सिनेमा हैं, रेजीडेंशल होटल हैं बार हैं, रेडियो है, मोटर हैं मोटर साइकिल हैं। इन पर टैक्स लगाया जा सकता है गरीबों पर टैक्स नहीं होगा। लेकिन किसानों को रिलीफ देने के लिये कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कीमतें मुकर्रर करना ही होगा जिससे वह ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अच्छ से अच्छा बीज, खाद और पानी दे करके और पैदावार करके इस सूबे के लोगों की किस्मत बदल दें, जनता की किस्मत को बदल दे और वे इसके साथ-साथ अपनी किस्मत बदलेंगे और उन पर जो बेशुमार कर्जा है उससे छुटकारा मलेगा।

(इस समय पर ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

एक बात और, मैंने माननीय चौधरी साहब का भाषण हरिद्वार में सुना था। उन्होंने उदाहरण दे देकर यह बतलाया था कि जितने मुल्क खेती पर ज्यादा निर्भर करते हैं वे उतने ही ज्यादा गरीब हैं। मैंने एस० वी० डी० की सरकार भी देखी है और भी देखी है लेकिन किसी ने इस गरीबी को दूर करने की कोशिश नहीं की। मैं यह समझता हूं कि गरीब की गरीबी उस वक्त तक दूर नहीं हो सकती जब तक कि जमीन पर से जनता कम नहीं होती। गरीब की पैदावार की कम से कम कीमत मुकर्रर नहीं होती जिससे वह लूट से बच सके। पंजाब की बात अक्सर लोग कहा करते हैं। पंजाब के किसान के पास जमीन कम है लेकिन उसका एक भाई इग्लैन्ड गया हुआ है, दूसरा दूसरे धंधे में लगा हुआ है और तीसरा मेरी तरह से घरबार छोड़कर इधर आ गये हैं लेकिन अपनी मेहनत से वह ज्यादा पैदावार करता है। यही तरीका है जिससे गरीबी दूर होती है। हम यू० पी० वालों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिये और इस तरफ आना चाहिये।

इस बजट को लोग चाहे बैड फाइनेंनसिंग कहें, चाहे ऐंटी पीपुल कहें चाहे कोई कैपिटलिस्टिक कहे चाहे ऐंटी सोशलिस्टिक कहे लेकिन मेरी समझ में एक बात आती है कि असल में ऐसे कम रिसोर्सेज में और इतनी कम आमदनी में और इतनी अधिक मांग के रहते हुये कोई बजट बनाकर देख ले। हमने भी बजट देखे हैं। इससे पहले भी बने हैं उन्हें भी देखा है लेकिन ऐसा कोई बनाकर दिखा दें। फिर सिर्फ बातें करने से बात कैसे बने! इस बजट की हर मद बेहतर और हरएक चीज में तरक्की नजर आ रही है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जब मैं इस बजट की कापियों को अपने कन्धे पर रखकर अपने घर पहुंचा तो मैंने इस बजट के अन्दर अपने रामपुर के बारे में बहुत देखने की कोशिश की कि वहां पर क्या काम किये जायेंगे। मैं इस बात को पढ़कर बहुत हैरान हुआ कि रामपुर के हिस्से में इस बजट के अन्दर एक पाई भी नहीं आई है। मैं रामपुर का रहने वाला हूं इसलिये चाहता हूं कि वहां के लिये कुछ किया जाय। मैंने खुशी से देखा कि पूर्वी जिलों के लिये और पहाड़ी जिलों के लिये बड़ी-बड़ी रकम इसके अन्दर रखी गई है लेकिन रामपुर जिले के लिये कोई पैसा इसमें नहीं रखा गया है। मैं इसके लिये किसको दोष दूं। हम यह रिक्वेस्ट करेंगे कि रामपुर पुरानी रियासत है और वहां पर किसानों की हालत बहुत ही पिछड़ी हुई है। वहां के गांवों में एक भी पक्का मकान आपको नजर नहीं आयेगा। रामपुर जिले का लगान भी सूबे के और हिस्सों से दुगुना है। वहां पर जो नहरें और डाम बने हुये हैं वह भी खेतों से नीचे हैं जिसका नतीजा यह है कि नहरों का पानी खेतों को नहीं मिल पाता है लेकिन फिर भी नहरों का लगान किसानों को ज्यादा देना पड़ता है। किसानों की हालत वहां पर बहुत गिरी हुई है। सड़कें भी वहां पर नहीं हैं और सड़कों के लिये कोई नई योजना भी नहीं है। जो वहां की पुरानी योजना थी उसको भी पैसा नहीं मिला। जहां पर सड़कें बनाने के लिये पत्थर डाले गये थे वहां पर उसको नहीं लगाया गया है। नई योजनाओं के लिये एक पैसा भी नहीं दिया गया इस बजट के अन्दर। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि रामपुर को भी और जिलों की तरह पिछड़े जिलों में शुमार किया जाय और इसकी तरक्की पर तवज्जह देना चाहिये ताकि हम वोटरों को जाकर मुंह दिखा सकें और इस काबिल हो जांय कि उनके सामने कुछ कह सकें। हम भी कह सकें कि इस बजट में और इस सरकार में हमारा भी हिस्सा है।

[श्री चंचल सिंह]

इस बजट के अन्दर सिक मिलों के लिये इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन से रुपया दिलाकर चलाने की योजना बताई गई है। मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि कारपोरशन से मदद करने से उतना काम नहीं चलेगा जितनी हैल्प की उनको जरूरत है। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि इन मिलों को सरकार अपने हाथ में ले ले। इन सब सिक मिलों को सरकार नेशनलाइज करके अपनी तरफ से इन्तजाम कराये ताकि उनकी हालत दुरुस्त हो सके। इस तरह का स्टेप सरकार को उठाना चाहिये। जिस तरह से इन्दिरा जी ने बैंकों को नेशनलाइज करके बड़ा कदम उठाया है उसी तरह से यह सरकार इन सिक मिलों को नेशनलाइज करके इन्तजाम कराये ताकि गरीब लोगों का कुछ सहारा मिले और उनकी इमदाद हो सके।

रामपुर जो पुरानी रियासत थी उसके नवाब और जमींदारों ने किसान को बुरी तरह से लूटा है। वहां पर तालीम नहीं है। गांवों म स्कूल नहीं है। शहरों म कालिज हैं लेकिन होस्टल नहीं हैं। देहाती जनता शिक्षा से महरूम रह जाती है। वे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। लड़कियों की तालीम नहीं हो सकती है। इसलिये मैं अर्ज करूगा कि नहरों का इन्तजाम, तालीम का इन्तजाम और सड़कों की योजना रामपुर के लिये होनी चाहिय। इसक लिये बासतौर से ख्याल किया जाय जिससे उसका पिछड़ापन दूर हो सके। इस जिले को बैकवड एरिया करार दिया जाय। मैं यह भी कहना चाहता हू कि रामपुर में पहले १५ बड़ी-बड़ी मिल थीं। कानपुर के बाद इसी का नम्बर आता था। यह दूसरे नम्बर पर था लेकिन वहां से बड़ी-बड़ी मिल सब निकल गईं और वहां पर कोई पुरसा हाल नहीं है। इसलिये मैं इडस्ट्रीज मिनिस्टर से अपील करूगा कि वहां पर इडस्ट्रियल सर्वे कराकर रामपुर की किस्मत का फसला कराइये क्योंकि रामपुर में इडस्ट्री शुरू करने के बहुत से साधन पाये जाते ह।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री चंचलसिंह—

मैं आखिर में वित्त मंत्री जी का इस बजट के पेश करने पर शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस सदन के सामने इस प्रदेश के पिछड़ेपन के बारे में, यहां के मध्यम वग क बारे में और प्रदेश के अन्दर किस प्रकार से उसकी प्रगति पर प्रभाव पड़ा है उसके आंकड़े आपके सामने रख सकूं, इसका आपने मुझे अवसर दिया। मान्यवर, मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है २०–२१ वर्ष के कांग्रेस शासन के कारण यह प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत ही पिछड़ गया है। कल संसद के अन्दर जो विवाद हुआ हमने पढ़ा कि इस अभागे प्रदेश में उद्योग–धंधे बहुत कम लगाये गये। मैं उसके आंकड़े रखना चाहता हूं। भारत सरकार ने पंजाब को क्रमशः १७० रुपया प्रति व्यक्ति पहली, दूसरी और तीसरी योजना के अन्तर्गत दिया है और उत्तर प्रदेश के सरकार ने जहां से ३–३ प्रधान मंत्री हुए पहली योजना में ३७ रुपया दूसरी में ३६ रुपया और तीसरी में १७ रुपया प्रति व्यक्ति दिया है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश उन अभागे प्रदेशों में है कि जबकि सारे भारतवर्ष में ५८ जिले पिछड़े माने जाते हैं, यहां २२ जिले ऐसे हैं जो पिछड़े माने जाते है। इन जिलों की पर-कैपिटा इनकम १४५ रुपया प्रति वर्ष है। सन् ३९ के प्राइस इडेक्स के अनुसार रुपये की कीमत आज १४ नया पैसा रह गयी है। यदि सन् ३९ में राज्य कर्मचारियों और सचिवालय कर्मचारियों को ४० रुपया मिलता था तो उसी अनुपात में उनको साढ़े तीन सौ रुपया मिलना चाहिए। अभी सन् ५६ में गुलजारीलाल नन्दा के नेतृत्व में एक कमेटी बैठाई गयी थी जिसकी राय थी कि जीवित रहने के लिये प्रत्येक परिवार को कम से कम १२५ रुपया दिया जाय। परिवार की व्याख्या तत्कालीन श्रम मंत्री ने बतायी थी पति, पत्नी और दो बच्चे। उसी अनुपात से सन् ६९ में वह १२५ रुपये से बढ़कर २७० रुपया हो गयी है जिसे लिविंग वेज कहते हैं।

जब १९ सितम्बर को केन्द्रीय कर्मचारियों ने एक इनकलाब किया कि कम से कम लिविंग वेज २७० रुपया दी जाय तो केन्द्रीय सरकार ने यह मंजूर कर लिया था कि २०० रुपया उनको दिया जाय तभी एक व्यक्ति जीवित रह सकता है। अब हमारे राज्य कर्मचारी महगाई भत्ते की समानता के लिये मांग कर रहें हैं, उस संबन्ध में १३२ कर्मचारियों को जिन में पशुपतिनाथ शुक्ल, तुषारकान्ति घोष आदि हैं उनको बरखास्त कर दिया गया है। उसके कारण सचिवालय और ५४ जिलों का वातावरण अशान्तमय है। केन्द्रीय कर्मचारियों पर मुकदमें चलाये जा रहें हैं। जबकि पंजाब, बगाल और मध्य प्रदेश की सरकार ने मुकदमें वापस ले लिये, ५,००० कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं जिन्होंने १९ सितम्बर के आन्दोलन में भाग लिया उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, वे निलम्बित हैं। मैं अनुरोध करूगा कि मुख्य मंत्री के द्वारा केंद्रीय सरकार को लिखा जाय कि मुकदमों को वापस ले लिया जाय।

अभी शिक्षा मंत्री ने शिक्षा के संबंध में कुछ नीतियों का प्रतिपादन किया था जब पिछला राज्यपाल का भाषण पढ़ा गया था। मैं अध्यापकों की मांगों का समर्थन करने वालों में से हूं। उस समय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी कि राज्य कर्मचारियों के समान ही यहां के अध्यापकों को महंगाई भत्ता दिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो सर्कुलर ५२-५४ विद्यालयों को भेजा गया है उसमें कहा गया है कि महंगाई भत्ता अगस्त के महीने से ही दिया जायेगा। राज्य कर्मचारियों को जो फरवरी, ६९ से महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था और जिसके बारे में यह कहा गया था और तय हुआ था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को भी उसी दिन से दिया जायेगा वह नहीं दिया जा रहा है। संविद के जमाने में माननीय रामप्रकाश जी गुप्त ने यह घोषणा की थी कि जब-जब राज्य कर्मचारियों का महंगायी भत्ता बढ़ाया जायेगा, उनको भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जायेगा। मगर आपने उसको नहीं माना। यह कैसा आपका समाजवाद है? नगरपालिका का एक आशुलिपिक १२० रुपया पाता है, यहां सचिवालय में वही १८० रुपये पाता है और यदि वह केंद्रीय सरकार के पोस्ट आफिस में काम करता है तो वह २९० रुपये पायेगा। यह समाजवाद मेरी समझ में नहीं आता है। केंद्रीय सरकार का चपरासी या फर्राश अगर ए० जी० आफिस में है तो वह १६० रुपया पायेगा, किन्तु आपके यहां यदि कोई प्राथमिक कक्षा का अध्यापक है तो वह ५० रुपया ही पायेगा।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की ओर आप देखिये। पांचवीं कक्षा तक तमाम विद्यालय खुलते जा रहे हैं इसलिये कि वहां पर मनमानी फीस ली जाती है। किन्तु उन बच्चों को जब छठीं कक्षा में प्रवेश के लिये जाना होता है तो उन्हें प्रवेश नहीं मिलता। आज कानपुर शहर के अन्दर ४० हजार बच्चे ऐसे हैं जिन्हें छठीं कक्षा में प्रवेश नहीं मिल रहा है और वे चारों तरफ मारे-मारे फिर रहे हैं। दसवीं कक्षा में लड़कियों की फीस माफ होने का नतीजा आज यह है कि लड़कियों के स्कूल आज उतनी संख्या में नहीं खुल रहे हैं जितने कि खुलने चाहिये क्योंकि उन स्कूलों को जो सरकारी अनुदान मिलता हैं उसमें स्कूल के मैनेजर लोग मनमानी नहीं कर पाते हैं। वे उसमें गोलमाल नहीं कर पाते हैं।

माननीय, संविद की सरकार ने यह फैसला किया था कि उन अध्यापकों को राज्यकोष से वेतन दिया जायेगा। मैं चाहता हूं कि यह सरकार उसे तत्काल लागू करे। आपको मालूम होगा कि इसके न होने से वहां पर किस प्रकार की मैनेजर लोग धांधलेबाजी करते हैं। मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, लखनऊ किसी भी शहर को ले लीजिये, किस तरह से मनमाने ढंग से अध्यापकों को सताया जाता है वह सब को मालूम है।

आज हमारे यहां शिक्षा पर केवल २० प्रतिशत ही खर्च किया जाता है, जब कि रूस और अमेरिका में ३५ प्रतिशत खर्च किया जाता है। यही कारण है कि रूस और अमेरिका का विद्यार्थी पढ़ने के बाद आज अपने पैरों पर खड़ा होता है, विद्यालय से जब वह निकलता है तो खेत और खलियानों में काम करता है, कल और कारखानों में काम करता है, किसी उद्योग में

[श्री रामगोपाल संड]

अपने को लगाता है । मगर हमारे यहां शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी बेकार सड़कों पर मारा-मारा घूमता है । इस सड़ी गली शिक्षा प्रणाली से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है । आपने इसके लिये कई प्रकार के आयोग बिठाये, उनकी सिफारिशें आपके सामने आयीं, मगर आपने उनको नहीं माना । कोठारी आयोग की सिफारिशें अब तक आपने नहीं मानी हैं । मुझे पता नहीं उसकी सिफारिशों को मानने से सरकार आज क्यों कतरा रही है । क्यों नहीं उन रिपोर्टों को मानती । मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि आप प्राथमिक शिक्षकों के लिए कम से कम न्यूनतम वेतन १५० रुपया दीजिये ।

साथ ही साथ शिक्षा विभाग की धांधली के विषय में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा । "आज" पेपर के प्रबन्धक, ऐसा कहा जाता है कि माननीय उप मुख्य मंत्री के पुत्र हैं और उन्होंने १० हजार रुपया किसी अधिकारी को देकर बोर्ड का परीक्षा फल, परीक्षाफल घोषित होने से पूर्व ही प्रकाशित कर दिया । बोर्ड की मीटिंग उस दिन १० बजे होने वाली थी, उससे पहले उसी दिन सबेरे बोर्ड का परीक्षाफल छप गया । एक-एक रुपये की एक एक कापी बिकी और ६० हजार कापियां छप कर वितरित हो गयीं । यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है ।

यही नहीं मान्यवर, जब एक लाख विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा में बैठते थे तब कार्यालय में ३०० लिपिक कार्य करते थे । आज सन १९६९ में जब कि विद्यार्थियों की संख्या साढ़े ७ लाख हो गयी है तब भी वहां के कर्मचारियों की संख्या वही ३०० ही है । काम चलाने के लिए २५० कर्मचारी बाहर से बुलाये जाते हैं, मगर उनसे होता क्या है ? परीक्षाफल गोपनीय नहीं रह पाता । उनके द्वारा गोपनीयता भंग हो जाती है । और उन लोगों को १२ रुपये के लगभग दैनिक भत्ता भी आप देते हैं । इससे व्यय भी ज्यादा ही होता है अतः वहां पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जाये । बोर्ड के अन्दर किसी प्रकार की गोपनीयता नहीं है अध्यक्ष महोदय, इस पूरे कांड की जांच होनी चाहिये । माध्यमिक शिक्षा परिषद् के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चूंकि विधान परिषद् के अध्यक्ष उस बोर्ड के अध्यक्ष बन गये, वे बोर्ड के मेम्बर भी हैं, बोर्ड की जो मीटिंग पहले इलाहाबाद में हुआ करती थी वह मीटिंग वहां न होकर यहां बुलायी गयी । मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस तरह का समाजवाद है ।

मैं बड़ी विनम्रता के साथ एक बात की ओर आपका ध्यान ले जाऊंगा । करप्शन को मिटाने के लिये हमें शिक्षा पद्धति के अन्दर आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें इस प्रकार की शिक्षा देनी पड़ेगी जिससे हमारे विद्यार्थी अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें, उद्योग धंधों के बारे में ज्ञान प्राप्त करें और जब वे विद्यालय से निकलें तो अपने खेतों और खलिहानों में जाकर अधिक अन्न व सब्जियां पैदा करें, कुटीर उद्योगों की जगह-जगह स्थापना करें । कहा यह जाता है कि हम शिक्षा के ऊपर २० प्रतिशत खर्च कर रहे हैं । इससे न तो कर्मचारी संतुष्ट हैं और न विद्यार्थी ही संतुष्ट हैं । लाखों रुपये खर्च करके जो योजना बनी उससे टाटा, बिड़ला, सिंहानिया आदि पूंजीपतियों को तो और भी धनाढ्य बना दिया गया और गरीब बेचारे गरीब ही रह गये । जो छोटे आदमी थे वे तो छोटे ही रह गये और बड़े आदमी और बड़े हो गये । इसका नतीजा यह है कि आज ३५ लाख लोग बेरोजगार हैं जिससे यहां फ्रांस जैसी क्रांति होगी, अमेरिका और रूस जैसी क्रांति होगी । इसके लिए आपको अच्छी तरह से चिन्तन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा कि क्या उपाय किया जाय जिससे इस तरह की चीजें यहां न हों । इसी प्रकार से शिक्षा निदेशालय में इलाहाबाद के एक दफ्तर में ५०० टाइपराइटर्स हिन्दी के पड़े हुए सड़ रहे हैं । शिक्षा मंत्री जी जब वहां गये थे तो उनको मैंने दिखलाया था कि संविद सरकार के समय में श्री चरण सिंह के समय में ये ५०० हिन्दी टाइपराइटर आये थे । कहा जाता है कि हिन्दी में सारा काम होता है । मेरे पास अनेकों पत्र जिलाधीश और एस० एस० पी० के आते हैं जो अंग्रेजी में ही होते हैं इसलिये आपके द्वारा मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अगर इस प्रदेश में सचमुच समाजवाद लाना है तो जनता का काम जनता की भाषा में ही करना पड़ेगा ।

अब मैं चिकित्सालयों के बारे में कुछ कहूंगा । बहुत से गांवों में ऐसी डिस्पेंसरीज हैं जहां डाक्टर नहीं हैं । मैं कई अस्पतालों में गया हूं । मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी से कहूंगा कि डाक्टरी पढ़ने वाला विद्यार्थी तीन तीन और चार चार सौ रुपये महीने खर्च करके अपनी शिक्षा पूरी करता है तब कहीं जाकर डाक्टर बनता है और आप उसे गांव में भेजते हैं तो उसे बी० डी० ओ० के अन्डर कर देते हैं तथा वहां उसके रहने के लिए घर नहीं देते, उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई सुविधा वहां नहीं होती, ऐसी हालत में कोई डाक्टर गांवों में क्यों जायेगा ? मान्यवर, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि माननीय कृष्णानन्द राय जी कोई ऐसी योजना बनावें जिससे कि हमारे वे नौनिहाल जो कि डाक्टर बन कर निकलते हैं वे गांवों में जाकर काम करें । एक और बात मैं राय साहब के ध्यान में लाना चाहता हूं । इलाहाबाद में एक क्षय अस्पताल है जहां ८० मरीज भरती होते हैं लेकिन ५०० मरीज वेटिंग लिस्ट में हैं । हमारे देश के अन्दर इतनी गरीबी है कि उनको खाना नहीं मिलता, उनको दूध नहीं मिलता, २८० कैलोरीज की खुराक जो एक आदमी के लिये जरूरी है वह उसे नहीं मिल पाती है जिससे क्षय रोग बढ़ता जाता है । स्वास्थ्य मंत्री जी को चाहिये कि वे इन सारी बातों पर अच्छी तरह से विचार करें । आज हालत यह है कि अस्पतालों में मरीजों को डाक्टर तब भरती करते हैं जब कि पहले उनसे ५०० रुपये या १००० रु० तय कर लेते हैं, फिर उनको बेड्स मिल पाते हैं । इन सारी बातों पर आपको विचार करना होगा । पंचायत मंत्री को सन् ५० में ५० रुपया मिलता था और आज सन् ६९ में भी ५० रुपया, यह क्या है ? उसको पचास रुपये तब मिलते थे सन् ५० के अन्दर तब जिला परिषद के प्रधानाचार्य को ३५ रुपये मिलते थे । ग्राम सभा के मंत्री की भी वही स्थिति है और अन्य कर्मचारी भी चौराहों पर खड़े हो रहे हैं । इन छोटे लोगों के लिये मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिये । बड़े लोगों की चिन्ता छोड़िये और जब तक आप ऐसा बजट नहीं बनायेंगे जिसमें कर्मचारी सन्तुष्ट हों, अध्यापक सन्तुष्ट हों, छोटे-छोटे चपरासी सन्तुष्ट हों पंचायत राज का मंत्री सन्तुष्ट हो और गरीब लोगों को ठीक प्रकार से चिकित्सा मिले तब तक देश के अन्दर ठीक प्रकार से शांति और व्यवस्था नहीं रहेगी । देश चौराहे के ऊपर खड़ा हुआ । इन समस्याओं की ओर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मंत्री महोदय ध्यान दें । ऐसा बजट बनाइये जो सबका हित करने वाला हो । मैं पुनः आपको नमस्कार करता हुआ, प्रणाम करता हुआ विदा लेता हूं और आपसे प्रार्थना करूंगा कि १३२ राज्य कर्मचारियों की समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल करने के लिये आप अपने प्रभाव का उपयोग करेंगे ।

उद्योग मंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं । जैसा कि कल चौधरी साहब ने कहा था साढ़े पांच बजे आज तिलक हाल में हमने सदन के माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया है । उसमें हमारे फाईनेंस सेक्रेटरी आयेंगे और जो बजट के विषय में जानना चाहेंगे उनको बतायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

छः बजे तक तो हम लोग यहां रहेंगे ।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

उसके बाद आ जायेंगे । जब आपकी आज्ञा हो जब आप कहेंगे वे तब आ जावेंगे ।

श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमारी बी० के डी० की पार्टी की ओर से कुछ नाम आपको दिये गये थे, उसमें हमारा नाम द्वितीय नम्बर पर है । पर मेरा नम्बर अभी तक नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष—

आपको भी मौका मिलेगा। दूसरे लोग खड़े हुए हैं, उनको भी मौका देना पड़ता है।

श्री विजय बहादर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि कल श्रीमान् ने जो मिर्जापुर जिले के गोपालपुर फार्म की घटना की सूचना दी थी नियम ५१ के अन्तर्गत उसके लिये आज का समय निश्चित किया था। मेरा विचार है कि उसमें समय लगेगा। यदि यह साढ़े चार बजे आरम्भ हो तो सम्भव था कि हमको एक घंटे का समय बहस के लिये मिल जाता।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, इस संबंध में जो भ्रम है वह मैं निवारण कर दूं। इसलिये उनको भ्रम हुआ है कि वह आज है या कल है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस लिये लिख दिया है कि वह साढ़े पांच बजे नहीं होगी। सदन का काम पहले होगा, उसके बाद वह होगी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने बड़े गौर से माननीय नेता, विरोधी दल के भाषण को सुना। यह सही है कि चौधरी साहब ने पहली बार नेता, विरोधी दल की हैसियत से पांच घंटे तक इस सदन का समय लेकरके हर एक विभाग की कट आलोचना करके अपने कर्तव्य का पालन किया। लेकिन उनके भाषण के अन्त में ऐसा लगा कि वह यह भूल गये कि वह अखिल भारतीय स्तर के भारतीय क्रांति दल के नेता हैं और उन्होंने अपने भाषण को गेरठ जिले, जाट और अहीरों की वकालत में लगा दिया। उसके साथ ही साथ उन अफ़सरों के लिये इतना दर्द दिखाया और साथ ही साथ दूसरे स्वर में वे कहते रहे कि शासन में सुधार की आवश्यकता है। मैं माननीय नेता विरोधी दल से यह जानना चाहती हूं कि क्या उनके इतने पुराने प्रशासनिक अनुभव ने उनको यह नहीं सिखाया कि इस प्रकार से अफ़सरों की वकालत सदन में करने से आप उन आफीसरों के अन्दर भी पार्टीबाजी लाने की बात कर रहे हैं। हम जब विरोधी दल में थे तो हमारे पास भी बहुत से अधिकारी और कर्मचारी आते थे और अपने साथ हुए अन्याय की बात कहते थे या सदन में प्रश्न करने के लिए कहते थे तो हम हमेशा उनको डिसकरेज ही करते थे। शासन में अनुशासन के लिये यह जरूरी है कि आफ़ीसर और सरकारी कर्मचारी ऐसा सिर न उठायें और अपनी गलतियों को छिपाने के लिये हमारे द्वारा सदन में कोई सवाल उठाने की हिम्मत भी न करें। लेकिन चौधरी साहब कल कुछ कह गये। बहुत भरे हुए थे। चुनाव में उन्होंने बहुत सी बातों को देखा था, उन्होंने उनको कह डाला। मैं आशा करती हूं कि भविष्य में ऐसी बातों पर बोलते हुए इस बात का वे अवश्य ध्यान रखेंगे।

यों तो चौधरी साहब ने बहुत सी बातें कहीं, लेकिन बजट पर बोलते समय मैं दो तीन बातें कह देना आवश्यक समझती हूं। एक बात तो उन्होंने यह कही कि मुजफ्फरनगर के डी० एम० और वहां के अधिकारियों को गुप्ता जी ने शासन का बागडोर संभालने के २४ घंटे के अन्दर ही तब्दील कर दिया। लेकिन उसके साथ ही साथ क्या चौधरी साहब ने इस बात को भी देखा कि १ अप्रैल को जब संविद की सरकार बनी थी तो उस समय सेक्रेटेरिएट में जो अधिकारी थे, मैं उनकी योग्यता अथवा खराबी की कोई बात नहीं कहती, केवल यह कहना चाहती हूं कि उनको माननीय नेता विरोधी दल ने अप्रैल के महीने में ही सेक्रेटेरिएट से तब्दील कर दिया, जिनको आप अपनी समझ से समझते थे कि वे गुप्ता जी के आदमी हैं। मिसाल के तौर पर हमारे प्रांत के जी० आई० जी० साहब थे, श्री शान्ति प्रसाद जी के स्थान पर दूसरे अधिकारी को रखा गया।

मेरे पास अन्य अधिकारियों की लिस्ट भी है, लेकिन मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती। आपने ऐसे १५ अधिकारियों को यहां से बदला। जिनका अच्छा रिकार्ड था लेकिन जो केवल उनकी निगाह में अच्छे नहीं थे। मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि जो काम आपने स्वयं किया, उसको लेकर आपका गुप्ता जी को दोषी ठहराना कहां तक उचित है।

मुजफ्फरनगर में इलेक्शन के वक्त में कुछ हुआ, उसको लेकर बहुत सी बातें कही गयीं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इलेक्शन के समय की बातों को लेकर बातें कही गयीं। चुनाव के समय शांति और व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी स्टेट की होती है और बहुत से लोगों का ख्याल था कि उस जिम्मेदारी को वह पूरे तौर पर नहीं निभा पायी। मैं यह नहीं कहना चाहती कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है, लेकिन यह बात सत्य है कि उसमें एक आदमी की जान गयी और जिन परिस्थितियों में जान गयी उसके बारे में वहां के लोगों में दो रायें हैं, कुछ की राय यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ठीक व्यवस्था करनी चाहिये थी और दूसरों की राय थी कि व्यवस्था ठीक हुई थी। ऐसी हालत में उस अधिकारी का एक दिन भी वहां रहना उचित नहीं था। लेकिन उसके ट्रांसफर को लेकर इतना दर्द माननीय नेता, विरोधी दल के दिल में हुआ। मैं इस पर आश्चर्य प्रकट करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती।

शासन में सुधार करने की और भी बहुत सी बातें कही गयीं। मैं चौधरी साहब की इज्जत करती हूं लेकिन एक घटना मेरे सामने आयी ...

श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

कल जब मैं भाषण कर रहा था और आप मेरी ओर देख रही थीं, उससे मैं समझ रहा था कि आप मुझसे पूरे तौर पर सहमत हैं। आज यह क्या हो गया ? क्या आप आज गलत बात कह रही हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैं कह रही थी कि मैं चौधरी साहब की बहुत इज्जत करती हूं और जो बातें चौधरी साहब ने कहीं उनमें से बहुत सी बातों से मैं सहमत हूं। जब उन्होंने फैक्टरीज के नेशनेलाइजेशन की बात कही तो मुझे जरूर खुशी हुई, कम से कम इन शब्दों में बोलना चौधरी साहब ने सीखा तो क्योंकि हमेशा तो वह नेशनेलाइजेशन और कोआपरेटिव फार्मिंग के विरोध में ही रहा करते थे। अभी आगे जो प्रेसीडेंट का एलेक्शन होने जा रहा है उसमें भी जो कैन्डीडेट अखिल भारतीय स्तर पर वह खड़ा करने जा रहा है, उसमें जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी से डी० के० डी० का गठबंधन हो रहा है और ऐसा करने में उन के साथ रहकर उन की आर्थिक नीतियां क्या होंगी इस का वह स्वयं ही अन्दाजा लगा सकते हैं। यहां तक कि चौधरी साहब के स्वयं के दल में भी अभी इस का विरोध है और एलेक्शन तक वह अपने कैन्डीडेट का नाम वापस ले लें तो हमें आश्चर्य न होगा। वह अपने दल को जनसंघ और पूंजीवादी स्वतंत्र दल के साथ कब तक चला सकेंगे ?

श्री चरण सिंह—

मैं डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी जी से जानना चाहता हूं कि उनका दिल रेड्डी साहब के साथ है या गिरि साहब के साथ है ? गिरि साहब को तो सपोर्ट किया मुसलिम लीग ने, और रेड्डी साहब को कांग्रेस ने।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैं यह कहना चाहती थी कि एक दरख्वास्त मुझे एक विधवा महिला की मिली जो कि उसके द्वारा मुख्य मंत्री जी को लिखी गई थी, उस समय मैं भी संयोग से वहां थी और उसे देखकर

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं तो उस पर जल्दी विश्वास भी न कर सकी और मैंने सोचा कि कदाचित् यह गलत ही हो तो अच्छा है। मैं कहना चाहती हूं कि चौधरी साहब के खिलाफ उस स्त्री ने शिकायत लिखी है इस बात की। उसके पति का कत्ल हुआ और ऐसे लोगों की मदद चौधरी साहब ने की, मुझे तो मैं फिर कहती हूं कि अभी तक विश्वास नहीं होता कि चौधरी साहब ने ऐसे आदमी की मदद की होगी। अगर यह सही है तो सचमुच आश्चर्य है कि एक विधवा इतने दुखदर्द के साथ मुख्य मंत्री के पास आकर अपना रोना रोती है तो वह ऐसा करेंगे। अगर गलत बात है तो वह सामने आ जायगी। मैं समझती हूं कि जहां एक ओर हम प्रशासन की शुद्धता और भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे जुडीशियरी पर किसी प्रकार का दबाव डालने की बात कहीं आये। लेकिन उस विधवा के पत्र से ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बात हुई, सन् ६७ की बात है, यह स्त्री मेरठ की है "उसने यह लिखा है अगर चौधरी साहब समय देंगे तो मैं मिलकर उनसे सही जानकारी करने की कोशिश करूंगी।

श्री चरणसिंह ---

अध्यक्ष महोदया या तो उन्हें यह बात कहनी नहीं चाहिये थी अगर उन्होंने एक चीज की तरफ इशारा किया है तो उस को बीच में छोड़ना नहीं चाहिये, अच्छा है कि वह साफ-साफ पूरी बात बतायें जो बात होगी वह बेबुनियाद होगी, कोई उस का आधार नहीं होगा।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मैं नाम नहीं लेना चाहती थी चौधरी साहब चाहते हैं तो मैं उस पत्र को पढ़े देती हूं और आप की इजाजत से मैं उस विधवा स्त्री की चिट्ठी को पढ़ देना चाहती हूं जो उन्होंने मुख्य मंत्री जी को लिखी है....

श्री अध्यक्ष ---

अगर आप इस को पढ़ती हैं तो आप को अपने भाषण के बाद उन को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का मौका देना होगा।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। मैंने तो स्वयं ही कहा था, मुझे तो इस का विश्वास नहीं है कि यह सही बात होगी। तो इसमें लिखा है कि :

'सेवा में,

मुख्य मंत्री महोदय,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

मान्यवर,

सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं एक विधवा औरत हूं। मेरे पति का कत्ल श्री जयपाल सिंह, प्रकाश सिंह, मुल्लन व हज्जू ने कार्तिक के महीने सन १९६ में किया था जिसमें कि मेरा पैरोकार कोई नहीं था और मेरे पति मलेरिया विभाग में नौकरी करते थे। मेरे ससुर उनकी अधिक उम्र है। कत्ली लोग गांव के असरदार हैं। उन्होंने अपने पैसे के बल पर अपने को बरी करा लिया और अब भी मारने की धमकी देते हैं। श्री चौधरी चरण सिंह जो भारतीय क्रांति दल के नेता हैं उनके पत्र भी उन लोगों के पास आते जाते रहते हैं। जो एक पत्र मेरे हाथ में पड़ गया जिसे कि मैं इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रही हूं। इस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें क्यों कि मुझ जैसी विधवा का आपके अलावा कोई सहारा नहीं है। इस मुकदमें की जांच की जाय दुबारा से।

प्रार्थी
नि० अ० श्रीमती करतारी देवी,
श्रीमती करतारी देवी,
पत्नी श्री ओम प्रकाश,
ग्राम हजराबाद गढ़ी,
डा० बिनौली,
जिला--मेरठ।"

य; उन्होंने लिखा था । जो पत्र चौधरी साहब ने लिखा है, उसको भी पढ़कर मैं सुना दूंगी । श्रीमन् यह पत्र मेरे पास नहीं भेजा, यह चौधरी साहब ने भेजा है। यह इस प्रकार है :

'श्री मान जयपाल सिंह जी,

आप, प्रकाश और मुल्लन द्वारा लिखा हुआ पत्र मुझको मिल चुका है । आपन हाई कोर्ट में एक मुकदमें की पैरवी करने के लिये मुझको लिखा है परन्तु मुकदमें की पैरवी तो मैं नहीं कर सकूंगा । हां सरकारी वकील, इलाहाबाद, श्री ऋषिराम जी के पास आपके पत्र को भेज रहा हूं ताकि आपकी भावनाओं से वे अवगत हो जांय ।'

अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जहां एक ओर नेता, विरोधी दल ने ५ घंटे थे लम्बे भाषण में मुख्य मंत्री जी को यह उपदेश दिया कि वेभ्रष्टाचार को रोकने के लिये और अधिकारियों के स्तर को ऊंचा करने के लिए ऐसे कदम उठायें जिनसे प्रदेश की जनता को विश्वास प्राप्त कर सकें । व्यवधान) कल तो हमने चौधरी साहब के भाषण को ५ घटे सुना तो आपमें इतनी धीरज होनी चाहिए कि आप हमारी बात को भी सुनें ।

तो मैं यह कह रही थी कि इस तरह अगर हमारे जो विशेष स्थान पर नेता हैं चाहे वे विरोधी दल में हो या और कहीं हों अगर इस प्रकार से कार्य करते जायेंगे तो उसका असर डायरेक्टली या इन्डायरेक्टली शासन के ऊपर पड़ता ही है । तो हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए । मुझे आश्चर्य हुआ जब नेता, विरोधी दल ने हमारी उन सारी स्कीम्स का विरोध किया जिनको मैं समझती हूं, हमारी वेलफेयरस्टेट के लिए बहुत आवश्यक है । मैं तो आशा करती थी कि नेता, विरोधी दल उदारता के साथ कहेंगे कि यह पहली बार ३ करोड़ का घाटा होते हुए कोई विशेष टैक्स नहीं लगा । इस बजट में जो गल्तियां संविद की सरकार ने की थीं, उनको भी सुधारने के लिए हरिजनों की वे ग्रान्ट जो कुओं के बनाने के सम्बन्ध में थी मकानों के लिए थी उनकी पढ़ाई और वजीफे की थीं और जिनको संविद सरकार ने काट दिया था, उनको फिर से इसमें रखा गया है । अध्यापकों की मांग को हमने पूरा किया और विश्वविद्यालय स्तर से प्राइमरी स्तर तक के अध्यापकों की जो ग्रेड की मांग थी उनको पूरा करने के लिए, बजट में हमने पैसा रखा है । इसके लिए प्रशन्सा होनी चाहिये थी, लेकिन विरोधी दल वालों ने केवल सरकार की कमजोरियों की ओर ही ध्यान दिया । एक स्वस्थ परम्परा कायम करने के लिये अच्छा होता कि हमारे उन कामों की सराहना करते जिनसे जन-साधारण का कल्याण होने वाला है और उसमें हाथ बढ़ाते और विरोधी दल के सहयोग की बात करते । जहां विरोधी दल का यह कर्त्तव्य होता है कि वह सरकार की नुक्ताचीनी करे वहां यह भी कर्त्तव्य होता है कि जो सरकार की अच्छी स्कीम्स हैं उनका स्वागत करे । इस सदन में बार बार यह बात दोहराई गई कि हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश है । यहां शिक्षा की तथा रोजगार की कमी है उद्योग धन्धों की कमी है और अगर उन क्षेत्रों की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो निश्चय ही वहां की जनता हमेशा परेशानी में रहेगी । लिहाजा हमने पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अपने सीमित साधनों को इस प्रकार से बांटने का प्रयत्न किया है जिससे बुन्देलखंड का पिछड़ा इलाका तथा पहाड़ी इलाका प्रगति कर सके । शिक्षा के द्वारा हम उन हिस्सों में सुधार लाने का प्रयत्न करेंगे । इसके लिये उत्तराखंड विश्वविद्यालय खोलने का हमने आयोजन किया है, लेकिन जब इसका भी विरोध किया गया तो मुझे आश्चर्य होता है कि रचनात्मक कार्य का भी विरोध किया जाता है ।

कोआपरेटिव फार्मिग के चौधरी साहब बड़े विरोधी रहे हैं और नागपुर रिजोल्यूशन का भी उन्होंने विरोध किया था । लेकिन हम अपने विचारों पर कटिबद्ध हैं इस प्रदेश में और देश में समाजवाद लाने के लिए और इसीलिये हमारे वित्त मंत्री ने ऐसी योजनायें रखी हैं जो इस प्रदेश में खुशहाली लानेवाली हैं गरीब लोगों को रोजगार देने वाली हैं इस प्रदेश में जहां शिक्षा की कमी है उसमें सुधार लाने वाली हैं। इस प्रदेश में उन योजनाओं के अन्तर्गत सड़कों का अधिक निर्माण होगा, नलकूपों का निर्माण होगा किसानों को बिजली उपलब्ध होगी जिसको

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

कि संविद सरकार ने कम कर दिया था। इस सब से किसानों को लाभ होगा। इस प्रकार यह बजट आशा पैदा करने वाला है गरीब और दुखी जनता के लिये उनकी प्रगति करने वाला यह बजट है। मुझे आश्चर्य यह हुआ कि नेता, विरोधी दल ने यह कहा कि एक पैसा भी वित्त मंत्री को नहीं देना चाहिये। वह सरकार में रहे हैं, मुख्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने सरकार को चलाया है। वह जानते हैं कि कोई भी सरकार बिना पैसे के नहीं चल सकती। फिर यह सरकार तो डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाना चाहती है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करना चाहती है और ३९ करोड़ का घाटा इस सरकार को पूरा करना है लिहाजा इस सरकार को तो पैसा चाहिये ही। मैं समझती हूं कि अन्त में चौधरी साहब उदारता दिखायेंगे और वित्त मंत्री के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना है। मुझे अफसोस है कि बहन राजेन्द्र कुमारी के मुख से ऐसी बातें निकलीं। उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने कोई कत्ल करवाया है?

डाक्टर० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह नहीं कहा कि आपने कत्ल करवाया है। मैंने यह कहा कि मुख्य मंत्री को उस बेवा ने यह पत्र लिखा कि उसके पति का जो कत्ल हुआ बिनौली गांव में उसमें कत्ल करने वालों की आपने पैरवी की सरकारी वकील तक उनकी बात पहुंचा कर।

श्री चरणसिंह—

यह जो आपने कहा उसका उल्टा है। जो मुलजिम लोग होंगे वे छूट गये। सरकार की ओर से अपील हुई और जो विधवा थी उसने मुझे लिखा कि मैं उसकी पैरवी कर दूं। मेरा जवाब यह था कि मैं हाई कोर्ट में पैरवी नहीं कर सकता लेकिन जो सरकारी वकील है ऋषिराम जी जिनका काम है पैरवी करना कातिलों के खिलाफ उनके पास मैं इस खत को भेजे देता हूं इसमें क्या बात हो गयी? मैं तो बेगम हबीबुल्लाह और डाक्टर राजेन्द्र कुमारी आप दोनों की सुबह से तारीफ कर रहा था कि आप लोगों ने मेरी हर चीज का स्वागत किया पर अब आपको क्या हो गया बहन जी....
डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी।

विधवा का प्रश्न था इसलिये एक स्त्री के नाते यह बात मैंने आपके सामने रखी।

श्री मनोहरलाल—

यह जो खत पढ़े गये हैं, ये असल है या नकल है और कुमारी जी के पास कहां से आये?

श्री अध्यक्ष—

यह जवाब उन्होंने दे दिया।

श्री मनोहरलाल —

असल है या नकल इसका जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

वह तो कह चुकीं।

श्री उदितनारायण (जिला फतेहपुर)—

यह खत जो पढ़ा गया यह बिल्कुल असल हो सकता है। इसका हर लफ्ज किसी भले आदमी के पक्ष में है। जो आदमी कत्ल करे और छूट जाय उसके कातिल की विधवा का खत डी० जी० सी० के पास भेज दिया जाय इससे ज्यादा मुनासिब बात और क्या हो सकती है?

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र वीरेन्द्र वर्मा जी बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। मेरे मित्र तो खैर, फौजदारी के वकील हैं। वीरेन्द्रजी भी शायद कुछ वकालत वगैरह पास हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फनगर)—

और आपको घमंड है अपनी वकालत पर ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जी हां है। मुझे तो आश्चर्य है मेरे मित्र की जबान से यह बात जाहिर हुई। चौधरी साहब तो शायद उनके मूड को न समझे हों लेकिन मेरे मित्र इसको समझे। सवाल है एक विधवा के जीवन का। उसके आदमी का कत्ल हुआ। जाहिर बात है कि कातिल कोई दूसरा था। उसने शिकायत की मुख्य मंत्री को कि चौधरी साहब कातिल की मदद इस तरह से करना चाहते हैं कि उन्होंने उसको यह राय दी कि जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा था यानी हाई कोर्ट में उनकी अपील थी और अपील करने वाले दूसरे आदमी यानी वह जो कि कातिल है उनकी तरफ से सरकारी वकील ऋषिराम जी जा कर उस मुकदमे में उनके विरुद्ध पैरवी करेंगे और यह कहेंगे कि यह आदमी दोषी है इसको सजा होनी चाहिए। इसमें उस विधवा को शिकायत यह हुई कि चौधरी साहब ने कातिलों से कहा कि तम जा कर सरकारी वकील से कहो कि वह तुम्हारी मदद करे। (शोर)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मामला इतना गम्भीर हो गया है कि मैं बहन राजेन्द्रकुमारी जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि वह सारे सदन को यह बता दें . . . .।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता, विरोधी दल ने अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दिया। काम खत्म हो गया है। वह सेटिस्फाई हो कर बैठ गयीं। अब उठ जाने के बाद यह कि आप के पास वह पत्र कहां से आया, असल है या गलत है, इसकी जांच हम कहां करें। बात को खत्म करना है। अगर आप को इस सिलसिले में कुछ और जांच करनी है तो मेरे कमरे में कागजात भेज दीजिये और आप लोग बैठ जायं तो कोई बात नहीं, लेकिन सदन में कुछ ज्यादा कहना ठीक नहीं है। एक दूसरे का विश्वास कर लेना चाहिये।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं. . . .

(व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हू कि जो बात सदन में आ गई वह कमरे में नहीं होनी चाहिये। चौधरी साहब को ऐसा पत्र लिखा गया है तो भी और इस पर भी ठीक ढंग से परिभाषा न की जाय तब भी।

श्री अध्यक्ष—

इसकी जांच सदन में नहीं हो सकती है। जांच की रिपोर्ट सदन में आ सकती है।

श्री महीलाल —

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की व्यवस्था चाहता हू कि इससे पहले यह व्यवस्था हो चुकी है, उसकी तारीख मैं इस समय नहीं बता सकता, कि जो पत्र या कागज सदन के सामने आ गये वह सदन की सम्पत्ति हो गये अब मेरा निवेदन यह था कि क्या इस व्यवस्था के प्रतिकूल यह व्यवस्था किया जाय कि इस प्रकार के पत्र सदन की सम्पत्ति नहीं माने जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

सवाल यह है कि सदन की सम्पत्ति का प्रश्न नहीं उठाया गया बल्कि सवाल यह था कि यह पत्र को सुनाती नहीं थीं। लेकिन चौधरी साहब ने कहा कि सुना दीजिये। मैंने कह दिया कि यदि वे पत्र पढ़ कर सुनायेंगी तो मैं चौधरी साहब को पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका दूंगा। उन्होंने पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दिया और सफाई भी दे दी और यह मामला खत्म हो गया। अब झगड़ा करने का सवाल है या खत्म करना है। अगर खत्म करने का सवाल है तो वह खत्म हो गया। इसमें सदन की सम्पत्ति होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। झगड़ा खत्म करने का इस सदन को अधिकार है यदि कोई विवाद सदन में खड़ा हो गया है। जब सदन में पत्र को पढ़ा गया, आरोप भी लगा दिया गया, चौधरी साहब ने उसका उत्तर भी दे दिया और फिर उधर से उसकी सफाई दी गई और आप के माध्यम से यह झगड़ा समाप्त किया जाय तो यह ठीक नहीं है। यह समाप्त न समझा जाय बल्कि सही बात सदन के सामने आनी चाहिये। झगड़ा समाप्त करने का यह अर्थ नहीं है कि असली बात सदन के सामने न आये।

श्री अध्यक्ष---

सही बात तो सदन के सामने आ गई तभी तो खत्म हुआ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की व्यवस्था चाहता हू कि आपने अभी कहा कि पत्र पढ़ा गया और उसके संबध में माननीय नेता, विरोधी दल ने अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया और मामला समाप्त हो गया तो मैं जानना चाहता हू कि माननीय वित्त मत्री जो ने जो बाद में भाषण दिया है जो बेबुनियाद तथा त य से परे है। इस पर आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं? उन्होंने अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की है कि नहीं?

श्री अध्यक्ष---

मैंने तो समाप्त कर दिया था।

श्री मैनेजर सिंह---

आपने एक बार भी नहीं कहा। बिना व्यवस्था के प्रश्न पर वित्त मत्री खड़े हो कर बोले। आपको तम्बीह करनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष---

दोनों तरफ के लोग जो बोले, उन्होंने मेरी इजाजत नहीं ली। मैंने माननीय मनोहर लाल जी को बुलाया था। उनको टोक दिया गया। यह अनुचित है। मैंने उनको बुलाया इसके बाद भी इस प्रश्न को जारी रखने की कोशिश की। इसके बाद वे भी बोल उठे तो ज्यादती दोनों तरफ से होती है। (व्यवधान) मैंने उनको भी रोका था और कहा था कि आप इस संबध में मेरे कमरे में आ कर बातचीत कर लें। यह मैंने उनसे कहा।

श्री चरणसिंह---

एक बहुत सीधी सी बात थी। वह खत मैंने किसी महिला को लिखा है, करतारी देवी को लिखा है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई---

जैपालसिंह को लिखा है।

श्री चरणसिंह---

तो वह खत मुझे क्यों नहीं भेज रही हैं ? मैंने सरकारी वकील को लिखा, आपकी तरफ से वह पैरवी करेंगे अदालत में गवर्नमेंट की तरफ से अदालत में । उसका जो अर्थ वह लगा रही हैं, इसका ताज्जुब है । इसलिये मैंने कहा कि वह खत मेरे पास आ जाय ।

श्री अध्यक्ष---

मेरा कहना यह है कि इसकी बात अभी यहीं पर होना चाहिये या अलग होना चाहिये । अब उनको बोलने दीजिये ।

श्री मनोहर लाल---

उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिये, बहबूदी के लिये और असंख्य बच्चों की उन्नति के लिये जो यह बजट रखा गया है, उसका मैं घोर विरोध करता हू । अगर यह कहा जाय कि सामन्त-शाही बजट है, पूंजीवादी बजट है, रूढ़िवादी बजट है तो यह बिलकुल सत्य होगा । हमारे पूर्व वक्ता एक विधवा की बात लेकर सदन में रख रहे थे । मैं उन असंख्य महिलाओं की बात बता रहा हू, जिनकी अस्मतें लूटी जा रही हैं ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल---

माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । जहां प्वाइंट आफ आर्डर आ जायगा, वहां आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर सुनेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

जो दूसरे माननीय सदस्य इस वक्त बोल रहे हैं, इसके बारे में प्वाइंट आफ आर्डर हो तो रेज कर सकते हैं नहीं तो नहीं ।

श्री शकर प्रसाद जायसवाल---

इसी के सम्बन्ध में कहना है ।

श्री अध्यक्ष---

इनके बोलने के बारे में ?

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

जी हां ।

मैंने आपसे व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत किया था, जिसमें आपसे आग्रह किया था कि जिस पत्र के बारे में विवाद खड़ा हो गया है उस को सदन में लाने की व्यवस्था करें । वह सदन के सामने प्रस्तुत हो । माननीय मैनेजर सिंह की यह राय हो सकती है कि माननीय मंत्री का स्टेटमेंट गड़बड़ है । यह भी हो सकता है कि चौधरी साहब की सफाई भी गड़-बड़ हो सकती है । इस लिये पत्र के बारे में सफाई जरूर होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

इस सदन में जब व्यवस्था का प्रश्न उठता है तो व्यवस्था मेरी होगी । आपकी व्यवस्था नहीं चलेगी । आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया । मैंने कहा कि अभी प्रश्न समाप्त हो गया । अगर इसके बारे में और जांच करनी है तो जांच के लिये सब कागजात देखने पड़ेंगे ।

कागजात देखने की बात है । इसके लिये हो सकता है कि चौधरी साहब, वित्त मंत्री जी, श्रीमती जी हों, आप भी चाहें तो आप भी हों, मेरे कमरे में आकर चर्चा कर लें । जो

[श्री अध्यक्ष]

बात सही हो सदन को बता दें। सदन को जानकारी दे दूंगा, लेकिन यहां पर तहकीकात नहीं हो सकती।

(शोर)

श्री मनोहरलाल---

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया है। आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(शोर)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाओं को लेने की मांग

श्री श्यामसूरत (जिला इलाहाबाद)---

लोक महत्व के प्रश्न और कामरोको प्रस्ताव आप कब लेंगे? पांच बज रहे हैं। साढ़े चार बजे लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

इसके लिए, कह दिया था कि साढ़े पांच बजे लेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री श्याम सूरत---

साढ़े पांच बजे जो सुनाया है वह भिर्जापुर की लड़की का प्रश्न लेंगे। जो आज दिये गये हैं लोक महत्व के प्रश्न वह साढ़े चार बजे लेने चाहिये थे। दो, तीन आपके पास आये हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैंने सबेरे यह कह दिया था कि मैं पढ़ नहीं पाया हूं। कल पढ़ने के बाद फैसला दूंगा।

श्री श्याम सूरत---

कल तो एक दिन बाद हो जाएगा। यह तो नियम आपने भंग कर दिया। साढ़े चार बजे आपको निर्णय देना चाहिये था। आज जो लोक महत्व का प्रश्न दिया गया है, उसका फैसला साढ़े चार बजे तक हो जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, यह तय हो चुका है कि नियम ५१ के बारे में जो प्रश्न आएंगे उनके ऊपर आप अपनी टिप्पणी देंगे कि वह किसके किसके हैं और उनके स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने के विषय में क्या निर्णय लिया है और अस्वीकार करने का क्या कारण है? लेकिन जो आज दिये गये और मैंने भी दिया है, लेकिन आपने उस पर कुछ सूचना नहीं दी है। अभी मेरठ में म्यूनिस्पैलिटी के नगर में पूर्ण हड़ताल हुई है। सारे नगर में अव्यवस्था फैली हुई है, लेकिन आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

(व्यवधान)

इस विषय में आप कुछ बता दें आप इस बारे में क्या करने वाले हैं?

श्री अध्यक्ष—

मैंने आप से कहा कि बगैर पढ़े हुये तो मैं व्यवस्था नहीं दे सकता ? मैं और आप साथ साथ बैठ थे और विचार कर रहे थे कि कितना-कितना टाइम किसको देना चाहिये। इतने में घंटी बज गयी और मैं चला आया। मैंने यह कहा था उस वक्त कि जो विषय आज आये हैं वह नहीं ले सकता हूं क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है इसलिये उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कल के जो मौजूद थे उनमें से एक के बारे में गवर्नमेन्ट को स्टेटमेंट देना है। दूसरा एक और किसी ने कल दिया जो उसको पढ़ना है। तीसरा है जो सीताराम जी मंत्री के खिलाफ है उसका जवाब आया है उसको भी पढ़ना है। तीन-तीन विषय जब आ रहे है तो ऐसे मौके पर मेरे लिये मुश्किल है कि मैं साढ़े पांच बजे अन्य विषय लूं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस दिया था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसको भी पढ़ा नहीं है।

(बहुत से सदस्य एक साथ खड़े हो कर जोर जोर से बोलने लगे। उसके कारण बहुत व्यवधान हुआ क्योंकि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलने के कारण किसी माननीय सदस्य के शब्द पकड़े नहीं जा सके।)

(अत्यधिक व्यवधान)

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल एक कार्यस्थगन प्रस्ताव जो आया था, उस पर माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा था कि वे वक्तव्य देंगे। इस समय तक न माननीय उपमुख्य-मंत्री जी आये हैं और न मुख्य मंत्री जी आये हैं। (शेम, शेम की आवाजें) पुनः व्यवधान।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, अभी तक इस तरह का नियम था कि रोज उपवशन का जो आखिरी घटा होगा वह असरकारी कामों के लिये होगा। (व्यवधान) मान्यवर, मैं देखता हू कि इस नियम को तोड़ कर हम चल रहे हैं जिसके कारण मैं कल से देख रहा हूं कि रोज इस वक्त अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पुरानी परम्पराओं और रीतियों को ध्यान में रखते हुये इस आखिरी घंटे को असरकारी कामों के लिये नियत कर दें। असरकारी कार्य करने के लिये नियत रहा था उसी नियम को लागू करें। अभी तक यह परम्परा रही है कि प्रतिदिन एक घंटा जो आखिरी का होगा उपवेशन का वह गैरसरकारी कामों के लिये होगा। जैसे ध्यान आकर्षण, लोक महत्व के प्रश्न होते हैं उनके लिये होगा। उसी नियम को आप पुनः चलायें तो यह सदन में रोजाना जो हंगामा मचता है यह न हुआ करे। मैं चाहता हूं जो दल के नेता हैं, उनसे भी आप बात कर लें तो यह मुनासिब होगा और उचित होगा और लोगों को कोई शिकायत भी नहीं होगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस में अविलम्बनीय शब्द लिखा है। उसको निलम्बित नहीं किया जा सकता। उसको टाला नहीं जा सकता। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यदि एक दिन के लिये भी टाल दिया जाय तो फिर उनका महत्व ही समाप्त हो जायगा। इसलिये आप १ घंटे का समय उनके लिये रखिये। उसमें से यदि कम होगा तो वह हमारा ही समय तो कटेगा।

श्री अध्यक्ष—

यह आपका ही फैसला था कि ५।। बजे तक बजट चलेगा। बजट के समय को काटिये नहीं यह आपने ही तय किया था। बीच में कोई काम उसमें दूसरा नहीं होना चाहिये। अब मैंने उनको बोलने के लिये बुला ा था तो उनका समय निकल गया। मैं उन प्रस्तावों को पढ़कर फैसला दे दूंगा। बजट के बीच में गड़बड़ी पैदा न करें। वह सदन का फैसला है। किसी एक आदमी का नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप साढ़े चार बजे इन प्रस्तावों को ले लें। साढ़े चार बजे लोग प्रतीक्षा उसी हिसाब से करते हैं। उसके बाद समय बचे तो बजट पर बहस जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष —

मैंने कल कहा था कि मैं इसकी कल साढ़े ५ बजे लूंगा। बीच में कोई नहीं लूंगा क्योंकि बजट पर बहुत से लोग बोलना चाहते हैं। एक घंटा बढ़ गया है तो फिर उसमें दूसरा काम क्यों लें।

श्री नित्यानन्द स्वमी—

आप कृपया साढ़े ४ बजे अपना निर्णय दें। साढ़ें ५ बजे तो हाउस समाप्त हो हो जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, इस एजेन्डे पर लिखा हुआ है, उसी वजह से यह भ्रम हो गया। नम्बर ९ पर लिखा हुआ है कि कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो और १० पर यह लिखा हुआ है कि नियम ५१ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट करने की सूचनायें, यदि कोई हों। तो यहां पर यह परम्परा रही है कि जब सदन ११ बजे से ५ बजे तक चलता था तो ४ बजे इस तरह के प्रश्नों को लिया जाता था। अब हाउस ५।। बजे तक चलेगा तो इन प्रश्नों को साढ़े ४ बजे लिया जाना चाहिये। यह कल भी सदस्यों को भ्रम रहा। नेताओं में इस तरह की बातचीत हो गई जो सदन में और लोगों को मालूम न हो और यह तय हो गया हो कि कार्यस्थगन नहीं आयेगा या बजट के दौरान नहीं आयेगा तो यह उचित नहीं है। साढ़े ४ बजे लोक महत्व के प्रश्नों को लिया जाना चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

सदन पहले ११ बजे से ५ बजे सायंकाल तक बैठता था। अब उसके स्थान पर यह हो गया है कि सदन साढ़े दस से साढ़े ५ बजे सायंकाल तक बैठेगा। एक घंटे का समय बढ़ा दिया गया है। इसका यह मतलब नहीं है कि १ घंटे का समय बढ़ जाने से एक घंटा जो असरकारी कार्य के लिये रहता था, वह एक घंटे का समय समाप्त हो गया। इसलिये मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप साढ़े चार बजे रोजाना हमेशा की तरह इसको रोक कर के असरकारी कामों को लिया करें।

एक सदस्य—

जब साढ़े पांच बजे हाउस ही समाप्त हो गया तो कार्य–स्थगन प्रस्ताव का मतलब ही क्या है। इसलिये साढ़े चार बजे कार्यस्थगन प्रस्ताव लाना चाहिये। आप कैसी व्यवस्था दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष —

प्रस्ताव की वजह से मुझे भी गलत फहमी हुई। अगर साढ़े चार बजे बजट का काम खत्म हो जाय और साढ़े पांच बजे तक यह चले तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला पिथौरागढ़)—

अध्यक्ष महोदय, पहले सदन की यह प्रथा थी कि क्वेश्चन आवर के बाद ही ये लिये जाते थे दफा ५१ के औ अविश्वास के प्रस्ताव इत्यादि। तो मैं सोचता हूं कि अगर वही प्रथा जारी कर दी जाय तो सब से अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष—

जो कुछ एतराज है वह यह है कि साढ़े चार बजे क्यों नहीं उनका समय कर दिया जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो माननीय विष्ट जी कह रहे हैं, यह कर दें तो और भी अच्छा है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जब सदन का समय साढ़े पांच बजे तक का है तो सदन समाप्त हो जाता है, उसके बाद आप कैसे ले सकते हैं? यह तो पहले ही लेने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

नये रूल्स में नियम बदल गया है, मैं पहले के ही भ्रम में था। अब नया रूल यह हो गया है कि ये शाम को लिये जायेंगे चार बजे। तो अगर अब ये साढ़े चार बजे लिये जांय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो सब लोगों को पसन्द है, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अगर आप उनको प्रश्नोत्तर काल के समय ले लें, तो बड़ा अच्छा है वरना साढ़े चार बजे ही लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

विष्ट जी जो कह रहे हैं वह बहुत अच्छा है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अगर सदन साढ़े पांच बजे स्थगित होने को है, तो उसके बाद कार्यस्थगन प्रस्ताव आप कैसे लेंगे?

श्री अध्यक्ष—

सदन का समय बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं कर सकते।

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

अध्यक्ष जी, ये कार्यस्थगन और नियम ५१ के जो प्रार्थना पत्र हैं, माननीय सदस्यों को यह भय है कि वे बजट अधिवेशन में लिये नहीं जायेंगे। हमारे कुछ साथी जो विरोधी दल में बैठे हैं, जब वे सरकारी दल में थे तो इसी नये नियम का पालन होता था जिसके अनुसार ऐसे प्रस्ताव प्रश्नोत्तर काल के बाद न लिये जा कर शाम को ४ बजे लिये जाते थे और जितने एडजर्नमेंट मोशन थे वह ४ बजे पेश होते थे और समय जब बच जाता था तो रोज का काम होता था। हमारा अनुरोध यही है कि नित्य साढ़े चार बजे जितने नियम ५१ के प्रस्ताव या ऐडजर्नमेंट मोशंस की दरख्वास्तें रहा करें, उनमें आप कुछ निर्णय दे दिया करें और उस समय रोज का जो काम है वह स्थगित रखा करें और उसके फैसले के बाद जो समय बचे उसमें फिर वाद विवाद होता रहे।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि अब तो यह कल से होगा।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

जो प्रस्ताव लोक महत्व के हमने आज दिये हैं, क्या यही रहेंगे या कल फिर देना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष—

यही रहेंगे, मैं दोबारा नहीं चाहूंगा, उसी पर फैसला दूंगा ।

१९६९–७० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस जनप्रिय कहलान का दावा करने वाली सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह एक सामन्तशाही का बजट है । अभी हमारी बहन जब बोल रहीं थीं तो उन्होंने एक ही विधवा का केवल जिक्र किया, किन्तु हमारे यहां अनेकों अबलायें, विधवायें और मासूम बच्चियां ऐसी हैं जिनके साथ आज यही हालत हो रही है और लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाते जा रहे हैं । हमारी बहन आज उन बहू बेटियों की दशा को भूल गयी, उनका उन्होंने कतई जिक्र नहीं किया । श्रीमन, हमारे यहां कानपुर में एक नटराज होटल है, वहां पर मासूम बेटियों के साथ अनैतिक व्यापार किया जाता है । माननीय गुप्ता जी मुख्य मंत्री बनने के बाद उस होटल में गये, वहां के कांग्रेसियों ने मना किया, उस होटल के मालिक सुन्दर सिंह ने उनको बुलाया और वे उसके निमन्त्रण पर वहां गये । वह चाहता था कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न कर सके । वहां पर बड़े बड़े नेतागण हमारे जाया करते हैं । इसलिये पुलिस की भी हिम्मत नहीं पड़ती उसके खिलाफ कुछ करने की ।

जहां तक श्रीमन, बजट का संबंध है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं । जो हमारे प्रदेश के गरीब लोग हैं, गरीब काश्तकार हैं, गरीब अध्यापक हैं, उनकी ओर इस शासन ने कतई ध्यान नहीं दिया है । वास्तविकता की तरफ इस सरकार का कतई ध्यान नहीं गया है । अगर आप ठंडे दिल से सोचेंगे तो आप इस नतीजे पर आयेंगे कि यह बजट समाजवादी बजट नहीं है, बल्कि एक पूंजीवादी बजट है । जो हमारे बच्चे देश के भावी नागरिक होंगे, जिनके हाथों में शासन की बागडोर होगी, उनके साथ आज खिलवाड़ किया जा रहा है । आज कानपुर में ४० हजार बच्चे ऐसे हैं जिनको छठी कक्षा में प्रवेश नहीं मिल पाया है । आज मांटेसरी स्कूलों की तो भरमार है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । आज शिक्षा पर केवल २ प्रतिशत आप व्यय कर रहे हैं । गुलामी के समय में जो महानुभाव जैसे महात्मा गांधी, पं० जवाहरलाल नेहरू, पटेल, पंत आदि पैदा हुये । मैं पूछना चाहता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हमने अपने देश में शिक्षा दी उससे क्या कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है जिसकी तुलना उन लोगों से की जा सकती हो या जिसको सब लोग मानते हों ? आज पढ़ाई की हालत यह है कि कानपुर में यूनिवर्सिटी बनी हुई है लेकिन उसका नतीजा लड़कों को अभी तक नहीं मालूम है । सब लड़कों का भविष्य अन्धकारमय है । लड़कों ने बी०एस०-सी०, बी०ए० और एम०ए० का इम्तिहान दिया है लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट नहीं निकला है । फिर मालूम नहीं कि उन लड़कों का ऐडमिशन बी० एड०, एम० एड० आदि क्लासों में कैसे होगा । यह बात सोचने और देखने के काबिल है । अगर सरकारी पक्ष के लोग ध्यान देकर वास्तविकता को देखते और समझते तो उनको मालूम होता कि २२ साल के बाद इस देश और प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ किया गया है और उनकी तकदीर को किस तरह से बिगाड़ा गया है ।

जहां तक कानपुर की बात है हम समझते हैं कि कानपुर उत्तर भारत का बहुत बड़ा एक प्रमुख औद्योगिक शहर है । जहां तक इस सरकार द्वारा पूंजीवाद को बढ़ावा देने का प्रश्न है उसका एक नमूना मैं आपको दे रहा हूं । कानपुर नगर महापालिका में कांग्रेस दल का बहुमत है ।

अगर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी चाहती तो वहां का मेयर कानपुर के ही किसी व्यक्ति को बनाती लेकिन ऐसा न करके बाहर के एक आदमी को लाकर वहां का मेयर बनाया गया जो एक बड़ा पूंजीपति है। हमारे यहां कानपुर में यह बात मशहूर है बी०आई०सी० का चन्दा, बाजोरिया का झंडा और पुलिस का डंडा और इसी आधार पर प्रदेशीय सरकार चल रही है। बी०आई० सी० के चेयरमैन श्री तांतियां हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुनाव के मौके पर काफी चन्दा दिया। इसलिये उनको कानपुर का मेयर बना दिया गया। इसका मतलब यही है कि कानपुर में ऐसा कोई आदमी ही नहीं था जो मेयर बन सके। यह पूंजीवाद नहीं है तो और क्या है? बाजोरिया ने अपनी मिलों से थान के थान कपड़े झंडे के लिये भेजे चुनाव के मौके पर और उसी का यह इनाम तांतिया को मेयर बना कर दिया गया। यह पूंजीवाद को बढ़ावा देना नहीं है तो और क्या है? अगर वास्तविकता को देखा जाय तो हमारे काश्तकार परेशान हैं, हमारे मजदूर परेशान हैं, हमारे अध्यापक व अध्यापिकायें परेशान हैं.....

श्री अध्यक्ष--

अभी आप कुछ देर तक और बोलेंगे ?

श्री मनोहरलाल--

जी हां।

श्री अध्यक्ष--

फिर आप कल बोलेंगे। कल जारी रखियेगा।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

सदन का समय केवल साढ़े ५ बजे तक है। अभी तक कोई प्रस्ताव सदन का समय बढ़ाने का नहीं आया है। साढ़े ५ बजे के बाद सदन की जो कार्यवाही होगी वह कार्यवाही में दर्ज होगी या नहीं? माननीय मुख्य मंत्री जो वक्तव्य सदन में देंगे, उसे सदन में दिया जाना समझा जायेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

कल यह बात तय हो चुकी थी कि माननीय मुख्य मंत्री का जो सवाल है उसके बारे में वे कल तैयार होकर आवें और उसे नियम ५१ के अनुसार साढ़े ५ बजे के बाद लिया जायगा।

श्री गोविन्द सिंह--

समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव आना बहुत जरूरी है। सदन में प्रस्ताव आना चाहिये।

उद्योग मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री गोविन्द सिंह--

साढ़े ५ बज चुके, सदन का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री अध्यक्ष--

अभी एक मिनट बाकी है।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)--

मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की व्यवस्था चाहता हूं कि अब तक यह प्रथा है कि जब कभी भी पांच बजे के बाद कोई भी आइटम रखा गया है तो वह

[श्री रिथासत हुसेन]

एजेन्डे पर लिखकर आता है। तो पांच बजे के बाद का आईटम जो अब साढे पांच बजे रखा गया था उसको लिखकर आना चाहिये था कि साढ़े पांच बजे के बाद कार्यवाही होगी। तो उसे अब साढे पांच बजे के बाद कैसे आप ले सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो पहले ही रखा था..... (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

एक सदस्य—

क्या विरोधी पक्ष के लोग भी ऐसे कांड पर सदन का समय नहीं बढ़ने देंगे ?

गोपालपुर फार्म, मिर्जापुर में सतिया नामक लड़की की हत्या के संबंध में नियम ५१ के अंतर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी, मिर्जापुर के संबंध में अपना वक्तव्य दीजिये।

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

श्री शिवदास के प्रस्ताव में २२ जून, १९६९ को गोपालपुर फार्म, थाना मड़िहान, जिला मिरजापुर, में एक नवयुवती कुमारी सतिया की मत्यु के संबंध में यह आरोप लगाया गया है कि उक्त नवयुवती का कत्ल उप मुख्य मंत्री जी के पुत्र ने गोली द्वारा किया है तथा इस आशय से कि यह हत्या का मुकदमा चलाया न जा सके गोपालपुर में आतंक फैलाया गया है तथा पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

२—श्री विजय बहादुर सिंह के प्रस्ताव में यह कहा गया है कि गोपालपुर फार्म गुंडई तथा अय्याशी का अड्डा बना हुआ है तथा फार्म के मालिकान पड़ोस की हरिजन एक बनवारी जाति के परिवारों की गरीबी का लाभ उठाकर उनकी लड़कियों के साथ व्यभिचार करते हैं। उनका कथन है कि २२ जून, १९६९ को श्री लोकपति त्रिपाठी जी उपमुख्य मंत्री जी के पुत्र हैं, ने अपने नौकर से कोल जाति (हरिजन) की एक सतिया नाम की लड़की को बुलवाया तथा जब लड़की ने आने से मना किया तो उत्तेजित होकर नौकर ने लड़की की हत्या गोली मारकर कर दी। उनका यह भी कथन है कि लोगों को आतंकित करने के लिये उसी फार्म से संबंधित एक व्यक्ति, श्री ईश्वर सरन सिंह, ने भी मड़िहान बाजार में गोली चलाई, जिससे राम स्वरूप यादव नामक एक व्यक्ति घायल हो गया। क्षेत्र में भीषण आतंक व्याप्त है।

३—पुलिस अधीक्षक, मिरजापुर, से प्राप्त रिपोर्ट से उपरोक्त उल्लिखित घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित तथ्य प्रकट होते हैं :—

२२ जून, १९६९ को १४.३५ मिनट पर श्री मुन्नी लाल पुत्र मधरी कोल, टोला जोरिया, ग्राम गोपालपुर ने थाने मड़िहान पर मौखिक सूचना दी कि रामबहादुर सिंह जो कि फार्म पर श्री रामनारायण सिंह का नौकर है हाथ में बन्दूक लिये उसके दरवाजे पर सुबह १० बजे आया। उसने पहले मुन्नी लाला से हलवाही के लिये कहा और मृतक सतिया से गाली देकर काम पर न आने का कारण पूछा। रामबहादुर सिंह ने सतिया के सीने में गोली मार दी और सतिया गिर कर मर गई। रामबहादुर बन्दूक लेकर भाग गया। श्री मुन्नीलाल ने थाने पर लिखाई अपनी रिपोर्ट में ४ गवाहों के नाम बताये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोपालपुर फार्म, मिर्जापुर में सतिया नामक लड़की की हत्या के संबंध में नियम ५१ २७७ के अन्तर्गत वक्तव्य

४—उपरोक्त सूचना पर थाने मड़िहान में अपराध संख्या ७२ पर धारा ३०२ भा०दं०वि० का मुकदमा अंकित किया गया और मृतक का शव पोस्ट मार्टम के लिये भेजा गया। इस बात का कि केवल काम पर न आने के कारण यह घटना न घटी हो, इसलिये सिविल सर्जन को पोस्ट मार्टम के समय मृतक के गुप्त अंगों का भी निरीक्षण करने के लिये कहा गया। पोस्टमार्टम में मृतक के गुप्त अंगों में कोई बाहरी चोट नहीं पायी गयी तथा कोई डिसचार्ज भी नहीं पाया गया। पंचायतनामें सें पोस्टमार्टम करनेवाले डाक्टर ब उप पुलिस अधीक्षक के विचार में मृतक की उमर १३ वर्ष थी जब कि थाने में लिखाई गयी रिपोर्ट में उसकी उमर १६ वर्ष बताई गई है। थाने पर जो रिपोर्ट वादी ने लिखायी, रिपोर्ट में उसकी उम्र १६ वर्ष बतायी गयी है। थाने पर जो रिपोर्ट वादी ने लिखाई वह जैसा उसने बताया उसी के अनुसार लिखी गयी। परन्तु बाद में १ जुलाई, १९६९ को वादी तथा थाने पर लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित चारों गवाहों ने एस० डी० एम० सदर की अदालत में हल्फनामें दाखिल किये, जिसमें वादी ने तो यह कहा है कि उसने थाने पर केवल यह सूचना दी थी कि उसकी पुत्री के चोट लगने से मत्यु हो गयी है तथा उसने किसी को उसे मारते नहीं देखा था। उसने अपने हल्फनामे में यह स्पष्ट कहा है कि पुलिस ने घटना की एक कहानी गढ़ ली है कि उसकी पुत्री को राज बहादुर सिंह द्वारा मारा गया है तथा यह फरजी व गलत है। चारों गवाहों ने अपने हल्फनामे में यह कहा है कि वे घटना के समय ग्राम में नहीं थे और उन्हें पता नहीं कि सतिया की मृत्यु कैसे हुई और यह कि उन्होंने किसी व्यक्ति को उसे मारते नहीं देखा है। गवाहों ने हल्फनामों मे यह भी कहा है कि पुलिस नाजायज दबाव डाल कर उनसे झूठा बयान दिलाना चाहती है। अभियुक्त राज बहादुर सिंह पकड़ा नहीं जा सका है। तथा उसकी तलाश हो रही है। चूंकि उसके घर का ठीक पता नहीं मालूम है तथा उसकी कोई जायदाद का भी पता नहीं मालूम है इसलिये उसके विरुद्ध धारा ८७/८८ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। ऐसा बताया गया है कि अभियुक्त नैपाली है।

५—जांच के दौरान ऐसा पता चला है कि अभियुक्त राज बहादुर सिंह ने एक व्यक्ति श्री राम नारायण सिंह जो गोपालपुर फार्म में हिस्सेदार हैं श्री राम नारायण सिंह से उनकी बन्दूक प्रस्तुत करने को कहा गया है परन्तु उससे अभी उपलब्ध नहीं करा सके हैं अभी तक जांच से ऐसा प्रतीत होता है घटना के दिन फार्म के मालिकों में से कोई भी फार्म पर नहीं था तथा कोई तथ्य ऐसा सामने नहीं आया जिससे किसी प्रकार से भी मृतक की हत्या फार्म के मालिकान से जोड़ी जा सके। यह भी गलत है कि पुलिस के उच्च अधिकारी थाने मड़िहान पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं ताकि इस घटना से संबंधित सही तथ्य सामने न आ सकें।

६—इस मामले की विवेचना पहले एक सब-इंसेपेक्टर कर रहे थे परन्तु अब विवेचना एक सर्किल इंसपेक्टर को सौंप दी गयी है। जहां तक श्री विजय बहादुर सिंह के इस कथन का प्रश्न है कि लोगों को आंतंकित करने के लिये श्री ईश्वर शरण सिंह ने मड़िहान बाजार में गोली चलाई, जिससे श्री राम स्वरूप यादव नामक एक व्यक्ति घायल हो गया, उसके तथ्य इस प्रकार हैं—

२५ जून ,१९६९ को कांस्टेबिल रामाकांत सिंह जो वाराणसी जिले की पुलिस में हैं, तथा श्री ईश्वर शरण सिंह, सेक्रेटरी, जिला कांग्रेस कमेटी, वाराणसी की रक्षा के लिये उनके साथ शेडो का कार्य करता है, वहां २५ जून, १९६९ को ३ बजे थाने मड़िहान पर आया। श्री ईश्वर शरण सिंह गोपालपुर फ़ार्म पर आये हुए थे। कांस्टेबिल रामाकान्त सिंह द्वारा बताने पर दी गयी लिखित रिपोर्ट के अनुसार जब वह रिवाल्वर सफ़ाई हेतु खोल रहा था तो उससे गोली चल गयी तथा रामस्वरूप यादव की जांघ में लग गयी। राम स्वरूप यादव को तुरन्त अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसे भर्ती कर लिया गया। इस घटना के संबंध में कान्स्टेबिल रामाकान्त सिंह के विरुद्ध धारा ३३ भा०दं०वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही है। अभी तक जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना कान्स्टेबिल रामाकान्त सिंह की लापरवाही से हुई। इस प्रकार इस घटना का कुमारी सत्या की हत्या से कोई संबंध नहीं है। यह आरोप की आतंक फ़ैलाने के लिये श्री ईश्वर सिंह द्वारा गोली चलाई गयी, निराधार है।

*श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घटना घटी है उस के बारे में अभी सदन को सूचना दी है। मैं उस सूचना के अनुसार माननीय मुख्य मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि २१/२२ की रात को डी०आई०जी० मल का लड़का एस० एस० पी०शर्मा और उपमुख्य मंत्री के परिवार के लोग गोपालपुर फार्म पर मौजूद थे। उस रात को आस पास के लोगों का यह कहना है कि फार्म पर कोलों और हरिजनों की लड़कियां रात को बुलाई गईं और उस रात को उनके साथ खुलकर व्यभिचार हुआ। मैंने इस संबंध में आप को और मुख्य मंत्री जी को तार भी दिया था। सवेरे १० बजे दिन को जब कि फ़ार्म पर डी०आई० जी० मल का लड़का तथा उपमुख्य मंत्री जी का लड़का भी वहां मौजूद था पुनः उन को बुलाया गया और एक लड़की को बुलाने के लिये भेजा गया और उसने जाकर कहा कि चलो तुम्हें सरकार ने बुलाया है। इस पर उस लड़की ने कहा कि इन लोगों की हविस ने मुझे नोच डाला और उस हसीन लड़की ने अपने स्तन दिखाते हुये कहा और दिखाया, उस के स्तनों पर खून के धब्बे और नोचने के निशान थे। और जब उसने इस तरह से नाराजी जाहिर की तो उस पर गोली चलाई गई और उस की जीवन लीला पिशाचों के हाथ समाप्त हो गई। मुन्नी कोल ने इस घटना की २२ तारीख को रपट लिखाई और उस दिन डी० आई० जी० मल थाने पर उपस्थित थे और जब तक एस० एस० पी० शर्मा थाने पर आयें तबतक के लिये केस डायरी रोक दी गई और थानेदार को मना कर दिया गया कि कोई भी रपट न लिखी जाय। उसके बाद जब मुन्नी कोल को फ़ार्म के लोगों ने बन्द कर दिया तब यह रिपोर्ट रात को फर्जी लिखाई गई। इस तरह से सही वाकया न लिखकर गलत कथन लिखा गया। डी० आई० जी० और एस० एस० पी० शर्मा २२ तारीख को वहां मौजूद थे इस का वह उत्तर दें ?

जहां तक २५ जून की बात है वह स्पष्ट करें कि ईश्वर शरण की गोली कहां चली ? वह थाने में चली, उन्होंने मारा थाने के अन्दर, अगर थाने में मारा तो उन्हें थाने में जाकर रिवाल्वर साफ करने की क्या जरुरत आ पड़ी थी ? २२ तारीख से आजतक मुन्नी कोल को....

श्री अध्यक्ष—

यह मुन्नी कोल कौन है ?

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

प्वाइंट आफ़ आर्डर.....

श्री अध्यक्ष—

आप स्पष्टीकरण क्या चाहत हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, यह उचित ही होगा कि दोनों तरफ का बर्जन सदन के सामने आ जाय।

श्री अध्यक्ष—

पहले वह बतायें तो वह क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री विजय बहादुर सिंह—

थाना पुलिस ने कोई गवाह का बयान नहीं लिया इस दरम्यान में आप बयान हल्फ़ी पढ़ लें। उस का मुख्य मंत्री जी ने कोई जिक्र नहीं किया, कोई बयान नहीं लिया गया। १५-२० दिन तक मुन्नी कौल कहां था उन का बयान क्यों नहीं लिया गया ? मुन्नी कोल और गवाहान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सब गोपालपुर फ़ार्म में बन्द थे। उन्हें सामने नहीं लाया गया और जबरदस्ती उन्हें अदालत में ले जाकर बयान हल्फ़ी दिलाया गया।

श्री अध्यक्ष---

यह मुन्नी कोल कौन है ?

श्री विजय बहादुर सिंह---

श्रीमन्, यह सतिया हरिजन लड़की के पिता का नाम है। श्रीमन् श्री शर्मा, एस० एस० पी० २२ तारीख को फार्म पर गये थे। २६ तारीख को माननीय उप मुख्य मन्त्री गोपालपुर फार्म पर गये। उस समय सब अफ़सर भी उनके साथ थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां की जनता का कहना यह है कि इस मामले को जानबूझ कर दबाया गया। श्रीमन् सतिया मुन्नी कोल की लड़की है। श्रीमन् यह चर्चा मेरी ही नहीं मिर्जापुर के श्री वृज भूषण, जो कि जिला परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं और जो ए० आई० सी० सी० के मेम्बर हैं उन्होंने अपने अखबार दिनांक २० जुलाई में यह निकाला है कि गोपालपुर फ़ार्म पर सतिया हरिजन को उत्तर प्रदेश के उप-मुख्य मंत्री, (उन्होंने यह लिखा है कि उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी हैसियत के व्यक्ति) के कुलदीपक ने अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए सतिया को गोली से मार दिया। यह एक वयोवृद्ध नेता का वक्तव्य है और यह समाचार २० जुलाई के समाचार पत्र में निकाला। प्रश्न यह है कि दिनांक २५/२६ को ईश्वर सरन ने गोली कहां चलायी, थाने में चलायी लेकिन, जब वहां की जनता ने पूछा तो ईश्वर सरन ने कहा कि यहां के नेता चूहे और बिल्ली की मौत मरते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम चूहे और बिल्ली का शिकार नहीं करेंगे। जब राम स्वरूप ने विरोध किया तो ईश्वर सरन ने उसको गोली मार दी जो उसकी जांघ में लगी। गोपालपुर फ़ार्म पर, जो कि उप मुख्य मंत्री के परिवार से संबंध रखता है, उस स्थान पर, एक हरिजन लड़की की, जब कि हम गांधी शताब्दी मना रहें हैं उसकी हत्या हो रही है। वह सतिया अपने बाप से कहती है कि बापू हमें वहां मत भेजो उन्होंने हमें काट खाया है और उसको गोली मार दी गयी। वह राम नारायण सिंह नेपाल के अन्दर शराब का ठेकेदार है। राम बहादुर कौन है ? वह नेपाली है वह कैसे वहां पहुंचा। वह कई अपराधों में यू०पी०की गोरखपुर की पुलिस में वांछित है। मैं चाहूंगा कि इस मामले की न्यायिक जांच करायी जाय ताकि मामला साफ़ हो जाय वर्ना हमारा मिर्जापुर जनपद चुप नहीं रहेगा। इसका सतिया की आत्मा बदला लेगी और उसका लहू आज उत्तर प्रदेश की सरकार के उप-मुख्य मंत्री के जो चन्दन का तिलक लगा हुआ है वह खून का धब्बा न हो जाय इन शब्दों के साथ में अनुरोध करूंगा कि इस मामले में न्यायिक जांच कराई जाय ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

उप मुख्य मंत्री ने कल ब्यान देने के लिए कहा था, वह भी पहले बयान दे दें। फिर उसके बाद सवाल हों तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

वह बाद में बोल लेंगे। इसमें कई सवाल उन्होंने उठा दिये हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

सवाल नहीं पूछे हैं, केवल वक्तव्य दिया है।

श्री अध्यक्ष---

उनकी प्रार्थना है कि जुडीशियल इंक्वायरी कराइये।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त--

एलिगेशंस बहुत हैं। सबसे पहले २८ को विजय बहादुर सिंह ने यह तार भेजा है।

"दिनांक २२ जून को १० बजे दिन गोपालपुर फार्म थाना महियान जिला मिर्जापुर में कुमारी सतिया पुत्री मंत्रीलाल उमर १६ वर्ष की गोपालपुर के लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी फार्म के मालिक उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के परिवार के लोग हैं रपट बनावटी लिखी गई सही मुलजिमानों के नाम नहीं लिखे गये सत्य घटना को छिपाया गया इस हत्याकांड के सही मुलजिमानों के नाम एवं सही तथ्य सामने न आने पायें इसके लिए उच्च पुलिस अधिकारी वाराणसी ने पुलिस थाना महियान पर दबाव डाला इस हत्या कांड में सही मुलजिमान न आने पायें पूरी कोशिश की गई दिनांक २५ जून ३ बजे शाम थाना महियान के सामने लाइनमैन राम स्वरूप यादव को गोली मारी गई। गोली मारने वाले गोपालपुर फार्म तथा हत्याकांड से संबंधित थे पुलिस थाना महियान दबाव के कारण मिर्जापुर आ कर एक प्राइवेट डाक्टर द्वारा गोली निकलवाई और तथ्य को छिपाया उस दिन रात में वाराणसी के उच्च पुलिस अधिकारी के परिवार के एवं प्रमुख कार्यकर्ता जो कि उपस्थित थे मारने वाले को साथ ले कर वाराणसी चले गये इस प्रकार इस घटना पर परदा डाला गया। गोपालपुर फार्म के मालिकों एवं कर्मचारियों के अत्याचार द्वारा सारा क्षेत्र आतंकित एव क्षुब्ध है तत्काल पुलिस खुफिया विभाग के उच्चधिकारियों द्वारा जांच की जावे और सही तथ्य सामने ला कर उचित कार्यवाही की मांग करता हूं।

विजय बहादुर सिंह विधायक नगर क्षेत्र, मिर्जापुर,

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पहले दिन जो यह तार मेरे पास भेजा गया इसमें चर्चा मुख्य मंत्री के घर वालों की है। मेरे पास दो तारीख को पेश हुआ मैंने गृह सचिव को लिखा:

नोट मेरा इस प्रकार है "कृपया संलग्न श्री विजय बहादुर सिंह, एम०एल० ए०, नगर क्षेत्र मिर्जापुर के दिनांक २८ जून के तार का अवलोकन करें। मैं इस तार का मतलब नहीं समझ पाया। किसी ने मेरे नाम का दुरुपयोग करने की कोशिश की है, इसका पता लगाया जावे और तार में लिखी गयी शिकयातों पर आवश्यक कार्यवाही की जाय।

इस प्रकार पहले मुख्य मंत्री के घर वालों के संबंध में तार दिया गया कि वे यह कार्यवाही कर रहे है। दूसरे साथी शिवदास जी ने स्पेसिफिकली लिखा कि उप मुख्य मंत्री के लड़के ने यह कार्य किया और दुबारा फिर यह मसला मेरे सामने आताहै। फिर अब इसे पुट किया जा रहा है तो इससे पहले इसको मेरे सामने लाया जा सकता था ता कि इसकी विस्तार से मैं जांच करा लेता। अगर मल्ल के खिलाफ आरोप थे या एस०एस० पी०, बनारस के खिलाफ आरोप थे और यह मेरे सामने लाया जाता तो मैं सी०आई०डी० से जांच कराता और अगर संतुष्ट न होता तो ऐसे उपाय ढूंढता जिससे इंक्वायरी कराकर अपने को संतुष्ट करता कि जो वाकयात बतलाये जा रहे हैं उनमें क्या तथ्य है। यह तो वाकया है कि गोली लगी है। अब जानना सिर्फ इतना है कि मालिकान के जरिये अथवा उनके नौकरी के जरिये यह काम किया गया है और मालिकों में भी किसके जरिये यह काम हुआ है? यह तो जांच का विषय है। पहले कोई आरोप इस तरह का आया नहीं और न हमें बताया गया। आज की हालत में जबकि लोग कैरेक्टर असासिनेशन में बहुत दिलचस्पी लेते हैं मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजकल राजनीतिक वातावरण भी ऐसा बना है।

श्री अनन्त राम जायसवाल---

क्या यह समझा जाय कि श्री गुप्ता जी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोपाल पुर फार्म मिर्जा पुर में सतिया नामक लड़की की हत्या के सम्बन्ध में नियम २८१ ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

मैं पूरी तरह से तैयार हूं जनाब। आप क्या बात करते हैं?

(शोर)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जब सवाल पूछा जायगा तब आप जवाब देंगे। हुजूरवाला खफा क्यों हो रहे हैं?

(शोर)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

यह स्पष्ट हो गया कि गोली उसके लगी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। परन्तु दो तीन बातें सामने आयी हैं जिनके ऊपर अधिक जांच करने की आवश्यकता है। मैं इस बात में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि किसी का कैरेक्टर असासिनेशन हो। लेकिन एक बात अवश्य है कि गोली लगने के बाद आजतक बन्दूक न पकड़ी जाय, आदमी फरार हो जाय और वह गवाह अदालत के अन्दर जा कर हलफिया बयान दे आये। आप जानते हैं कि यहां पर सैकड़ों लोग ऐसे बैठे हैं जो वकालत का पेशा करते हैं। आपने कभी देखा जिसमें गवाहान को अदालत में ले जा कर हलफिया बयान दिला दिया जाय। यह ओवर डूइंग है और यह इसलिये की गयी क्योंकि तीन-तीन बड़े बड़े लोग इन्वाल्व्ड हैं डी० आई० जी०, एस०एस० पी० और हमारे उप मुख्य मंत्री के सुपुत्र। मैं हृदय से चाहता हूं कि वह निर्दोष साबित हों क्योंकि यह प्रदेश के लिये अच्छी बात नहीं होगी। परन्तु यह तथ्य ऐसे हैं जिनकी न्यायिक जांच होनी चाहिये। मुख्य मंत्री जी इतने उदार हैं और वह भी चाहेंगे कि कोई भ्रम न रह जाय इसलिये वह सदन को आश्वासन दें कि हाई कोर्ट के एक जज द्वारा सारे मामले की जांच करवायेंगे और उसके बाद सदन के सामने तथ्य रखेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

आप प्रस्ताव कीजिये।

श्री वीरेंद्र वर्मा---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

अब मैं सदन में इसके बाद और नहीं बैठ सकता। यहां पर न्यूजपेपर एडिटर्स कांफरेंस हो रही है। मुझे उसको भी सम्बोधित करना है। इसलिये जो काम रखा गया है, उसके अनुसार काम हो (व्यवधान)।

एक सदस्य---

यह भागने का रास्ता हमको दिखला रहे हैं। मैं उनको भागने नहीं दूंगा। यहां विचार हो जाय तभी जा पायंगे।

एक सदस्य---

मुख्य मंत्री हमें विश्वास दिलायें कि वह न्यायिक जांच करायेंगे।

*उप मुख्यमंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर सदन में न तो किसी आदेश की आवश्यकता है और न जोर जोर से चिल्लाने की आवश्यकता है। एक प्रश्न है सदन के सामने और मेरे मित्रों की राय में सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है, तो इस पर माननीय सदन में शान्तिपूर्वक विचार कर लिया जाय और सदन अपनी राय दे दे। इसके माननीय सदस्य जैसे चाहे अपनी राय दे दें।

आपने अभी इस मामले पर विचार करने के लिए आध घंटे का समय रखा था और नियम ५१ में इसको स्वीकार किया था। इसका तरीका यह है कि मुख्य मंत्री जी जब वक्तव्य दे दें तो उसके ऊपर प्रश्न हो जायं। लेकिन हमारे भाई विजयबहादुर सिंह जी ने बहुत लम्बा-चौड़ा व्याख्यान दे दिया और ऐसा व्याख्यान दिया जिसमें नई बातें कह डालीं। उनका जो तार आया था, उसमें मुख्य मंत्री जी का जिक्र किया था। इसके बाद चिट्ठी आई थी उसमें राम बहादुर सिंह का नाम लिख दिया। फिर इसके बाद श्री विजयबहादुर सिंह जी ने पत्र भेजा। उसमें उन्होंने पुलिस आफिसर्स को भी फांसा है और अड्डयाशी वगैरा को न जाने क्या क्या है। जितने तार और सूचनायें आई हैं, वे एक दूसरे से भिन्न हैं। ऐसा लगता है कि एक के बाद दूसरे के बनाने की चेष्टा की गई है। मेरे लिये यह कोई नई बात नहीं है। मेरा यह दुर्भाग्य है, अनेक बार और भी देख चुका हूं। (व्यवधान) हां नई बात नहीं है क्योंकि इस सदन में पिछले ५/६ साल से बराबर यह स्थिति पैदा होती रही है और किसी न किसी के ऊपर आक्षेप किया जाता रहा है।

आज सदन में व्याख्यान में ऐसी बातें कह दी गईं कि जिनका कोई सबूत नहीं है, लेकिन कह दी जायं ताकि अखबार में छप जायं। डी०आई०जी०, एस० एस०पी० और हमारे घर के लोग और मैंने उनको दबाया। २२/२३ की रात को क्या हुआ। दुनिया भर की तमाम चीज कह दी गई। मैं कहना चाहता हूं कि यह सब गढ़ी हुई बातें हैं। यह बात सच है कि उस लड़की को गोली लगी और वह मरी। यह भी सच है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि २६ जून को मैं उस तरफ गया था और मैं वहां भी पहुंचा था जहां का जिक्र किया जाता है। जहां तक मेरे लड़के के जाने का ताल्लुक है, मैं यह कह सकता हूं कि २२ तारीख को वह वहां नहीं था। २०–२१ तारीख तक वह लखनऊ और बनारस में था। बनारस के बहुत आये थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक १६-१७ और १८ तक रही मेरा पुत्र उस समय यहीं था १९ को भी यहीं रहा। २० तारीख को बनारस पहुंचा। २२ तारीख को गाजीपुर की दुर्घटना हुई, २१ तारीख को ही हो गई थी। हम वहीं रह गये बनारस नहीं आये। २२ तारीख को कांग्रेस वालों का सामान वहां पहुंचाया। २६ तारीख को मैं वहां गया। मैं मान्यवर,, आप से कहना चाहता हूं कि यह सदन जो है पंच परमेश्वर है। ऐसी कोई बात होती तो मैं साफ कह देता। इसमें छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिर ५० वर्ष का हमारा सार्वजनिक जीवन है एक दो दिन का नहीं है। इस सदन में बैठे हुए भी करीब-करीब ३० वर्ष हो गये हैं। सार्वजनिक जीवन की शुद्धता और अपनी सरकार के संगठन की पवित्र भावना मन में हो सकती है। २६ को मैं वहां गया इसलिये कि मैं २३।२४ को दिल्ली में था। २४ को डाक्टर राव ने मुझसे कहा कि मिर्जापुर में बड़ा सूखा पड़ा है, प्रस्ताव आया था कि सोन से पानी उठा कर सूखा दूर किया जा सकता है। मैं २५ को पहुंचना चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं चलूंगा। मैं २४ को ही यहां आ गया और २५ को बनारस पहुंचा मेल से, २६ को राबर्टसगंज डाक्टर राव साहब पहुंचे। उनके साथ दिन भर घूमता रहा। तमाम सिंचाई विभाग और बिजली विभाग के आदमी थे। सोन भी गया, चोपन के उस पार भी गया। सायंकाल लौटे तो वह गये दूसरे रास्ते बनारस। मैं मड़ियाहूं के रास्ते से आया मिर्जापुर में दर्शन करना चाहता था। शाम हो गयी थी। लड़का भी मेरे साथ था। मैंने कहा कि क्यों भाई तुम्हारा यहां फ़ार्म है, चाय मिल सकती है? उन्होंने कहा चलिये। मैं गया, पंद्रह मिनट में चाय पी। मुझे इस घटना का पता नहीं था। पता तब लगा

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जब उस पत्र में पढ़ा, जिसका जिक्र किया गया, लोगों ने बताया कि ग्रामवासी जी का कोई पत्र समाचार पत्र में छपा हुआ है, वह मैंने चार पांच दिन हुए तब पढ़ा। तब मुझे पता लगा। इसमें छिपाने का सवाल कोई नहीं हो सकता न २२ तारीख को वह थे। एक दुर्घटना हुई। जांच होनी चाहिये। जो कोई मुलजिम हो उसका चालान भी होना चाहिये। अदालत में केस भी जाना चाहिये चाहे किसी का लड़का हो, किसी मिनिस्टर का या किसी गवर्नर का लड़का हो या किसी माननीय सदस्य का हो। यदि किसी ने जुर्म किया है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिये और जांच में अगर तथ्य निकलता है कि किसी ने जुर्म किया है तो उसका चालान होना चाहिये, उसे अदालत में ले जाना चाहिये और अदालत दोषी पाती है तो उसको सजा होनी चाहिये। मैं इसको अनैतिक समझता हूं कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जाय।

अभी पुलिस की इनक्वायरी हो रही है। कुछ भी संदेह हो, जैसी भी इनक्वायरी चाहे मुख्य मंत्री जी करवा दें, सी०आई० डी० से करवा लें, हाई कोर्ट के जज से करवा लें स्वयं कर लें कि वह घटना क्या है क्योंकि उस घटना में पुलिस के अधिकारियों का नाम भी दे दिया। २१ तारीख की रात को कितने आदमी गये, क्या बनारस में अय्याशी के लिएजगहकम है जो वहां जाने की जरूरत पड़ी? यह इस तरह की कहानी है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। २१ तारीख को सब मंडली जुट कर गयी उस जंगल में जहां विजयबहादुर सिंह जी जानते हैं पीने के लिए पानी नहीं है और अय्याशी के लिये मंडली जुट कर गयी। यह घटना इस तरह से गढ़ी और बनायी गयी। मैं पूरी जिम्मेदारी से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे चाहें, सार्वजनिक इनक्वायरी करा ली जाय और यदि कहीं हजार पांच सौ मील से भी मालूम पड़े कि मेरा कहीं छुवाव रहा है इस मामले को दबाने में या दूर करने में तो उसकी प्रारम्भिक जांच के बाद एक मिनट इस स्थान पर बैठना अपना दुर्भाग्य समझूंगा। इतना और कहना चाहता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि उपमुख्य मंत्री या मुख्य मंत्री या मंत्रिपरिषद के सदस्य का पद इतना महत्व नहीं रखता जितना सार्वजनिक जीवन की पवित्रता और उस सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न रखता है जो लोगों में विश्वास उत्पन्न कर सके। मैं चाहूंगा कि तत्काल इसकी जांच करा ली जाये। १, २, ३ दिन के भीतर, इसकी जांच करा ली जाये। यदि इसमें संदेह भी कहीं दिखाई पड़ता हो कि कहीं हमारा भी हाथ रहा है तो मैं आपसे निवेदन करुंगा कि तत्काल मैं अपने मुख्य मंत्री से यह आदेश चाहूंगा कि तत्काल वह मुझे उप मुख्य मंत्री के भार से मुक्त करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मुख्य मंत्री जी, सतिया के पिता मुन्नी लाल की रिपोर्ट जो थाना महिवान में लिखाई गई है, उसको पढ़ने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

कल ही मैंने इसका पता लगाया है। डी०एस०पी० ने, जिसने इन्क्वायरी की, जिसके जरिये इत्तिला आई, इतनी जल्दी रात में कार से भेजी गई। वह जो रिपोर्ट डी०एस०पी० श्री आर० के० कपूर की श्री पी० बी० मल, डी० आई० जी० आफ़ पुलिस, वाराणसी को फ़ार फ़ेवर आफ़ इन्फ़ारमेशन फ़ारवर्ड की गई है, वह मेरे पास ६ सफ़े की रिपोर्ट है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

वह नहीं आप मुझे एफ़० आई० आर० बताइये कि उसमें क्या लिखाया गया है? इस सदन की जानकारी के लिए जब तक वह रिपोर्ट नहीं पढ़ी जायेगी, तब तक हम सरकार से पूंछेंगे क्या? अगर वह रिपोर्ट मुख्य मंत्री जी के पास नहीं हो तो मैं श्री गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वह कल आपसे इजाजत लेकर पेश कर दें।

(व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, नियम ५१ आधे घंटे का हो सकता है। और अब आधे घंटे से अधिक हो चुका है, इसे आप समाप्त कीजिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, एफ० आई० आर० तो बड़ा जरूरी है, उसके बिना हमें वास्तविकता कैसे मालूम हो ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जब यहां पर कल यह विषय उठा, तो मैंने डी० आई० जी० रेंज को तार दिया, फ़ोन मिलाया तो उन्होंने यह कहा कि हम मिर्जापुर से इत्तिला मांग रहे हैं। तो इसके लिए गाड़ी भेजी गई और १–२ बजे गाड़ी वहां से चलती है। उनकी रिपोर्ट आई, जो उन्होंने सबमिट की। उस रिपोर्ट के बिना पर मैंने आपको यहां पर जवाब दिया है। इसमें एफ़० आई० आर० की कापी नहीं लगी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

एक रिपोर्ट डी-वाई० एस० पी० भेज सकता है, तो उसी ट्रेन से, गाड़ी से एफ़० आई० आर० वह क्यों नहीं भेज सकता। मैं समझता हूं कि इसमें एफ़० आई० आर० को इस सदन से छिपाया जा रहा है। मेरा यह कहना है कि हमारे हृदय की भावना है कि इस के अन्दर जो दोषारोपण त्रिपाठी जी के लड़के के बारे में किया गया है वह सही नहीं है, लेकिन वह बात आंकड़े द्वारा स्पष्ट रूप से सदन के सामने साफ़ हो जानी चाहिये। इस तरह से छिपाने से लोगों का संदेह कैसे दूर हो सकता है ? जब तक वह चीज सामने नहीं आयेगी, तब तक हम कैसे समझेंगे कि असलियत क्या है ?

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

माननीय महोदय, सदन से वास्तविकता को छिपाया जा रहा है। यह नैतिकता की दुहाई देते हैं। लेकिन इनमें जरा भी नैतिकता नहीं है। यह मुख्य मंत्री पद से इस्तीफ़ा दें, कल ही जनता के सामने असलियत आ जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न केवल इतना है कि वह यह चाहते हैं कि आप एफ़० आई० आर० मंगाकर सुना दीजिये। (श्री चन्द्रभानु गुप्त से) आप वह मंगा सकेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं कहता हूं कि एफ़०आई०आर० की सारी चर्चा तो उसमें नहीं है, लेकिन सारी बातें डी० एस०पी० ने अपनी रिपोर्ट में लिख दी है ६ सफ़े की वह रिपोर्ट है और उसमें एफ़०आई० आर० आ गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

डी० एस० पी० तो अपने हिसाब से रिपोर्ट भेजते हैं एफ़०आई० आर० अगर होगी तो उसमें सारी बातें मिल जायेंगी। वह मंगाकर उसको सुना दें।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, न एफ़० आई० आर० उनके पास है और न यह मामला अच्छी तरह से जांच हो सका है। मैं कहता हूं कि केस की गम्भीरता को देखते हुए पूरी चीजें मंगवा ली जायं और कल या परसों जब आप उचित समझें दो घंटे इस पर सदन में बहस हो जाय और अगर सदन संतुष्ट

हो जाय तो ठीक है और अगर सदन संतुष्ट नहीं होता तो फिर जुडीशियल इन्क्वायरी हो जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि गुप्ता जी जिस अन्दाज से बात कर रहे हैं, खासकर आपसे, उससे ऐसा लगता है कि वे समझते हैं कि वे इस पूरे हाउस से और आप से भी बड़े हैं । मैं उनको याद दिलाता हूं कि वे इस सदन के नौकर हैं और वे ठीक से बातें किया करें।

दूसरे, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा यहां पर आपने उनके बयान हलफिया का जिक्र किया जो मुन्नीलाल जी ने बाद में अदालत में दिया होगा । लेकिन वह पहला डाकूमेंट जिस पर इस मुकदमे की शुरुआत हुई उसको पढ़ने में उनको गुरेज हैं और मैं चाहता हूं कि उसको मंगाकर पढ़वा दिया जाय ताकि हाउस उस पर स्पष्टीकरण करा सके ।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, उनको पढ़ने में गुरेज नहीं है। वह कहते हैं कि अभी वह यहां नहीं है। उसे मंगाना पड़ेगा । तो आप उसे मंगा लें ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उसके मंगवाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर वह चाहते ही हैं तो उसे मंगवा लिया जायगा और उसे सदन में भी रख दिया जायगा ।

श्री शिवदास—

कब तक मंगा लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

अब उसके मंगाने में समय तो लगेगा ही । दो तीन रोज का समय तो लगेगा ।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मैं मान्यवर इस समय कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता । लेकिन जो एफ० आई० आर० है उसका जिक्र इस रिपोर्ट में है कि ४ बजकर ३५ मिनट पर उसकी रिपोर्ट श्री मुन्नी-लाल द्वारा हुई। उसमें यह लिखा था कि यह गोली उस नौकर ने जिसको आप नैपाली रामबहादुर सिंह कहते हैं चलाई । मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि जो भी रिपोर्ट हुई उसमें ४ गवाहान के बारे में जिक्र है । जब उन गवाहान का नाम आया है तो यह निश्चित है कि सबसे पहले उन गवाहान का बयान लिया जायगा और जिसे हम केस डायरी कहते हैं उसमें वह लिखा जायगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप जो बता रहें हैं श्रीमन्, वह तो मैं भी जानता हूं और उसको जानबूझकर ही पूछ रहा हूं ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

श्रीमन्, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष—

आप जो कुछ कह रहें हैं वह कहते हैं कि उनको मालूम है और वह पूछ ही इसीलिये रहें हैं। सीधा सा प्रश्न है कि आप उनको एफ० आई० आर० मंगा दीजिये । जब वह तैयार हैं तो अब यह प्रश्न आप क्यों उठा रहें हैं ?

[श्री अध्यक्ष]

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर २० मिनट पर अगले दिन के साढ़े १० बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२५ जुलाई, १९६९ ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्र० संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८४ पर)

सूची "अ"

क्रमांक	अध्यापकों का नाम		वर्ष १९६६–६७, ६७–६८ एवं १९६८–६९ हेतु कालेज द्वारा पी०एच०डी० के लिये दो वेतन वृद्धि का अध्यापकों को भुगतान दिया गया अतिरिक्त धन
			रु०
१	डा० (श्रीमती) विद्या मिश्रा	.. ..	१,६२५–८०
२	डा० (श्रीमती) एस० अग्रवाल	.. ..	१,६२५–८०
३	डा० यू० एन० मुखर्जी	.. ..	१,६२५–८०
४	डा० आर० एन० जायसवाल	.. ..	१,५५२–३०

सूची "ब"

उन अध्यापकों की सूची जिन्हें १–४–६६ से लागू नवीन संशोधित वेतन मान में वेतन निर्धारण के अतिरिक्त देय धन का भुगतान हुआ ।

क्रमांक	अध्यापक का नाम		वर्ष १९६६–६७, ६७–६८ एवं १९६८–६९ हेतु कालेज द्वारा अध्यापकों को भुगतान किया गया अतिरिक्त कुल धन	अन्य विवरण
१	२		३	४
१—श्री टी० पी० राय		..	१,१४७–४१	
२—डा० (श्रीमती) विद्या मिश्रा		..	१,२२४–३७	
३—डा० बी० पी० वैश्य		..	—	निलम्बन के कारण वेतन निर्धारण नहीं किया गया है ।
४—श्री यू० एस० मिश्रा		..	८४५–००	
५—श्री आर० के० बनर्जी		..	१,३२५–००	
६—श्री के० आर० तिवारी		..	४,५६०–००	
७—श्री बी० बी० सरकार		..	३,३११–६४	
८—डा० यू० एन० मुखर्जी		..	३,१६५–००	

९—श्री आर० एन० चौधरी	..	३,८४०—००
१०—श्री बी० के० मौर्य	..	२,६७५—६२
११—श्री एच० यू० जमन	..	९०५—००
१२—डा० (श्रीमती) एस० अग्रवाल	..	९१२—६६
१३—श्री डी० एन० बोस	..	२,६५१—७८
१४—श्री बी० बी० गुप्ता	..	२,६५१—७८
१५—श्री पी० के० सिकदार	..	२,६५१—७८
१६—श्री एस० चन्द्रा	..	२,१९२—५८
१७—श्री ए० के० मुखर्जी	..	२,१९२—५८
१८—श्री आर० के० द्विवेदी	..	१,३३६—७८
१८(ए)—श्री ए० के० मित्रा	..	१,७७०—००
१९—श्री राम कुमार	..	३,७७०—४८
२०—डा० आर० एन० जायसवाल	..	२,५८५—३२
२१—श्री आर० एन० बागची	..	२,५८५—३२
२२—श्री आर० एस० विष्ट	..	१,९४९—७८
२३—श्रीमती पी० के० जोशी	..	३,३४८—३८

संसद भवन

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९४ पर)

तालिका 'क'

जूनियर हाई स्कूलों को स्थायी मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी

विद्यालय का नाम	जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि
जनता जूनियर हाई स्कूल, लालगंज	७–८–६८

तालिका 'ख'

नवीन जूनियर हाई स्कूलों को अस्थायी मान्यता प्रदान करने संबंधी

१––जूनियर हाई स्कूल, बूढ़ी बेलहर	१७–७–६८
२––अशोक जूनियर हाई स्कूल, छावनी	२२–७–६८
३––जूनियर हाई स्कूल, सिंहटीकर	२३–७–६८
४––जनता जूनियर हाई स्कूल, इटवा कुन्गाई ..	३१–७–६८
५––जनता जूनियर हाई स्कूल, इटवा	३०–८–६८
६––भारतीय जूनियर हाई स्कूल, बढ़नी चांपा ..	९–९–६८

तालिका 'ग'

पहिले से चले आ रहे अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मान्यता में समय वृद्धि

१––जूनियर हाई स्कूल, छतहरी	१७–५–६८
२––जूनियर हाई स्कूल, अठदमा	२७–५–६८
३––जूनियर हाई स्कूल, पटखोली (मंहुडर) ..	३१–५–६८
४––जूनियर हाई स्कूल, सिकरी	६–६–६८
५––जूनियर हाई स्कूल, शंकरपुर	१७–६–६८
६––जूनियर हाई स्कूल, औदही	१७–६–६८
७––जूनियर हाई स्कूल, मेहनौना	२४–६–६८
८––जूनियर हाई स्कूल, जोगिया	२६–६–६८
९––जूनियर हाई स्कूल, रघुराजनगर	२४–६–६८
१०––जूनियर हाई स्कूल, गंथरिया गजराज	२८–६–६८
११––जूनियर हाई स्कूल, ग्रामा	२८–६–६८
१२––जूनियर हाई स्कूल, जिगिना	२९–६–६८
१३––जूनियर हाई स्कूल, थिराली बाबू	२९–६–६८

१४—जूनियर हाई स्कूल, नगर बाजार	.. ..	२९–६–६८
१५—जूनियर हाई स्कूल, सगरा	.. ..	२९–६–६८
१६—जूनियर हाई स्कूल, चौरी	.. ..	२९–६–६८
१७—जूनियर हाई स्कूल, भगवानपुर	.. ..	३–७–६८
१८—जूनियर हाई स्कूल, वरगदवा	.. ..	४–७–६८
१९—जूनियर हाई स्कूल, महुलानी चौरी	.. ..	१०–७–६८
२०—जूनियर हाई स्कूल, लक्षमणपुर	.. ..	१६–७–६८
२१—जूनियर हाई स्कूल, गोविन्दगंज	.. ..	१८–७–६८
२२—जूनियर हाई स्कूल, धर्म सिंहवा	.. ..	१९–७–६८
२३—जूनियर हाई स्कूल, चेतिया	.. ..	१९–७–६८
२४—जूनियर हाई स्कूल, वरुआर	.. ..	२०–७–६८
२५—जूनियर हाई स्कूल, कठेला	.. ..	२३–७–६८
२६—जूनियर हाई स्कूल, शंकरगढ़	.. ..	३१–७–६८
२७—जूनियर हाई स्कूल, लैटेरा	.. ..	१–८–६८
२८—जूनियर हाई स्कूल, साहांसा	.. ..	२–८–६८
२९—जूनियर हाई स्कूल, चौखड़ा	.. ..	३–८–६८
३०—जूनियर हाई स्कूल, डंडवापाट	.. ..	५–८–६८
३१—जूनियर हाई स्कूल, असांगवा	.. ..	६–८–६८
३२—जूनियर हाई स्कूल, महेदइया	.. ..	४–९–६८
३३—जूनियर हाई स्कूल, खलीला बाद	.. ..	४–१०–६८

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९६ पर)

वर्ष १९६८ में जिला सहकारी बैंक मुरादाबाद में पकड़े गये गबन व गबन से संबंधित व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है—

१—३२,००० रु० का गबन मुरादाबाद ब्रांच

सर्वश्री

१—हरचरन सिंह	.. ..	ब्रांच मैनेजर मुरादाबाद
२—गंगा राम सिंह	.. ..	अतिरिक्त मनेजर
३—शेर सिंह राना	.. ..	असिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट
४—रमेश चन्द्र	.. ..	कशियर
५—जय भगवान कपूर	.. ..	लिपिक
६—रनवीर सिंह	.. ..	लिपिक
७—चरनसिंह	.. ..	लिपिक

२—१८,००० रु० का गबन मुरादाबाद ब्रांच

सर्वश्री

१—गंगा राम सिंह	.. ..	एडीशनल मैनेजर
२—शेर सिंह राना	.. ..	असिस्टेंट एकाउन्टेन्ट
३—वीरेन्द्र सिंह	.. ..	लिपिक
४—गजेन्द्र सिंह	.. ..	लिपिक
५—जय भगवान कपूर	.. ..	लिपिक
६—रमेश चन्द्र	.. ..	कोषाध्यक्ष
७—कृष्ण कुमार	.. ..	कोषाध्यक्ष

३—१६,००० रु० का गबन

१—जय प्रकाश सिंह	.. ..	ब्रांच मैनेजर, हसनपुर
२—जबर सिंह	.. ..	लिपिक हसनपुर
३—भूपेन्द्र शर्मा पाठक	.. ..	सहकारी पर्यवेक्षक, हसनपुर

३२,००० रु० तथा १८,००० रु० के गबन के मामले थाना कोतवाली मुरादाबाद में क्रमश: दिनांक २८-८-६८ व २८-९-६८ को दर्ज कराए गए। १६,००० रु० क गबन का मामला थाना हसनपुर जिला मुरादाबाद में दिनांक ४-११-६८ को दर्ज कराया गया।

गबन से संबंधित समस्त कर्मचारी निलम्बित है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९९ पर)

नाम संख्या

प्रश्न १६

	अस्थायी मान्यता	प्रार्थना पत्र की तिथि
तालिका 'क'	नाम संख्या	
१—जय जवान जूनियर हाई स्कूल परसिया	..	३१-८-६८
२—किसान जूनियर हाई स्कूल कडजहा	..	१६-१०-६८
३—जनता आदर्श विद्यालय पिपरपति	..	१७-१०-६८
४—श्री लाल बहादुर शास्त्री जूनियर हाई स्कूल साही टुडवा		६-१२-६८
५—स्वामी जीवा राम जूनियर हाई स्कूल सोहनांग	..	२१-१-६९
तालिका 'ख'	स्थायी मान्यता	
१—जनता लघु माध्यमिक विद्यालय सोहंग	..	२६-३-६८
२—राष्ट्रीय जूनियर हाई स्कूल कोडिया मिश्र	..	२८-८-६८
३—कृषक जूनियर हाई स्कूल विशुनपुर कलां	..	४-१०-६८
४—नर्वदेश्वर जूनियर हाई स्कूल बीजापुर भगटौर	..	८-१०-६८
५—श्री लालबहादुर शास्त्री जूनियरहाई स्कूल सिकटा पकौली		१७-४-६९
६—ज्ञानोदय जूनियर हाई स्कूल मंसूरगंज	..	२९-४-६९
७—नेशनल जूनियर हाई स्कूल नवलपुर	..	इस संस्था को १७-६-६९ को मान्यता दे दी गई ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०५ पर)

१—दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा रहें है :—

(१) अच्छी नस्ल के पशु उपलब्ध करना ।

(२) पशुओं की उत्तम खिलाई पिलाई की व्यवस्था करना, तथा

(३) पशुओं के रोगों पर नियंत्रण रखना ।

२—अच्छी नस्ल के पशु उपलब्ध करने के सिलसिले में नैसर्गिक पद्धति के साथ साथ कृत्रिम गर्भाधान पद्धति को अपनाया गया है । १९६८-६९ के अन्त तक कृत्रिम गर्भाधान की सुविधायें १४ वीर्य संग्रह केन्द्रों, ७६ ग्राम समूह खन्डों, ५४० कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों तथा ४६६ उप केन्द्रों पर उपलब्ध रही तथा लगभग ११५०० सांड़ नैसर्गिक विधि से अभिजनन में कार्यरत रहे । कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाओं के अतिरिक्त उत्तम नस्ल के सांड़ों के उत्पादन के लिये १४ राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र राज्य में स्थापित है ।

३—पशुओं की उत्तम खिलाई-पिलाई के लिये सरकार की ओर से चारे के उत्तम किस्म के बीज व जड़ें अनुदानित मूल्य पर किसानों को वितरित की जा रही हैं ।

४—पशुओं के रोग नियंत्रण के लिये सरकार द्वारा पशु चिकित्सालय तथा पशु सेवा केन्द्रों की संख्या निरन्तर बढाई जा रही है । १९६८-६९ के अन्त में ९९३ पशु चिकित्सालय तथा १४०७ पशुपालन केन्द्र स्थापित हो गये हैं । वेक्सीन तथा सीरा के उत्पादन में क्रमशः वृद्धि की जा रही है । पशु महामारी रोग के निवारणार्थ एक सामूहिक अभियान द्वितीय योजना काल में चलाया गया था । इसके अन्तर्गत ५१ जिलों में टीका अभियान समाप्त कर दिया गया है । रोग निरोधक टीके भी समय-समय पर जानवरों के लगाये जाते हैं ।

५—चतुर्थ योजनाकाल में दुग्ध उत्पादन की दिशा में पशु अभिजनन, रोग नियंत्रण तथा शोधादि की विभिन्न योजनायें प्रस्तावित हैं । इनके मुख्य-मुख्य लक्ष्य निम्नवत है :—

(१)	सांड़ों का क्रय	७५०
(२)	नैसर्गिक सेवा केन्द्र	१७
(३)	वीर्य संग्रह केन्द्र	४
(४)	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	७९
(५)	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	५४२
(६)	पशु चिकित्सालय	३५
(७)	पशु सेवा केन्द्र	४९२
(८)	सचल इकाइयां	६
(९)	सघन पशु विकास खण्ड	२
(१०)	वर्तमान सघन पशु विकास खंडों में अतिरिक्त सुविधाओं में वृद्धि ।	४
(११)	राजकीय औषधि जैविक उत्पादन शाखा का विस्तार	

६—दुग्ध सप्लाई करने हेतु राज्य में सहकारिता के आधार पर कुल २४ दुग्ध संघ, १० ग्रामीण दुग्धशाला केन्द्र तथा उनसे संबद्ध २११८ दुग्ध उत्पादन समितियों की स्थापना की जा चुकी है ।

७—चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के लिये निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैं :—

(१) पुरानी संख्याओं को सुदृढ़ करना ।	
(२) दो नयी दुग्ध पदार्थ निर्माणशालायें स्थापित करना—	(१ फैजाबाद में, दूसरी का स्थान अभी निर्धारित नहीं हुआ है)
(३) तीन ग्रामीण दुग्ध केन्द्र स्थापित करना—	(१ पिथौरागढ़ में, अन्य दो के स्थान अभी निर्धारित नहीं हैं)
(४) चार क्रीमरी केन्द्र स्थापित करना—	(पहाड़ी क्षेत्र में होंगे स्थान अभी निर्धारित नहीं है)
(५) एक पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना—	(स्थान अभी निर्धारित नही है)

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न सख्या ३९ का उत्तर पीछ पष्ठ २०७ पर)

वर्ष १९६६–६७ व ६७–६८ में सहकारी समितियां ऊंच गांव, मझना बबुरी और नरोत्तमपुर, विकास खण्ड कुड़वार, जिला सुल्तानपुर द्वारा जिला सहकारी बैंक सुल्तानपुर से प्राप्त ऋण व वसूली का विवरण निम्न है

नाम समिति	बैंक से प्राप्त ऋण		वसूली	
	६६–६७	६७–६८	६६–६७	६७–६८
१—ऊंच गांव ..	४६,६५३	१,३१,५५०	४,४७७	५९,९०५
२—मझना ..	४७,१५७	१,७२,५८९	१७,९०४	८९,४९२
३—बबुरी ..	३४,०९०	४५,१४०	१६,६६६	३१,६८५
४—नरोत्तमपुर ..	—	७,६८२	६,७०८	—

एस० यू० पी०—ए० पी० ३८ एल० ए०—१९६९—८७० ।